

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1994

खण्ड 1 अंक 9

अधिकृत विवरण



विषय सूची

मंगलवार, 15 मार्च, 1994

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(9) 1
स्थगित तारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 2
तारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 6
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखा गया तारंकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(9) 22
ग्रतारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 23
कथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न	(9) 24
ध्यानाकर्षण सूचनार्थे	(9) 29
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	—
भिवानी शहर में पीलिया का रोग फैलने संबंधी	(9) 34
वक्तव्य—	
स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(9) 35
मूल्य :	

(ii)

	पृष्ठ संख्या
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(9)39
बैठक का समय बढ़ाना	(9)88
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)89
बैठक का समय बढ़ाना	(9)92
वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)92
बैठक का समय बढ़ाना	(9)95
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)95
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— श्री धर्मपाल द्वारा	(9)97
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)98
बैठक का समय बढ़ाना	(9)99
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)99
बैठक का समय बढ़ाना	(9)105
वर्ष 1994-95 के बजट-अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9)106

ERRATA

To

Haryana Vidhan Sabha debates, Vol. 1, No. 9, dated the
15th March, 1994.

<u>Read</u>	<u>For</u>	<u>Page</u>	<u>Line</u>
में	में	3	20
पौलिसी	पौंसिसी	11	23
जैसी	जसी	14	27
वित्त	वि	16	13
साहब	सहब	27	19
सम्बर	सम्बर	28	7
उनको	अनको	31	4
बाड़	बाड़	31	21
टेक्सटाईल	टक्सटाईल	36	1
गये	गय	36	14
हैं	हं	37	22
That	hat	40	17
for	or	40	27
Urban	under	43	3
हल्के	हल्ले	85	2
विधायक	विधायक	87	20
कटोरे	ककोरे	91	7
कुछ	कछ	97	14
कर	कहै	98	14
महोदय	महोिनय	98	19
सदस्यों	सदसीय	99	4
भाईयों	भाईयी	99	24
अध्यक्ष जी,	अध्यक्ष	100	14
बलड	बलड	101	17
थे	थ	102	1
That	hat	108	9

STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF REVENUE
SALES TAX REPORT

DATE	AMOUNT	TAX	TOTAL
1	100	10	110
2	200	20	220
3	300	30	330
4	400	40	440
5	500	50	550
6	600	60	660
7	700	70	770
8	800	80	880
9	900	90	990
10	1000	100	1100
11	1100	110	1210
12	1200	120	1320
13	1300	130	1430
14	1400	140	1540
15	1500	150	1650
16	1600	160	1760
17	1700	170	1870
18	1800	180	1980
19	1900	190	2090
20	2000	200	2200
21	2100	210	2310
22	2200	220	2420
23	2300	230	2530
24	2400	240	2640
25	2500	250	2750
26	2600	260	2860
27	2700	270	2970
28	2800	280	3080
29	2900	290	3190
30	3000	300	3300
31	3100	310	3410
32	3200	320	3520
33	3300	330	3630
34	3400	340	3740
35	3500	350	3850
36	3600	360	3960
37	3700	370	4070
38	3800	380	4180
39	3900	390	4290
40	4000	400	4400
41	4100	410	4510
42	4200	420	4620
43	4300	430	4730
44	4400	440	4840
45	4500	450	4950
46	4600	460	5060
47	4700	470	5170
48	4800	480	5280
49	4900	490	5390
50	5000	500	5500
51	5100	510	5610
52	5200	520	5720
53	5300	530	5830
54	5400	540	5940
55	5500	550	6050
56	5600	560	6160
57	5700	570	6270
58	5800	580	6380
59	5900	590	6490
60	6000	600	6600
61	6100	610	6710
62	6200	620	6820
63	6300	630	6930
64	6400	640	7040
65	6500	650	7150
66	6600	660	7260
67	6700	670	7370
68	6800	680	7480
69	6900	690	7590
70	7000	700	7700
71	7100	710	7810
72	7200	720	7920
73	7300	730	8030
74	7400	740	8140
75	7500	750	8250
76	7600	760	8360
77	7700	770	8470
78	7800	780	8580
79	7900	790	8690
80	8000	800	8800
81	8100	810	8910
82	8200	820	9020
83	8300	830	9130
84	8400	840	9240
85	8500	850	9350
86	8600	860	9460
87	8700	870	9570
88	8800	880	9680
89	8900	890	9790
90	9000	900	9900
91	9100	910	10010
92	9200	920	10120
93	9300	930	10230
94	9400	940	10340
95	9500	950	10450
96	9600	960	10560
97	9700	970	10670
98	9800	980	10780
99	9900	990	10890
100	10000	1000	11000

TOTAL

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 15 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मੈम्बरज, अब मुख्य मंत्री जी आवुचरी रेफरेन्स करेंगे।

सुख मन्त्री (चौधरी अजय लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन महात्मा गांधी जी की पौती श्रीमती मनुबैन सुरेन्द्र माई मधुबाला जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, के 13 मार्च 1994 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनकी समाज सेवा व धार्मिक कार्यों में गहरी रुची थी। उनके निधन से देश एक सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

प्रो० सन्त सिंह (भट्टकला) : स्पीकर सर, हाउस के नेता ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन में रखा है, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उसका समर्थन करता हूँ। हमें उनके निधन से बड़ी तकलीफ हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री कर्ण सिंह बल्लाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता व विपक्ष के नेता ने जो शोक प्रस्ताव यहाँ हाउस में रखा है, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ और शोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। स्पीकर सर, मेरी हाउस के नेता से यह भी प्रार्थना है कि श्री रतीराम शर्मा, जो पब्लिक सर्विस कमिशन के मँबर रहे हैं, वे भी स्वर्गावास हो गए हैं और अगर उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जाए तो अच्छी बात है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the feelings expressed by the leaders of the different parties. Smt. Manubain Surender 'Bhai', महात्मा गांधी जी की पौती थी और महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता थे।

[श्री जम्पक्ष]

उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर देश को आजाद करवाया। अंग्रेजी प्राईम मिनिस्टर चर्चिल ने एक वक्त कहा था कि मैं महात्मा गांधी के घुटने टिका दूंगा तो उस वक्त पास में बैठे हुए दूसरे एडेड्समैन ने कहा कि नहीं, आप उनके घुटने नहीं टिका सकते, वे आपके घुटने टिका सकते हैं। उसके बाद जब चर्चिल ने कहा था I have not become the Prime Minister of England to liquidate the British Empire. यह ब्रिटिश एम्पायर महात्मा गांधी जी ने ही लिक्वीडेट कराया। भारत आजाद हुआ और उसके साथ सभी देश, जो अंग्रेज के गुलाम थे, सभी आजाद हुए बन बाई बन। तो मैं भी, हाउस के नेता मैं जो शोक प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए आप सभी के साथ एसोशिएट करता हूँ और जो हाउस की फीलिंगज होंगी, उनको ब्रीवड फॅमिली तक पहुँचा दूंगा।

अब मैं सब से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा के प्रति दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करें।

(इस समय सदन ने दिवंगत के सम्मान में दो मिनट खड़े होकर मौन धारण किया)

स्थगित तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, before we start questions enlisted for today, the postponed starred question No. 663 enlisted in the name of Prof. Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. will be first taken up.

Plantation of Trees

*663. Prof. Chhattar Singh Chauhan : Will the Minister for Forests be pleased to state the districtwise number of trees planted during the period from July, 1992 to-date in the State ?

Forest Minister (Rao Inderjit Singh) : Sir, statement is placed on the table of the House.

Statement

Sr. No.	Name of District	Total trees planted from July, 1992 upto 31-1-1994
1.	Ambala	21286468
2.	Yamuna Nagar	13962515
3.	Kurukshetra	6146878
4.	Kaithal	5045872

Sr. No.	Name of District	Total trees planted from July, 1992 upto 31-1-1994
5.	Karnal	7668472
6.	Panipat	4142731
7.	Sonapat	6731632
8.	Gurgaon	13477548
9.	Faridabad	7195494
10.	Mohindergarh	10417127
11.	Rewari	6954880
12.	Rohtak	10195207
13.	Bhiwani	12299879
14.	Hisar	14929925
15.	Jind	5633975
16.	Sirsa	11050112
		157138715

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो लिस्ट जुलाई 92 से 31-1-1994 तक की इन्होंने दी है, उनमें वे कितने वृक्ष जिलावार/राज्य सरवाइव कर रहे हैं और कितने खत्म हो गये हैं? इसके साथ-साथ मैं मन्त्री महोदय से यह भी कहूँगा कि जितने वृक्ष बेआयी लगवा रहे हैं उनमें कम से कम कीकर के वृक्ष न लगवाएँ। राज साहब खुद तो शायद किसान नहीं हैं लेकिन वे किसान परिवार से सम्बन्धित जरूर हैं। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूँ कि कीकर का वृक्ष लगवाने से आधा-आधा एकड़ जमीन बिल्कुल नष्ट हो जाती है और उस जमीन में कोई फसल नहीं होती तथा उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिलता।

इस के अलावा मैं उन से यह जानना चाहता हूँ कि जो दरख्त गिराये जा रहे हैं, क्या सरकार पिछली सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए, उन दरख्तों की आमदनी का आधा हिस्सा किसानों को देने का इरादा रखती है?

राज इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, नवम्बर, 1991 में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हमारे यहाँ एक टीम आई थी। उस समय हमारी स्टेट प्लान्टेशन कर चुकी थी। उन्होंने अपनी तरफ से जो उसका ब्यौरा दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा का सक्सेस रेट 80 प्रतिशत से ऊपर है। वैसे हमारा जो निजी मॉनिट्रिंग सेल है जो सोशल फारैस्टरों में करनाल और अरावली में रखा हुआ है, उसके हिसाब से इनका सक्सेस रेट 60-70 प्रतिशत है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कीकर के

[राज इन्द्रजीत सिंह]

पेड़ न लगाए जाएं। स्पीकर साहब, कई किस्म के पेड़ लगाए जाते हैं। एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि कीकर के पेड़ के नीचे फसल ठीक ढंग से नहीं होती। लेकिन माननीय सदस्य यह बात भी मानेंगे कि गांव वाले फयूल के तौर पर कीकर की लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। अगर कीकर का पेड़ न हो तो वे अपना कुल्हाड़ा दूसरे पेड़ों पर चलाएंगे। हमारी फयूल की जरूरत को वही पेड़ पूरा कर सकता है इसलिए उसको लगाना जरूरी है। जहाँ तक पेड़ों का आधा हिस्सा किसान को देने की बात है उस के बारे में बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार की नीति में यह था कि कुछ परसेंट हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। उसका फायदा उठाते हुए किसानों ने अपने खेत के साथ लगते पेड़ों के अलावा सड़क के साथ लगते हुए पेड़ भी काट लिए। तो इनकी नीति के हिसाब से खेत के साथ लगते वाले पेड़ों का हिस्सा उनको जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने सारे पेड़ ही काट लिए। इसलिए हमने उस नीति को लागू नहीं किया।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जिस तरह से कीकर का पेड़ तुकसानदायक है, इसी तरह से सफेदे का पेड़ भी खेती के लिए और सब सायल पानी के लिए लाभदायक नहीं है। दूसरे आपने जो पेड़ों का सर्वेक्षण रेट बताया है, क्या इसका हर साल सर्वे कराते हैं, अगर हाँ तो इसमें कितनी सच्चाई है ?

राज इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, सफेदे के पेड़ के बारे में काफी डिबेट हुई है कि यह बेहतर किस्म का पेड़ है या नहीं, क्या यह वहाँ पर लग सकता है जहाँ पानी की कमी है ? स्पीकर साहब, सफेदे के पेड़ की जड़ दस फुट से ज्यादा नहीं होती। जैसे हमारे सायल के जिले हैं, वहाँ पर एक सौ फुट तक सब-सायल पानी होता है, इसलिए सब-सायल पानी को यह खराब नहीं करता। इन्होंने जो कहा कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कहीं तक सच्चाई है या नहीं, उसके लिए हमारी हरियाणा सरकार ने मीनिटिंग सेल बना रखे हैं। एक करनाल के अन्दर है और एक गुड़गांव जिले में है। इनके अनुसार 60-70 प्रतिशत सर्वेस रेट है। हम बाकायदा 60-70 परसेंट मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर सर्वेस रेट का सर्वे करते रहते हैं। स्पीकर साहब, हमारे प्रदेश में भारत सरकार की ओर से एक सर्वेक्षण टीम आई थी, उन्होंने सर्वे के बाद यह बताया कि हरियाणा के अन्दर 80 परसेंट सर्वेस रेट है।

श्री सतबीर सिंह काश्यप : स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने किसान के खेत से 10 फुट तक दूरी के पेड़ों में किसानों को आधा हिस्सा देने का प्रावधान किया था। इसलिए मैं मीजूदा सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि पिछले दो साल में किसानों को पेड़ों में कितना हिस्सा दिया गया है ? इसके साथ साथ मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि असंध ग्रास पंचायत ने जो एक हजार एकड़ जमीन ट्री प्लांटेशन के लिए सरकार को दी है, उसमें कब तक ट्री प्लांटेशन करवा दी

जाएगी। क्या वह जमीन पंचायत को वापिस कर दी जाएगी, अगर वापिस की जाएगी तो कब तक की जाएगी ?

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, किसानों की पेड़ों में हिस्सा देने के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वह नीति अब लागू नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पिछली सरकार ने क्या वह नीति लागू की थी ?

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने सारे पेड़ काटवा दिए थे।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज सारी दुनिया इस बात से चिन्तित है कि वायुमंडल को कैसे शुद्ध रखा जा सकता है, दूषित वातावरण से मानव को कैसे बचाया जा सकता है ? मानव को दूषित वातावरण से बचाने की बात पेड़ों से ही हो सकती है। पेड़ ही मानव को दूषित वातावरण से बचा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठे विरोधी पक्ष के भाइयों ने तो रास्ता रोकने के नाम से पेड़ों को काट-काट कर सड़कों पर डाल दिया था और लोगों को कह दिया था कि हमारी पार्टी की सरकार आते ही आप सारे पेड़ काट लेना, जो सरकारी पेड़ हैं उनमें भी आपको आधा हिस्सा मिलेगा। ये लोग इस तरह की बात करते हैं। लोगों को कर्जा माफी की बात कह करके उनको मुभराह करते हैं और लोगों से वोट ले कर गद्दी पर बैठे, क्या लोगों का कर्जा माफ हुआ ? उनका कर्जा माफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने कर्जा माफी की जो पालिसी बनाई, क्या वह लागू हुई ? ऐसी पालिसी लागू नहीं हो सकती। एक पेड़ की रक्षा करना एक इन्सान की रक्षा करना है। पेड़ में भी जीव है। अध्यक्ष महोदय, ये पेड़ की जानी के बारे में पहले तो हम इनको बताएं, इन्होंने पेड़ काटवा कर प्रदेश के वातावरण को बहुत खराब किया। हम पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। हम प्रदेश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाएँ और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाने की कोशिश भी की है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि जुलाई, 1992 से 31-1-1994 तक कर्नाल जिले में 7668472 पेड़ लगाए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इनमें से कितने परसेंट कीकर लगाई और कितने परसेंट सफेदे के पेड़ लगाए गए ?

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, नीति के अनुसार कर्नाल जिले में पेड़ लगाए गए हैं। इनमें से 31 परसेंट पेड़ ऐसे लगाए गए हैं जो छाया के तौर पर काम में आएँगे। 37 परसेंट पेड़ डिम्बर के इस्तेमाल के लिए, 17 परसेंट फीडर के इस्तेमाल के लिए और 6 परसेंट फ्रूट आदि के इस्तेमाल के लिए लगाए जाते हैं।

श्री जय प्रकाश : स्पीकर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि ये पेड़ कहां-कहां पर लगाए गए ?

राव इन्द्रजीत सिंह : आमतौर पर पेड़ कम्प्युनिटी लैंड पर लगाए गए हैं।

श्री 0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हमने पेड़ काट कर सड़कों पर डाल दिए थे। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि जब स्टेट वाटर का और टैरोटोरियल का इशू चल रहा था तो उसकी रक्षा करने के लिए प्रान्त के हितों की खातिर लोगों ने पेड़ काट कर भी रास्ता रोका, ट्रैक्टर-ट्रालियों से भी रास्ता रोका। उन्होंने प्रोटैस्ट के तौर पर रास्ता रोका था। स्पीकर साहब, जो स्कीम थी, वह यह थी कि सड़कों या नहरों के किनारे पर जो पेड़ लगे हुए हैं, उनकी जो लास्ट लाईन होती है, वह किसान की फसल को नुकसान पहुंचाती थी, इसलिए उस समय यह फैसला किया गया था कि जब ऐसे पेड़ जो 15-20 साल बाद मैच्योर होंगे, ऐसे पेड़ों को फोरैस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा काटने के बाद अंशज के जरिए आधा पैसा किसानों को दिया जाएगा। यह पैसा उनको बतौर मुआवजे के तौर पर देना था। लीडर तो चेंज होते रहते हैं लेकिन पालिसी सरकार की वही रहती है। मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए क्या उस नीति को दोबारा से लागू करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री 1 इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात यह कही कि सरकार तो बदलती रहती है लेकिन नीतियां वही रहती हैं। मैं हा उस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इनके समय के दौरान जो नीति लागू की गई थी, वह यह थी कि जो पेड़ किसानों के खेत के साथ-साथ सड़कों पर या नहरों के किनारे पर लगाए जाएंगे उनको काटने पर आधा हिस्सा उस पेड़ का संबंधित किसान को मिलेगा। हमारी नीति यह है कि अगर हम कोई कीकर का पेड़ लगाते हैं तो वह 15-16 साल में जाकर मैच्योर होता है। इसलिए उससे पहले उसको काटने की हम अनुमति नहीं देते। (विष्णु) कीकर के पेड़ की छाया से खेत को नुकसान हो सकता है लेकिन अभी हमारी सरकार को आए हुए केवल अढ़ाई वर्ष हुए हैं और वे इतने छोटे पेड़ हैं कि उनसे किसान की फसल को नुकसान नहीं हो सकता। किसानों को मुआवजा देने व पेड़ काटने के बारे में हमारी नीति यह है कि जब तक हम यह नहीं देख लेंगे कि फलों वृक्ष से किसान की फसल को नुकसान हो रहा है, तब तक उसको काटने की अनुमति नहीं देंगे। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनी तो उस समय शुरू-शुरू में हमने इनकी नीति के मुताबिक 1000—2000 हेक्टेयर जमीन में जो पेड़ लगे हुए थे, उनका मुआवजा किसानों को दिया था लेकिन अब हमारी नीति इनकी नीति से अलग है।

तारांकित अश्न एवं उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 786

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री 0 राम बिलास शर्मा सदन में उपस्थित नहीं थे।

Raid Conducted on Veravali Hospital, Gurgaon

***809. Shri Dhirpal Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state whether any raid on the Veravali Hospital, Gurgaon was conducted by the Police during the year 1992; if so, the result thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : अतिरिक्त उपायुक्त, गुड़गांव द्वारा जनवरी/फरवरी, 1992 के समय के दौरान एक जांच की गई थी। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्टेशन सिटी, गुड़गांव में केस दर्ज किया गया था, जिसकी जांच अभी चल रही है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है, वह हमें जो रिटन रिप्लाई मिला है, उससे अलग है।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न में यह पूछा है कि क्या वर्ष 1992 के दौरान पुलिस द्वारा वेरावाली अस्पताल, गुड़गांव में कोई छापा मारा गया है, यदि ऐसा है, तो उसका क्या परिणाम निकला है ? इसका मैंने जवाब दिया है, नहीं। इसके बावजूद भी अगर माननीय साथी कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो वे पूछ सकते हैं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो लिखित उत्तर मिला है उसमें कहा गया है कि जनवरी/फरवरी, 1992 में ए0डी0सी0, गुड़गांव ने इन्कवायरी की थी। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि वह जांच रिपोर्ट पुलिस को किस तारीख को रैफर हुई थी ? (विध्वन)

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि रैड तो नहीं हुई थी। डी0सी0 गुड़गांव को रिटन शिकायत मिली थी और वह शिकायत सिटिजन राईट्स, हरियाणा द्वारा डी0सी0 को दी गई थी और वह शिकायत दिनांक 7-12-1991 को ए0डी0सी0 को सौंप दी। ए0डी0सी0 ने कुछ अधिकारियों को साथ ले कर मौके पर जा कर जांच की। उस में कौन-कौन से अधिकारी थे, यह भी मैं बता देती हूँ। एक डी0एस0पी0, एक डाक्टर और एक आई0ए0एस0 अधिकारी मौके पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर जा कर छानबीन की।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानकारी चाहता हूँ कि सिटी गुड़गांव में यह केस किस तारीख को दर्ज हुआ और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

सुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, 8-3-1994 को केस दर्ज हुआ था। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर आगे की कार्यवाही हो सकेगी।

(9)8

हरियाणा विधान सभा

[15 मार्च, 1994

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या बी०ए०एम०एस० डॉक्टर अंग्रेजी दवाइयाँ रिस्कमैड कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष : धीरपाल सिंह जी, यह सवाल तो रेड से संबंधित है, इसमें बी०ए०एम०एस० की कोई बात नहीं है।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं पर केस रजिस्टर्ड हुए हैं या इस बारे में कोई और जानकारी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो अलग से नोटिस दें। (बिन्द)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री साहिब काफ़ी इन्टैलीजेंट हैं और वे इस सवाल का जवाब दे सकती हैं, इसलिए मैं इसे जानकारी चाहूँगा कि जहाँ पर रेड डाली गई है।..... (बिन्द) स्पीकर साहब, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मेरी पर्सनल जानकारी में भी है। मेरे पास बी०ए०एम०एस० डॉक्टर का लैटर पैड है जिस पर आयुर्वेदिक डिग्री लिखी होने के बावजूद अंग्रेजी दवाइयाँ प्रैस्क्राइब की गई हैं, क्या एक बी०ए०एम०एस० डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ प्रैस्क्राइब कर सकता है ?

श्रीधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, शिकायत पर जो जांच की गई है, उसमें पाया गया है कि उनके पास सही डिग्री नहीं पाई गई थी। इसीलिए तो उनके खिलाफ़ केस दर्ज किया गया है और कानून के मुताबिक जो कार्यवाही हो सकती है, वह जरूर की जाएगी।

श्री कर्ण सिंह इलाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं..... (बिन्द)

Mr. Speaker : It is no question. Next question please.

Dadupur-Nalvi and Dadupur-Ladwa Canal

*798. Sathi Lehri Singh : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the construction work of Dadupur Nalvi Canal has been started; if so, the time by which it is likely to be completed ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : No Sir. The scheme is under consideration.

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम में आपका हल्का भी आता है और मेरा हल्का भी आता है। इससे चार जिले इफैक्ट होते हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने कहा है कि यह अन्डर कंसीड्रेशन है। पिछली बार सरकार ने कहा था कि यह कैनल स्कीम में ही नहीं है। मैं सरकार का आभारी हूँ कि इन्होंने इस बार स्कीम में इसे शामिल कर लिया है। अध्यक्ष महोदय यह किसान को लाईफ लाईन है। ऐसा करने से सरकार की 10 करोड़ रुपये की बिजली बच सकती है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि ये दादपुर नलवी पर कब तक काम शुरू कर देंगे ?

जीधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह सी 08 ब्ल्यू 0 सी 0 के पास अन्डर कंसीड्रेशन है और हरियाणा सरकार इस बारे में जागरूक है। जब सी 08 ब्ल्यू 0 सी 0 डिजाइन्ड देगी तो इस पर सरकार कार्यवाही करेगी।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जो नहर हमारे एरिया से निकलती है, उससे हमें पानी नहीं मिलता और यह हमारे साथ ज्यादाती होती है। हमें न तो डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 का पानी मिलता है और न ही आगमैटेशन का पानी मिलता है। हमारी जीरी और पेहें की फसलें सूख जाती हैं। क्या इन फसलों को बचाने के लिए सरकार हमें पानी देगी ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

जीधरी ओम प्रकाश बेरो : अध्यक्ष महोदय, दादपुर-नलवी नहर जब सैक्शन की गई थी, तब से लेकर आज तक इस पर कितने करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ? इसके साथ ही क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि जो बल्ले बैंक से आठ सौ करोड़ रुपये मिल रहे हैं उसमें से कुछ पैसा इस कैनल पर खर्च करने का प्रावधान करेंगे ?

जीधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम 1985 में सैक्शन हुई थी। उस समय यह स्कीम 13 करोड़ रुपये की थी और आज 65 करोड़ रुपये की है। पहले जब डिजाइन्ड किया था उस समय इसकी कैपैसिटी 590 क्यूबिक की थी और इससे जो एरिया कमान्ड हो रहा है, वह 1,86,114 एकड़ है। साडजा वर्गरह को मिलाकर इसकी टोटल लैन्थ 381.40 किलोमीटर है।

दूसरे इन्होंने बल्ले बैंक की बात कही है। यह बल्ले बैंक की स्कीम के तहत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ जमुना के पानी के बंटवारे की बात जुड़ी हुई है। जमुना का पानी पांच सूबों में बटना है और जब बंटवारा हो जाएगा, तब यह स्कीम आएगी। दादपुर नलवी, हथनी कुण्ड बैराज, डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 में पानी की कैपैसिटी बढ़ाना, जे 0 एल 0 एन 0 की सप्लाई ठीक करना, दिल्ली कैनल को पैरेनथल

[चौधरी जगदीश नेहरा]

बनाना, गुड़गांव कॅनाल की कॅपैसिटी बढ़ाना, किसान डैम, रेणुका डैम, गिरी बाटा डैम और जमुना हाईडल पावर स्टेशन की स्कीमें हैं जो पानी के बंटवारे के बाद ही पूरी होंगी। इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें जमुना के पानी से जुड़ी हुई हैं। अद्यतन महोदय, जब पानी का बंटवारा हो जाएगा तो केन्द्रीय सरकार से भी सहायता मिलेगी। इसमें किसी स्कीम पर 40 करोड़, किसी पर 80 करोड़, किसी पर 100 करोड़ और किसी पर 400 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। सर, इसका संबंध केन्द्रीय सरकार से है।

श्री के.एल. शर्मा : स्पीकर साहब, मैंने भी इसी क्वेश्चन को हाऊस में मार्च 1992 के सेशन में उठाया था और उस समय मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि ये दादपुर-नलवी की जो स्कीम है, यह ग्रैंडर कंसीट्रेशन है लेकिन बाद में कहा कि यह स्कीम छोड़ दी गई है। परन्तु अब फिर मन्त्री जी ने लहरी सिंह के सवाल के जवाब में बताया है कि यह स्कीम अभी ग्रैंडर कंसीट्रेशन है लेकिन 1993 के सेशन में भी इन्होंने कहा था इस स्कीम को शुरू करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो इन्होंने कहा कि यह स्कीम ग्रैंडर कंसीट्रेशन है, यह किन प्रायंट्स के आधार पर कहा गया है? क्या कोई पैसा इसके लिए मंजूर हुआ है और इसके बारे में कोई एक्शन लिया गया है, अगर लिया है तो इस को कब तक चला कर देंगे?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इस स्कीम को ग्रैंडर कंसीट्रेशन इस लिए कहा गया है क्योंकि कई मुद्दे और कई चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। (विष्णु) स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ग्रैंडर कंसीट्रेशन का मतलब है कि अभी हमारे हाथ में पूरी तरह से यह बात नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह स्कीम पांच सुबों से जुड़ी हुई है, जिसमें हिमाचल, यू.पी.0, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। इन सुबों के बीच में जो भी समझौता होगा, उसके बाद ही यह केस केन्द्रीय सरकार के सी.0इन्फ्यू.0सी.0 के सामने रखा जायेगा तथा इसके बाद प्वाजियल कंभेशन में जाएगा और उसके बाद ही इसके लिए बजट में प्रावधान किया जायेगा। स्पीकर सर, इस तरह से यह सारा सिस्टम कम्प्लीट करना है इसीलिए यह स्कीम ग्रैंडर कंसीट्रेशन है। यह काम इनकी सरकार की औकात से बाहर का है।

श्री 0 सत्यत सिंह : स्पीकर सर, अभी नेहरा जी ने कहा कि यह काम हमारी औकात का नहीं है। (विष्णु) स्पीकर सर, सवाल दादपुर नलवी का था। अभी नेहरा साहब ने बड़ी ही सीरियस बात कही है जिसके बारे में हमने भी बार-बार सवाल उठाया है और मुख्य मन्त्री जी ने भी अपना बयान दिया है। स्पीकर सर, इन्होंने बड़े धड़कले से गवर्नर पेट्रोल में भी बोल दिया कि जमुना के चाटर में केवल दो

ही स्टेड्स का क्षेत्र है, और वह है यू०पी० और हरियाणा । लेकिन अभी नेहरा जी कह रहे हैं कि जमुना के वाटर में पाँच स्टेड्स का डिस्प्यूट है और इनके बीच में जल्दी ही कोई फैसला होने वाला है । ये इस फैसले के बाद ही दादूपुर नलवी स्कीम को टेकअप करेंगे । उन्होंने कहा कि यह स्कीम अभी अंडर कंसीड्रेशन है । मैं इतने पूछना चाहूँगा कि ये दोगली बातें क्यों करते हैं ? मुख्यमन्त्री जी स्पष्ट करें कि क्या उस जमुना के वाटर में उन तीनों स्टेड्स का भी हिस्सा है ? स्पीकर सर, मैं मुख्यमन्त्री जी से कहूँगा कि मंत्री जी ने जो बयानबाजी की है, उसको स्पष्ट करें । हमें मन्त्री जी की बात से शंका हो रही है । स्पीकर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दादूपुर नलवी की स्कीम जमुना के पानी से जुड़ी हुई है । जितना जमुना का पानी फालतू होगा, वह इस स्कीम के माध्यम से दादूपुर-नलवी कॅनाल में आएगा । (विपक्ष) स्पीकर सर, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, गलत बात कहने से कोई फायदा नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बरसात में तो आपके पास काफी पानी ही जाता है । क्या आप उस नहर को बनाकर बरसात के मौसम में उसमें पानी नहीं छोड़ सकते ?

श्रीधर जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, यही कई बातें अंडर कंसीड्रेशन हैं । जो सवाल आपने किया है, वह बड़ा रिलेवेंट है और इसलिए जो समझौते होने हैं, उनके सहित इस नहर की जो कैपेसिटी है, यानी बारह हजार क्यूबिक से तेईश हजार क्यूबिक के लिए इस नहर को तैयार करना है जो पलड का वाटर भी ले जाए, चाहे वह इरीगेशन के लिए हो, चाहे री-चांजिंग के लिए हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप बैठ जाइए । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (श्रीधर भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, इसमें सिवाये हरियाणा और यू०पी० के इरीगेशन के लिए बाकी और किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है । पीने के पानी के लिए मानवता के आधार पर सारे देश की पौसिखी बनने जा रही है कि जहाँ पीने के पानी का संकट है, वहाँ पीने का पानी बिया जाए । दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं । उन्होंने पंजाब से भी कहा है कि एस०वाई०एल० के रास्ते से दिल्ली को पीने का पानी दें । इसी बात को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली में 3-4 बार मीटिंग हुई हैं कि दिल्ली को पीने का पानी देना है । दिल्ली वाले भी बदले में हमको पानी देंगे । दिल्ली का जो गन्दा पानी है, उसको बाकायदा साफ करके हमें सप्लाई करेंगे ।

श्री० सम्पत सिंह : इसमें और कौन-कौन सी स्टेट्स शामिल हैं ?

श्रीधर भजन लाल : इनमें यू०पी०, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पाँचवाँ हिमाचल प्रदेश है ।

श्री अध्यक्ष : हिमाचल से तो सारी नदियाँ होकर आती हैं ?

जौधरी भजन लाल : हिमाचल को पानी नहीं, बिजली की बात है। रेणुका और किसान डैम के पानी में हिमाचल का शेयर नहीं है। मैं चार स्टेड्स हूँ। वैसे शेयर तो दिल्ली का भी नहीं है। पानी अगर सिंचाई के लिए दिया जाए तो पानी के बंटवारे का सवाल होता है। मानवीय आधार पर उनको पीने का पानी दिया है क्योंकि दिल्ली में आबादी बढ़ रही है। हरियाणा के लोग भी वहाँ रहते हैं, 50पी0 के लोग भी रहते हैं। देश की मान सयॉदा का सवाल है। अगर हम पीने का पानी दिल्ली को नहीं दे सकेंगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? मानवीय आधार पर सिर्फ आर्जी तौर पर कुछ समय के लिए पीने के लिए पानी दिया है। इसमें शेयर की कोई बात नहीं है। बार-बार वैसे ही ये बात कह रहे हैं, अब बात खत्म हो गयी है। (व्यवधान व शोर)

प्रो० सुखत सिंह : स्पीकर सर, इन्होंने यह कहा है कि 5 स्टेड्स की टाक्स ही रही है और मामला अंडर कंसीडेशन है। (व्यवधान व शोर)

Declaration of Farukh Nagar as a Sub-Tehsil

*753. **Shri Mohan Lal Pippal :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Farukh Nagar as a Sub-Tehsil; and

(b) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materialized ?

राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह) :

(क) हाँ जी।

(ख) निश्चित समय नहीं दिया जा सकता।

श्री मोहन लाल पिपल : स्पीकर महोदय, मन्त्री जी ने मेरे सवाल के भाग "क" के जवाब में 'हाँ जी' कह दिया है लेकिन "ख" का जवाब देते समय यह कह दिया है कि इस बारे में निश्चित समय नहीं दिया जा सकता। सर, यह तो हमारे इलाके की मांग है इसको कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री निर्मल सिंह : अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

Construction of Metalled Roads

*853. Shri Chander Mohan : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to launch a crash programme to connect all the villages in Shivalik Region with metalled roads; and
- (b) if so, the time by which the villages as referred to in part (a) above are likely to be connected ?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) :

(क) और (ख) : शिवालिक क्षेत्र के शेष काबिल डायरेक्ट्री गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है परन्तु इतका पूरा करना भारत सरकार द्वारा डिफॉरैस्टेशन की अनुमति जहाँ तक आवश्यक हो तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने यह बताया है कि भारत सरकार जब मंजूरी देगी, तब इस क्षेत्र के बाकी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार से मंजूरी लेना तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, किसी आदमी विशेष का काम नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार की यह नीति है कि हरेक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। मैकनी इलाके में तो सरकार ने शुरू बरों में काफी सराहनीय कार्य किया है लेकिन भेरे क्षेत्र मोरनी के पहाड़ी क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं है। उन गांवों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। भारत सरकार से आप कब तक मंजूरी प्राप्त कर लेंगे और कब तक वहाँ पर काम शुरू करा देंगे? अब तक क्या ऐकशन हुआ है, क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस पहाड़ी क्षेत्र के लगभग हरेक गांव को, जिनकी आबादी मैदान में 250 की है और पहाड़ी क्षेत्र में 150 की है पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। अब केवल 7 गांव ऐसे हैं, जिनको जोड़ना शेष रहता है। राज्य सरकार इसके लिये पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यह सड़कें तभी बन सकेंगी जब उन पर डी-फारैस्टेशन का काम करने के लिए भारत सरकार से अनुमति मिल जायेगी। इस बारे में हम कई पत्र भारत सरकार को लिख चुके हैं और हर लेवल पर मोटिंग भी हो चुकी है। अब आशा की जाती है कि डी-फारैस्टेशन के कार्य के लिये जल्दी ही हमें अनुमति मिल जायेगी। लेकिन इन सड़कों को जोड़ने के लिये अवधि या कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि जब तक फारैस्ट डिपार्टमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्लीयरेंस मिल जाये, तब तक हम इनको बना नहीं सकेंगे।

Upgradation of Schools

*744. Chaudhri Om Parkash Beri : Will the Minister for Education be please to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the following schools—
- (i) Govt. Girls High School, Beri to Senior Secondary School;
 - (ii) Govt. Girls Middle School, Majra to High School;
 - (iii) Govt. Girls Primary School, Chimni to Senior Secondary School;
 - (iv) Govt. Primary School, Bakra to Middle School; and
- (b) if so, the time by which the schools referred to in part (a) above are likely to be upgraded ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana) :

(a) No, Sir.

(b) Upgradation cases can be considered as per need of the area and subject to the availability of funds.

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अपग्रेडेशन के लिये फंडिंग होने चाहिये। जहाँ तक अवेलेबिलिटी आफ फंडिंग का ताल्लुक है, वह तो ये खुद ही करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। जिन स्कूलों का जिक्र मैंने अपग्रेडेशन के लिये अपने सवाल में किया है, मैं इस बारे में इन को यह बता दूँ और इस बारे में चाहे वे अपने डिपार्टमेंट से पूछ भी लें कि 21-6-1962 को, जब मुख्य मन्त्री बेरी में गये थे, तो वहाँ पर इन स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिये एलान करके आये थे। जहाँ तक बेरी का ताल्लुक है, वहाँ पर 20 हजार के करीब आबादी है। इसमें दो हजार के करीब लड़कियाँ/बच्चियाँ पढ़ती हैं। इसी तरह से एक माजरा गाँव है। उसकी आबादी भी करीब 13,000 है। इसी तरह से चिमनी की आबादी 7-8 हजार के करीब है। वहाँ पर बिल्डिंग एक कालेज जसी बना रखी है। इसी तरह से वाकरा में भी यही हालत है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या वे इन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए आश्वासन देंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, बेरी साहब ने कहा है कि मुख्य मन्त्री जी बेरी गए थे और इन स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा करके आए थे। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने केवल बेरी के स्कूल के लिए घोषणा की थी। मैं बेरी साहब को बताना चाहता हूँ कि बेरी में पहले से 10+2 का स्कूल चल

रहा है, इसलिए परभावश्यक न समझ कर उस पर अगले वर्ष विचार कर लिया जाएगा। जहाँ तक दूसरे स्कूलों के अप्रेशन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, प्रान्त में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर 2.33 किलोमीटर की परिधि से कोई स्कूल दूर पड़ता हो। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब हम और आप पढ़ा करते थे तो दस बारह किलोमीटर हमें स्कूल के लिए जाना पड़ता था। आज तो शिक्षा विभाग ने शिक्षा के केंद्र जगह-जगह खोज दिए हैं। आज शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी क्षेत्रना पैदा कर दी है। आप लोग अध्यापकों को कहें कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और बच्चों को पढ़ाएं।

चौधरी अजमत खां: अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि हरियाणा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ 2.33 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर 10+2 का कोई स्कूल न हो। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में आज हथीन से मड़कोला पन्द्रह किलोमीटर का फासला है लेकिन वहाँ बीच में 10+2 का कोई स्कूल नहीं है, मलाई से वहीन प्यारह किलोमीटर है और वहाँ कोई स्कूल नहीं है। मलाई से हथीन प्यारह किलोमीटर का फासला है लेकिन वहाँ पर बीच में कोई 10+2 का स्कूल नहीं है। हथीन से औरंगाबाद का फासला तेरह किलोमीटर है लेकिन वहाँ भी 10+2 का कोई स्कूल बीच में नहीं है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये अम्बाला के आंकड़े दे रहे हैं या भिखानी, हिसार और सिरसा के आंकड़े दे रहे हैं ?

श्री फूल चन्द मुस्ताना : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त अजमत खां स्वयं प्रश्नापक रहे हैं। ये जो मैंने फिगरज दी हैं, ये ऐवरेज फिगरज हैं। ये जो पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर का फासला बता रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पन्द्रह किलोमीटर तक कोई स्कूल न हो। जो मैंने फिगरज बताई है, उसका मतलब यह है कि फासला ऐवरेज इतना बनता है।

श्री असीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, कौन से इलाके की ऐवरेज बता रहे हैं ? ये हरियाणा की ऐवरेज बता रहे हैं या किसी और इलाके की ऐवरेज बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी ऐवरेज दो तीन किलोमीटर नहीं बनती। हर जगह दस पन्द्रह किलोमीटर से कम फासले पर कोई भी 10+2 का स्कूल नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 10+2 की बात नहीं है। जो फासला बताया गया है वह स्कूल का बताया गया है। हर किलोमीटर पर एक प्राईमरी स्कूल है, दो किलोमीटर पर मिडिल स्कूल है और पांच किलोमीटर पर हाई स्कूल है। ऐसा नहीं कहा कि 10+2 का स्कूल 2.33 किलोमीटर पर है।

श्री रमेश खन्ना : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि हर 2.33 किलोमीटर पर 10+2 का स्कूल है। स्पीकर साहब, इतने फासले पर कहीं कोई स्कूल नहीं है। मेरे बड़ौदा हल्के में सिवानका गांव है, वहां के बच्चों को आठ-आठ किलोमीटर पर स्कूल जाना पड़ता है। न वहां पर कोई हाई स्कूल है और न कोई 10+2 का स्कूल है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे हल्के के सिवानका गांव में कोई 10+2 का स्कूल खोलने की स्कीम विचाराधीन है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अभी कोई विचार नहीं है।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में कितने प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल अपग्रेड किया जायेगा, कितने मिडल से हाई और कितने हाई से 10+2 बनाए जाएंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने एक सवाल के जवाब में बताया था कि यह सब कुछ बजट पर निर्भर करता है। इस बार माननीय सदस्य ने वि. मन्त्री श्री संगीराम गुप्ता जी का एड्रेस भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि 50 स्कूल प्राइमरी से मिडल और 25 स्कूल मिडल से हाई अपग्रेड किये जाएंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 759

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री हरियाणो सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Jaundice Disease in Pehowa City

*818. Shri Jaswinder Singh : Will the Minister for Health be pleased to state—

- whether any cases of Jaundice disease have been reported from Pehowa City during the months of November, December, 1993 and January, 1994, if so, the reasons therefor; and
- the steps, if any taken to prevent the occurrence of such type of disease in future ?

श्री रमेश खन्ना : मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) :

- हां, मार्च, नवम्बर, दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी, 1994 के दौरान पहेवा शहर में पीलिया रोग के 4 मामले प्रकाश में आए हैं।

पौलिया एक जल दूषित रोग है जो मल दूषित जल के पीने से होता है।

- (ख) (1) पीने के पानी की क्लोरीनेशन।
- (2) लॉकिंग पाईपों की मरम्मत करना।
- (3) रेजिडुव क्लोरीन तथा जीवाणु परीक्षण के लिये पानी के नमूनों की नियमित जाँच।
- (4) स्वास्थ्य शिक्षा।
- (5) ऐपीडेमिक डीजीजिज एक्ट, 1897 को लागू करना।
- (6) जिला स्तर पर दूषित जल से फैलने वाले रोगों के नियंत्रण हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सिविल सर्जन, अधीक्षक अभियन्ता/कार्यकारी अभियन्ता (जल स्वास्थ्य), जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा प्रधान नगरपालिका सदस्य होते हैं।

श्री जसविन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मन्त्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में यह माना है कि मास नवम्बर, दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी, 1994 के दौरान पेहवा शहर में पौलिया रोग के केवल 4 मामले प्रकाश में आये हैं। अध्यक्ष महोदय, पेहवा एक घाटी स्थान है, वहाँ पर घाटी आते जाते रहते हैं और लगभग 50 के करीब वहाँ प्राइवेट हस्पताल भी हैं। वहाँ पर 7 कैसिज गवर्नमेंट हस्पताल में काफी सीरियस हैं और लगभग 600-700 कैसिज हमारे नोटिस में आ चुके हैं जिनमें से दो व्यक्तियों की तो मौत भी हो चुकी है। इस रोग के फैलने का कारण यह है कि वहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है, वह बहुत ही खराब हो चुका है और सीवरेज का गन्दा पानी पीने के पानी के साथ मिल जाता है। 12 नम्बर वार्ड में तो यह शिकायत सब से ज्यादा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन सारे हालात को देखते हुए वे कब तक पीने के स्वच्छ पानी का प्रबन्ध लोगों के लिये करवा पाएंगी ताकि लोगों को इस रोग से बचाया जा सके जो सीवरेज की गन्दगी के कारण फैलता है ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और आज एक बहुत जटिल समस्या सीवरेज के गन्दे पानी की और स्वच्छ पानी की हमारे समक्ष खड़ी है। जैसे तो सीवरेज की पाईपस और स्वच्छ पानी की पाईपस एक दूसरे से काफी दूरी पर होनी चाहिये लेकिन वहाँ पर दोनों ही पाईपस साथ साथ चल रही हैं जिससे सीवरेज का जो दूषित पानी है, वह स्वच्छ पानी में मिल रहा है क्योंकि वे दोनों पाईपस बिल्कुल साथ साथ जा रही हैं।

[श्रीमती शान्ति देवी राठी]

पाईप्स की लीकेज के कारण पानी आपस में मिल जाता है और लोगों को वह गन्दा पानी पीने से पीलिया का रोग हो जाता है और इससे बच्चे, बूढ़े व जवान, सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात इनकी सही है कि पीलिया एक जल दूषित रोग है जो मल दूषित जल के पीने से होता है। इसकी रोकथाम के लिये सकारण पूरी तरह से सजग है। इसके लिये जन स्वास्थ्य विभाग से भी मैंने निजी तौर पर अनुरोध किया है और लिखा है कि वह कम से कम किसी भी विस्तार से पहले, जो खस्ता हालत की सीवरेज की या दूसरी पाईप्स है, जो 14-14, व 15-15 साल पुरानी चली आ रही हैं, कम से कम उनको पहले रिप्लेस करें। इस बारे में काफी काम हुआ भी है और भविष्य में हम और सतर्कता बरत रहे हैं। हमारा भविष्य में यह प्रयास होगा कि सीवरेज के पानी से जो दूषित जल होता है, उसकी लीकेज के कारण भविष्य में ऐसा कोई वाक्या न होने पाए। जैसा इन्होंने कहा है कि पीलिया के ज्यादा केसिज हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई हैं, मैं इस बारे में इन्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तक हमारे रिकार्ड के अनुसार केवल चार मामले प्रकाश में आये हैं, मृत्यु का कोई केस अभी तक हमारे सामने नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, पेहवा एक तीर्थ स्थान है। बहुत सारे माली रोजाना आते जाते हैं। पेहवा के बारे में बताएं कि स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी ?

श्री जसविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं आया है। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि सात केसिज हमारी जानकारी के अनुसार काफी सीरियस हैं। वहां के जो तहसीलदार हैं, वे शेर सिंह जी के रिश्तेदार हैं, वे बीमार हुए, सिविल हस्पताल के डाक्टर श्री सोहली भी बीमार हुए। म्युनिसिपल कमेटी के जो प्रेजिडेंट हैं, उनका बेटा बहुत सीरियस है। इस तरह से और बहुत से केसिज हमारी नालिज में हैं। मन्त्री महोदय ने तो केवल वे फिगर बतवाई हैं जो सिविल हस्पताल की हैं। पेहवा में लगभग 50 के करीब प्राईवेट हस्पताल हैं जहां पर लोग इस रोग का इलाज करवा रहे हैं। मेरा स्पीकर साहब, आपके माध्यम से यह कहना है कि कब तक वे पेहवा के दूषित जल को पीने के लायक बनवा देंगे और कब तक सीवरेज की जो टूटी फूटी पाईप्स हैं, जिनका पानी रिस कर पीने की पाईप्स द्वारा लोगों के घरों तक जाता है, उसको रिपेयर करवा देंगे ताकि लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके और इस तरह पीलिया जैसी अथानक बीमारियां आने से न हो सकें, कब तक यह कार्य करवा देंगे ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि पीलिया से पीड़ित काफी केस हो सकते हैं लेकिन विभाग ने जो रिपोर्ट मुझे दी है, वह मैंने यहाँ पर बता दी है। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में और केसिज हैं तो वे हमें लिख कर भेज दें, उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। हमने जन स्वास्थ्य विभाग से

पहले ही अनुरोध कर रखा है कि जो पाइप लीक कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करवाया जाये।

मुख्य मंत्री (श्रीधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जिस जगह पर पाइप ठीक नहीं है यानी पाइप से लीकेज हो कर पीने वाले पानी के साथ सीवरेज का पानी मिल जाता है तो उस गन्दे पानी को पीने की बजाह से पीलिये की बीमारी फैल सकती है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर ऐसी समस्या है, जहाँ सीवरेज के पाइप लीक करते हैं, उनको सबसे पहले बदला जाएगा ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी देकर पीलिये की बीमारी से बचाया जा सके।

Chhainsa Power Sub-Station

***824. Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the capacity of power Sub-Stations of Chhainsa in District Faridabad ?

Power Minister (Shri A.C. Chaudhary) : Yes, Sir.

श्री राजेंद्र सिंह बिसला : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पावर पोर्टफोलियो संभालने के बाद इसमें बहुत सुधार किया है। मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 'जी हाँ'। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल मात्र 'जी हाँ' कहने से मेरे क्षेत्र के लोगों की तसल्ली नहीं होगी। उभयथा आप सदन में आश्वासन दें कि छायासा के पावर सब स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम आने वाले अप्रैल के महीने में शुरू कर दिया जाएगा ?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, आनरेबल मंत्री ने जो अपने इलाके का दुख जाहिर किया है, मैं उसके साथ सहमत हूँ। इस समय चूँकि छायासा को हम बदरोला से सप्लाय दे रहे हैं, फिर भी छायासा में एक की बजाए दो ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। सरकार को इस बात का एहसास है और यह कमी तो आज के दिन हम पूरी कर लेंगे लेकिन हमें पता है कि आने वाले दिनों में बिजली की कमी होगी, इसलिए हमने उसके लिए एक रिपोर्ट पहले ही मांग ली है। हमने उसकी टेक्नीकल फिजिबिलिटी मांग ली है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत नहीं आएगा कि आपको गिला रहे। हम पीसे के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस करन्ट ईयर में सारा काम क्लीयर करके काम शुरू करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री श्री राम केहरवाला : अध्यक्ष महोदय, पावर सब स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाने की कई जगह जरूरत है। जैसे एलताबाद में और करीवाला में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वे जरूरत के मुताबिक छोटे हैं। वहाँ की जरूरत कब तक पूरी कर दी जाएगी ?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, यह सवाल तो बल्लभगढ़ के छाया का था लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि मैंने पिछले दो तीन सवालों के जवाब में हर जिले के बारे में डिटेल्स में बताया है। जहाँ ये समझते हैं कि ओवर लोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर को एडीशनल रिक्वायरमेंट है, वे कृपया मुझे बता दें ताकि मैं उन पर हाउस में फार्मैलिटी के तौर पर जवाब ही न दूँ बल्कि उस काम को करवा भी सकूँ।

Cases Registered under the violation of Essential Commodities Act

***836. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

- (a) whether any cases have been registered under the violation for Essential Commodities Act with the Police in the State during the year 1993-94, if so, the number thereof; and
- (b) the number of licences of depot holders, if any cancelled under the detection of mal-practice and irregularities in Public Distribution System in the State during the period mentioned in Part(a) above ?

खाद्य एवं पालि मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

- (क) हाँ, वर्ष 1993-94 में (28 फरवरी, 94 तक) आवश्यक वस्तुओं अधिनियम की उल्लंघना करने पर पुलिस के पास 100 मामले दर्ज करवाये, और
- (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान जन वितरण प्रणाली के तहत अवैध कार्य करने तथा अनियमितताएँ करने के कारण 180 डिपो धारकों की प्रयोरेटो (जिसे आमतौर पर डिपो का लाइसेन्स भी कहा जाता है), रद्द किये गये।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना 15.00 बजे चाहूँगा कि जो 100 मामले दर्ज किए गए हैं, उनका जिलावार ब्यौसा क्या है तथा किस किस जिले में कितने कितने केस दर्ज हुए हैं ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, फरवरी, 1993-94 तक जिल डिपो होल्डर्स या लाइसेंसिज की अनियमितताएँ पाई गईं, उनके खिलाफ 100 केस दर्ज करवाए गए। उनका जिलावार ब्यौसा इस प्रकार है : अम्बाला जिले में पाँच, जमुनानगर जिले में 13, भिवानी जिले में तीन, सोनीपत जिले में चार, रिवाड़ी जिले में 6,

कैथल जिले में पांच, हिसार जिले में 8, सिरसा जिले में 10, कुरुक्षेत्र जिले में एक, फरीदाबाद जिले में 10, गुड़गांव जिले में 10, रोहतक जिले में दो, पानीपत जिले में 15, करनाल जिले में तीन, और नारनौल जिले में पांच। इस तरह से लगभग 100 केंस बज हुए।

Harijan Chaupais

*841. Shri Ram Rattan : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

- the number of Harijan Chaupais, if any, lying incomplete in Hassanpur Block, Distt. Faridabad; and
- the time by which construction work of the aforesaid Chaupais is likely to be completed?

विकास मंत्री (राव बन्सी सिंह) :

(क) फरीदाबाद जिले में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्पीकर साहब, भाई राम रतन ने यह सवाल पूछा है कि जिला फरीदाबाद के हसनपुर ब्लॉक में कितनी हरिजन चौपालें अधूरी पड़ी हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हसनपुर कोई ब्लॉक नहीं है इसलिए वहां पर कोई हरिजन चौपाल अधूरी रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल मैं इनकी तत्पत्नी के लिए बताना चाहूंगा कि इनकी कांस्टीच्यूएंसी में दो ब्लॉक पड़ते हैं—एक होडल और दूसरा पलवल। अब तक माननीय सदस्य की कांस्टीच्यूएंसी में 59 हरिजन चौपालें कम्प्लीट की जा चुकी हैं। अब 25 चौपालें रहती हैं जिनको कम्प्लीट करना है। ज्यों ही एक 0 डी 0 से पैसा रिलीज होगा, उनको कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे।

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में प्रहलादपुर, हुसनाबाद, डकोरा, कुशलीपुर, शमसाबाद, बाता, गुन्दवास, करवन, सतवागढ़, गुलाबद, लिखि और रुंधी यानि कम से कम 25 चौपालें ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हैं, उनको कब तक पूरा करवा दिया जाएगा ?

राव बन्सी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से भाई राम रतन जी को अभी बताया था कि 25 चौपालें इनकम्प्लीट हैं। चौपालों के लिए 25 लाख रुपया मंजूर किया गया था, जिसमें से 15 लाख रुपया रिलीज हो चुका है और वह पैसा हमने जिलावाइज डी 0 सी 0 को भेज दिया है। अब 10 लाख रुपया रिलीज

(9)22

हरियाणा विधान सभा

[15 मार्च, 1994]

[राव बंसी सिंह]

होना बाकी रहता है। ज्यों ही पैसा हमारे पास आएगा, हम डी० सी० डी० को भेज देंगे और उस पैसे से जितनी बीपीएलें कम्प्लीट की जा सकेंगी, उनको कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मंत्री, अब क्वेश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखा गया तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Cases of Embezzlement

*773. Ch. Azmat Khan : Will the Minister for Power be pleased to state—

- whether any cases of embezzlement in Hodel, Nuh and Ferozpur Jhirka sub division of H.S.E.B. has been detected during the period from 1986 to 1992; and
- if so, the total amount involved in each case of embezzlement togetherwith the names of the officials held responsible therefor and the action taken against them ?

Power Minister (Shri A.C. Chaudhary) :

(a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Following cases of embezzlement were detected during the period 1986 to 1992 in respect of the Operation Sub Divisions of Hodel and Nuh. There was no case of embezzlement at Operation Sub Divisions, Ferozpur Jhirka during the period.

Name of Sub Division	Amount involved	Name of officer/ Official	Action taken
Operation Sub Division, Nuh.	Rs. 10,53,405.92	Sh. Ajit Kumar Jain, L.D.C. (Cash)	Official arrested and released on bail. Presently under suspension. Case under investigation by Police.
Operation Sub Division, Hodel	Rs. 11,78,174.80	Sh. Siri Chand, Cashier. Sh. Gaisi Ram, U.D.C. (R) Sh. ulshan Nagpal, S.D.O., Sh. Girraj Singh, S.D.O. Sh. I.M. Jain, S.D.O. Sh. R.D. Dhiman, J.E.-I	Sh. Siri Chand Cashier arrested and released on bail. The extent of responsibility of other officials is being determined for punitive action.

अतारंकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Roads

175. Shri Mani Ram Rupawas : Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the following roads of Distt. Sirsa—

- (i) from village Rupawas to Jorkia;
- (ii) from village Kumhariya to Rajasthan border;
- (iii) from village Sahuwala-II to Sherpura;
- (iv) from village Rupana Khurd to Nirwan; and
- (v) from village Bakriyawali to Moriakhera; and

(b) if so, the time by which the afore-said roads are likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डोगी) :

- (क) और (ख) क्रमांक 2, 4 और 5 पर वर्णित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है । इन सड़कों का निर्माण धन की उपलब्धि के अनुसार जल्दी से जल्दी कर दिया जायेगा । क्रमांक 1 तथा 3 पर वर्णित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है । क्रमांक 1 तथा 3 पर वर्णित सड़कों के निर्माण के समय निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Veterinary Hospital/Dispensary

176. Shri Mani Ram Rupawas : Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the most of the Veterinary Hospitals/Dispensaries of Darba-Kalan of Block Nathusari Chopta District Sirsa are without Doctors; if so, the time by which the doctors are likely to be posted therein; and

(b) whether it is also a fact that the most of the buildings of Veterinary Hospitals/Dispensaries of above said Block are in dilapidated condition; if so, the time by which the aforesaid buildings are likely to be repaired ?

पशुपालन राज्य मंत्री (राज धर्मपाल) :

(क) जी नहीं, केवल मात्र 1 पशु हस्पताल एवं प्रजनन केन्द्र तथा 12 पशु शोधशालाएँ, बिना पशु चिकित्सक/पशुधन विकास सहायक (बी० एल० डी० ए०) के हैं। इन पदों को भरने बारे पत्र उठाए जा रहे हैं।

(ख) जी हाँ, उत्तकी हालात अच्छी नहीं है। पशु हस्तशाला/शोधशालाओं के भवनों की मरम्मत हेतु धनराशि उपलब्ध होते ही कार्यवाही की जाएगी।

Construction of Water Works at Village Rupawas and Arnianwali

177. Shri Mani Ram Rupawas : Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether the construction work of water works of village Rupawas and Arnianwali of Distt. Sirsa are lying incomplete; and

(b) if so, the time by which the work on the aforesaid water works is likely to be completed ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री रामपाल सिंह कंवर) :

(क) जी हाँ।

(ख) रुपावास का जलघर दिनांक 22-12-94 तक तथा अरनियावाली का जलघर 9/94 तक पूर्ण हो जायेगा।

कथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न

श्री कर्ण सिंह बल्लास : स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में आज ही हमारे सदन के नेता चौधरी भजन लाल के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपने यह प्रिविलेज मोशन कितने वजे दिया है ?

श्री कर्ण सिंह बल्लास : मैंने 11.45 वजे दिया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने 12.45 वजे दिया है।

श्री कर्ण सिंह बल्लास : स्पीकर साहब, हाउस में पिछले दिनों मनोज कुमार मण्डल के बारे में चर्चा हुई थी, उस समय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि धनिक

लाल मंडल का कोई मामला नहीं है। लेकिन स्पीकर साहब, मैंने काफी भागदौड़ करके हर महकमे से कागज इकट्ठे किए हैं और मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुख्य मंत्री महोदय ने राज्यपाल महोदय की नजरों में अपनी छवि बनाने के लिए सदन के समक्ष जो स्टेटमेंट दी, वह गलत थी। यह मनोज कुमार मण्डल, विधायक पिता का नाम हरिकिशन मण्डल है, उनका एफिडेविट स्पीकर साहब, एक जगह नहीं, 3 जगह हरियाणा प्रदेश के कार्यालयों में पड़ा हुआ है। यही नहीं, इससे भी बड़ा धमका यह है कि जो मनोज कुमार मण्डल है, वह बैकबर्ड क्लास से संबंध रखता है। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से 500 रुपये स्टार्पैड लेने के लिए फार्म में बी० सी० को काट कर एस० सी० लिखा गया है और 500 रुपये का स्टार्पैड वह एक दो महीने का ले चुका है। जिसके चेक नं० व ड्राफ्ट नं० मेरे पास लिखे हुए हैं। स्पीकर साहब, यही नहीं, गवर्नमेंट कालेज के उन दिनों वहाँ पर हरिसिंह प्रिंसिपल हुआ करते थे जिन्होंने इस मनोज कुमार मण्डल के लिए सारे गलत तरीके से काम किये। जब उस हरिसिंह का वहाँ से तबादला हुआ तो मनोज कुमार मण्डल ने फरीदाबाद कालेज के दफ्तर से गवर्नर साहब के निवास स्थान पर टेलिफोन बुक करवाया जिसका नंबर बकायदा वहाँ के रजिस्टर में दर्ज है और अक्सर, वहाँ के जो लेक्चरर हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया करता है, उनके तबादले रुकवाने और करवाने का काम किया करता था। स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जानबूझ कर हमारे जो प्रैस के भाई हैं, उनमें अपनी छवि बनाने के लिए, इस देश में और प्रदेश में छवि बनाने के लिए, इस सदन को गुमराह किया है। स्पीकर साहब, यही हमारे मुख्यमंत्री महोदय की आदत है। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अभी आप सुनो कि मैं क्या कहने वाला हूँ ? (विघ्न) पहले आप सुनिए।

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, आपकी बात ही चुकी है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह बलाल: स्पीकर साहब जब मनोज कुमार मण्डल को 500 रुपये स्टार्पैड शिडयूल्ड कास्टस के नाम से दिए गए तो हरियाणा के अधिकारियों ने आडिट ऑब्जेक्शन लगाया और उस आडिट ऑब्जेक्शन को तकास करके उसको 500 रुपये का स्टार्पैड दिया गया। स्पीकर साहब, जब शिडयूल्ड कास्टस का स्टार्पैड लेना होता है, तो एस० सी० का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। वह व्यक्ति हरियाणा की जिस तहसील का रहने वाला है, वहाँ के उप-मण्डल अधिकारी (भा०) से सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे जाति प्रमाणपत्र कहते हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब वह फार्म मैंने आपकी सेवा में दिया है। (विघ्न) इसमें एस० डी० एस० का कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है। (शोर)

चौधरी भजन लाल: आप सुनेंगे तो पता लगेगा। (शोर) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे पहला निवेदन यह है कि अगर कोई आदमी हाउस में गलत प्रिविलेज मोशन के

[चौधरी भजन लाल]

तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए ? (विधन) एक तो इस बाब में मैं आपकी कृतिंग चाहूंगा कि कोई गलत स्टेटमेंट दे तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए ? दूसरे, जो इन्होंने कहा है, उसके लिए मेरा चैलेंज है या तो ये सदन से इस्तीफा दे देंगे या मैं दे दूंगा अगर मनोज कुमार गवर्नर साहब का पोता है और उसके बाप का नाम हरिकिशन है। गवर्नर साहब के किसी बेटे का नाम हरिकिशन नहीं है। गवर्नर साहब के दो बेटे हैं और इन दोनों बेटों का नाम हरिकिशन नहीं है। आज कोई धादमी लिख दे सन आफ भजन लाल। भजन लाल एक ही है देश में क्या ? कोई लिख दे जवाहरलाल नेहरू। गलती से नहीं लिखा, वह गलती कर बैठा, उसको जवाहर लाल नेहरू लिखना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से गलतबयानी की है, गलत बात की है, हाउस को गुमराह किया है, इसलिए ऐसे मंचर के खिलाफ फौरन कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा इस बात के लिए इनको चैलेंज है। (विधन)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, क्या आपने बैरीफाई कर लिया ? (विधन)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बनाइये। (शोर) वे गलत बात करते हैं, हाउस को गुमराह करते हैं। (शोर)

श्री मनो राम केहरवाला : यह हाउस में गलत बयानी कर रहे हैं, इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, यह मामला अखबारों में छपा था और अखबारों की हेड लाईन में जिस तरीके से छपा था, वह आपके सामने रखा गया है। (विधन)

चौधरी भजन लाल : आपने लिख कर दिया है, अब आप भागने की कोशिश मत करिए। (शोर एवं विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा। (शोर)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आप हाउस की कमेटी बनाइये। (शोर) पेपर की क्या बात है ? (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में एडमिट करिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : मनोज कुमार पोते का नाम नहीं, हरिकिशन बाप का नाम नहीं। (विधन) गवर्नर साहब के दो बेटे हैं, हरिकिशन नाम का उनका कोई बेटा नहीं है। (शोर)

श्रीधरी जगदीश नेहरू : श्री ए. प्वायंट ऑफ आर्डर । स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैंने पेपर देख कर यह मोशन दिया, जबकि आज यह कह रहे हैं कि मैंने बड़ी भागदौड़ करके सारे कागज इकट्ठे किये हैं । फरीदाबाद एन० आई० टी० का एड्रेस लिया है और मनोज कुमार की फोटो भी इन्होंने ली है जिसको ये यहाँ पर दिखा रहे हैं, टैलीफोन किया है, उनका स्टैंडिण्ड कन्सेशन जो होता है, उसके कागज इन्होंने भाग दौड़ कर हर चीज इकट्ठी की है । स्पीकर सर, यह सब किस के खिलाफ किया है ? मैं आपको याद कराना चाहता हूँ और आपको तो पता ही है कि गवर्नर साहब के कण्डक्ट के बारे में यह असेम्बली किसी चीज को डिस्कस नहीं कर सकती । पार्लियामेंट प्रेजीडेंट के कण्डक्ट के बारे में और असेम्बली गवर्नर साहब के कण्डक्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकती । उस शख्स के बारे में इन्होंने बड़ी भागदौड़ की । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन लाए हैं कि इन्होंने झूठी स्टेटमेंट दी है । स्पीकर साहब, इस तरह से जो आदमी गैर-जिम्मेदारी वाली बात करे, गलत बयानी करे, सारी बात गलत करे, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । स्पीकर साहब, आपसे मेरी दरखवास्त है कि आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिए । असेम्बली पार्टी वाईज रेशो के मुताबिक 5 मੈम्बर्ज की एक कमेटी बना दीजिए और अगर उस कमेटी में ये बात गलत साबित हो जाए तो कमेटी जो रिक्मेंड करे, उसके हिसाब से भागे कार्यवाही की जानी चाहिए । (विष्णु एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप यह बताइये कि क्या आप ऐफिडेविट देने के लिए तैयार हैं ? (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, ऐसा है कि ऐफिडेविट देने के लिए भी मैं तैयार हूँ । (शोर) स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये । (विष्णु एवं शोर) यह मामला जिस दिन उठा था, मैंने उस दिन भी कहा था । (विष्णु एवं शोर) ऐफिडेविट देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है । (विष्णु एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने सवाल किया है कि क्या आप ऐफिडेविट देने के लिए तैयार हैं ? (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, ये जो कागज हैं इनमें ऐफिडेविट पहले से ही लगा हुआ है । यह ऐफिडेविट मेरा नहीं है, मनोज कुमार मण्डल के बाप का है । (शोर) स्पीकर सर, यह जो मामला मनोज कुमार मण्डल के बारे में था आप इसको प्रिविलेज कमेटी में डाल दीजिए । (शोर) प्रिविलेज कमेटी होती किस लिए है ? (विष्णु एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए । (विष्णु एवं शोर) राम पाल सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं ? (शोर)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री राम पाल सिंह कंवर) : स्पीकर साहब, प्रिविलेज मोशन लाने के लिए उसका वेस क्या होना चाहिए, इस पर मैं आपकी रुलिंग चाहता हूँ ? अध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल जी ने जब खुद प्रिविलेज मोशन मूव करने का प्रयास किया है तो इन्होंने यह कहा कि प्रिविलेज मोशन लाने का हमारा वेस यह है कि हाउस को मिसलीड किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रुलिंग चाहूँगा जैसे कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बना दी जाए और उसकी रिपोर्ट मंगवा ली जाए। यदि रिपोर्ट आने के बाद यह साबित हो जाए कि मम्बर साहेबान ने प्रिविलेज मोशन मूव करते समय हाउस को मिसलीड किया है तो क्या यह प्रिविलेज मोशन मूव करने वाले के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता है ? (शोर) अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस के अन्दर आए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे जो सवाल किया है, आप उसके बारे में कहिए। आपने उनके ऐफिडेविट का जिक्र तो किया है। लेकिन आप अपना ऐफिडेविट देने के बारे में बतलईये ? (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैंने तो सलज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 265 के तहत आपको दरखास्त दी है। सदन की प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है। (शोर)

श्री धरती बंती लाल : स्पीकर सर, श्री कर्ण सिंह दलाल प्रिविलेज मोशन लाए हैं। मुख्य मंत्री जी ने जैलेन्ज किया है और साथ ही यह भी कहा है कि सदन के मੈम्बर्ज की एक कमेटी बना दी जाए। इनकी बात ठीक है। सदन के पांच मੈम्बर्ज को कमेटी बना दीजिए, उसको इन्क्वायरी कर लेने दीजिए और उसके बाद आगे की जी भी प्रोसीडिण्ड होगी, वह आप कर लें। (विघ्न एवं शोर)

श्री धरती बंती लाल : स्पीकर साहब, इनका ऐफिडेविट तो आना चाहिए। (शोर)

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब हाउस के मੈम्बरों की कमेटी बताई जा रही है तो फिर उसमें ऐफिडेविट की क्या बात रह जाती है ? (शोर)

श्री धरती बंती लाल : स्पीकर सर, सदन में आज तक किसी भी मੈम्बर का ऐफिडेविट नहीं लिया गया और न ऐफिडेविट लेने का कोई सवाल ही पैदा होता है। क्या आज तक सदन के किसी मੈम्बर ने ऐफिडेविट दिया है ? (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ऐफिडीविट लेने की बात कही है कि ऐफिडीविट लिया जाए। क्या आज से पहले किसी ने ऐफिडीविट लिया गया है या किसी ने दिया है? मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि अब यह क्यों मांगा जा रहा है, क्यों सदन को गुमराह किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : कादयान जी, यह मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, यह मैंने कहा है।
This matter is under consideration and I will tell you tomorrow.
Please take your seat. That matter is finished now.

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

श्री० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मंतर तो आपने एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन मुझे इस पर दो शब्द कहने हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप इस पर नहीं कह सकते हैं, अगर आपको और कुछ कहना है तो कहें।

श्री० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ एस० वाई० एल० के बारे में 19 तारीख को मीटिंग हो रही है। परन्तु पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने अखबार के सुताबिक कहा है कि 19 तारीख को कोई मीटिंग नहीं हो रही है। अब हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने कह दिया कि इस बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है बल्कि यह 25 तारीख को होने जा रही है जन्होंने कहा है—

“Talking to reporters here, Mr. Beant Singh said that no meeting had been fixed for March 19 at Delhi for discussions on the construction of the SYL Canal.”

Further, it is written—

“Mr. Beant Singh said that he would go to Jalandhar on March, 19, to attend a function and was not aware of any meeting to be held in Delhi on that day.”

तो स्पीकर साहब, यह जो एक अहम खबर अखबार में निकली है, इससे यह साबित होता है कि यह सरकार सीरियस नहीं है और लोगों को गुमराह कर रही है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह मीटिंग पहले 19 तारीख को ही तय हुई थी लेकिन हमारे पास टैलेक्स आया कि अब मीटिंग 19 तारीख की बजाय 25 तारीख को होगी। यह रिकार्ड की बात है और टैलेक्स हमारे पास है। अगर आप चाहें तो पढ़ लें।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने आज एक कालिंग अटैन्शन मीशन दी है। अध्यक्ष महोदय, कल के 14 मार्च, 1994 के इण्डियन एक्सप्रेस में एक खबर निकली है। वह खबर है कि हुंदाहेड़ा गांव जो गुड़गांव जिले में है, वहां की 80 एकड़ से ज्यादा जमीन को हरियाणा सरकार के फाईनेन्सियल कमिशनर ने इन्तकाल को नामन्जूरी दे दी है। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि नामन्जूरी किस हिसाब से दी गई है? यह खबर अखबार में बहुत ही हिटल में लिखी गई है कि इन्फ्ल्यूएण्डियल आदमियों के हाथ में आज हुकूमत है, वे उस जमीन को हड़पना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक जमाबन्दी की जिरोकसकापी है। इसमें एक हवाला दिया गया है कि तबदील मलकीयत रेजुलेशन नं० 3, 5-5-79, चिट्ठी नं० एम० आई० 590/707-10 डेटिड 30-1-90 है। इसमें एम० के० भिंगलानी, कमिशनर एंड सैनेटरी आफ हरियाणा सरकार डिवायलपमेंट एंड पंचायत हैं। अध्यक्ष महोदय, जब यह इन्तकाल दर्ज हुआ और जब यह जमीन पंचायत से लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाम पर की गई तो पंचायत ने रेजुलेशन पास किया होगा क्योंकि इसमें भी रेजुलेशन का हवाला है, एम० के० भिंगलानी के हुकम का हवाला है और यह दर्ज किया गया है। खैर, यह बड़े ही ताज्जुब की बात है कि यह जो इन्तकाल तसदीक होने की तारीख है, यह एक जगह तो पहले मन्जूर की गई है और बाद में नामन्जूर कहा गया है। उसमें स्याही भी दो तरह की प्रयोग हुई है, यह बताते हैं। यह मुझे सही नहीं मालूम लेकिन एक बात का मुझे सही मालूम है कि इस इन्तकाल की तारीख एक जगह 10 तथा दूसरी जगह 11 लिखी हुई है और तीसरी जगह 25-3-92 लिखी हुई है। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि तहसीलदार तो एक ही दस्तखत करने वाला है, फिर उसके एक दिन में तीन तारीखों में दस्तखत कैसे हो गये? दस्तखत एक जगह हैं, तारीख तीन जगह हैं तथा तारीखें भी तीन अलग अलग हैं तो यह जमीन हड़पने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रूह से ऐसा लगता है कि पंचायत ने अन्डर प्रोटेस्ट रूपया लिया था और अगर पंचायत ने अन्डर प्रोटेस्ट रूपया लिया ही था तो सवाल सिर्फ इतना ही था कि कीमत उतनी हो या कीमत उससे ज्यादा हो। अगर ज्यादा हो तो कीमत बढ़ायी जा सकती थी। सरकार कीमत बढ़ाकर पंचायत को दे सकती थी। अध्यक्ष महोदय, इस जमाबन्दी से साफ जाहिर हो गया है कि इन्तकाल दर्ज हुआ। उसमें बाकायदा कमिशनर डिवायलपमेंट की चिट्ठी का हवाला है, फिर यह इन्तकाल नामन्जूर करने की नीवत कैसे आयी? श्री एम० के० भिंगलानी ने अपनी मर्जी से ही वगैर पंचायत के प्रस्ताव के हुकम भेज दिया कि इस जमीन का इन्तकाल टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाम कर दो। अध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो गया? श्री भिंगलानी के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह कागजों की मंजुरेशन है, फॉर्मेशन है या सच्चाई है तो इस विषय पर सरकार एक खुलासा बयान दे।

श्री० सन्त सिंह : स्पीकर सर, जो इस चौधरी बंसीलाल जी ने उठाया है, इसमें दो तीन कंट्राडिक्शन भी हैं। पहली तो यह है कि जो पंचायत ने रेजुलेशन

पास किया कि हमें जमीन नहीं बेचनी है और उनको मंजूरी भी मिल गयी बेचने की, और उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी वह जमीन दस हजार रुपये एकड़ के हिसाब से ले ली। पंचायत ने मूआवजा अन्डर प्रोटेस्ट लिया। बाद में लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं और उनको फालतू मुआवजा मिल भी जाता है लेकिन बाद में जब इस जमीन का इन्तकाल हो गया तो उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक ज्वाइंट सैक्रेटरी ने डी० सी० को चिट्ठी लिखी कि हमें खदशा है कि इस जमीन का इन्तकाल खारिज करवाया जा रहा है और इस को खुदबुद करने का लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। डी० सी० ने लिखा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इन्तकाल नहीं हुआ है। स्पीकर साहब, यह तो डी० सी० का बयान हो गया लेकिन इसके बाद में कमिश्नर साहब ने एक० सी० आर० के लिए लिख दिया और उन्होंने कहा है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में है। स्पीकर साहब जब यह फैसला हो गया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में है, फिर पता नहीं उनको रात में सोकर सुबह जाग आ गयी और पता लगा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है बल्कि स्वयं मेरे अधिकार क्षेत्र में है। इसके बाद उन्होंने वापस कागज मंगवा लिए और स्वयं ही इन्तकाल खारिज करने के आर्डर कर दिए। स्पीकर सर, एक तरफ तो डी० सी० ने कहा है कि इन्तकाल नहीं हुआ और दूसरी तरफ खारिज करने के आर्डर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ स्मैल जम्बर आ रही है। इसलिए सरकार को ऐक्शन लेना चाहिए तथा इसकी इन्क्वायरी करवानी चाहिए कि कौन लोग हैं, ताकि पता लग सके कि क्या मामला है? क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट को 80 एकड़ लैंड देने का फैसला कर दिया था और उसने वह जमीन ले ली थी तथा वहां पर उन्होंने हटस बगैरह बना लिए थे, कुछ काम कर लिया था तथा बाड़ बगैरह भी लगा दी थी। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी भी उस रास्ते से आते जाते रहते हैं। दिल्ली और गुड़गांव के बौडेर पर बाकायदा टूरिज्म विभाग का बोर्ड लगा रहता है, हम वहां पर कोई क्वेशनल सेंटर या पर्यटन स्थल बनाने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह दिल्ली के पास है और टूरिज्म के लिए वह स्पॉट अच्छी है। इससे तो हमारे टूरिज्म को ही प्रोत्साहन मिलता, लेकिन इस तरह से ऐसा लगता है कि सरकार टूरिज्म को एनकरेज न करके डिसकरेज करता चाहती है। इसलिए जो लोग इस मामले के पीछे हैं, उनको पकड़ने के लिए सरकार को इस मामले की इन्क्वायरी करवानी चाहिए और उन लोगों को पब्लिक के सामने लाना चाहिए जिन्होंने गड़बड़ की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी को टूरिज्म विभाग को यह लैंड देने के लिए अपनी कमिटमेंट भी करनी चाहिए कि टूरिज्म विभाग के पास ही यह लैंड रहेगी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं असलियत बताना चाहता हूँ ताकि आपको और हाउस को भी पता लग सके। अध्यक्ष महोदय, जब सम्पत सिंह और श्रीमप्रकाश जीटाला का राज था, तब की इस जमीन की बात है। यह डूंगहेड़ा की जमीन मुशतरका मालकान की जमीन थी और यह मुशतरका मालकान

[चौधरी भजन लाल]

की जमीन पंचायत में वेंस्ट हो गयी। इन्होंने यह जमीन पंचायत से दस हजार रुपये एकड़ के हिसाब से धक्के से टूरिज्म विभाग के नाम करवा दी। जबकि पंचायत यह जमीन नहीं देना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया। मालिकान ने कहा कि जमीन हमारी है, हम पंचायत को नहीं देंगे। झगड़ा चलता रहा, इन्होंने क्या किया कि 18 एकड़ जमीन प्रकाश सिंह बांदल को काँड़ियों के भाव में दे दी। यह रिफाई की बात है। इन्होंने चौधरी देवी लाल के धर्म भाई को वह जमीन दे दी। उस जमीन का भाव 10 से 15 लाख रुपये प्रति एकड़ से कम का नहीं था। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लाल : आपने जमीन का दाम क्या बताया है ?

चौधरी भजन लाल : 10 से 15 लाख रुपये एकड़ कम से कम है।

चौधरी बंसी लाल : इससे भी कहीं ज्यादा है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, भजन लाल ने जिन्दगी में किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। मिनिस्टर बने हुए इतने साल हो गए हैं, किसी एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर ने मेरे खेत को जाकर नहीं देखा। नहर भी खेत से निकलती है, कोई यह भी नहीं कह सकता कि भजन लाल ने बगली कर ली या पाइप डाल दिया। भजन लाल ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मालिकान ने अपील दायर कर दी कि हमारा हक है, जमीन हमारी है, अब जुडिशियल केस है, कमिश्नर ने जो कुछ फैसला किया है, जुडिशियल नेबर के हिसाब से किया है, मैंने फाइनल पर आर्डर किए हैं कि फौरन अपील दायर करो। जहाँ तक जमीन छोड़ने का सवाल है, कम से कम जो बात कहनी चाहिए जिसके पीछे कुछ सच्चाई हो या हेरफेर की बात हो। हमने न तो हेरफेरी कभी की है, न करने की सोच भी सकते हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बड़े संक्षेप में जवाब दे दिया जिससे ऐसा लगा जैसे कोई झगड़ा ही न हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात यह है कि इतकाल दर्ज हो गया और यहाँ से कमिश्नर ने कहा कि इसको ट्रांसफर कर दो टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाम। क्या कमिश्नर को इस बात का अधिकार है कि जमीन का मालिक कौन है, इस बात का फैसला करे ? इस बात का फैसला तो दीवानी अदालत करेगी या हाईकोर्ट करेगा कि जमीन का मालिक कौन है ? टूरिज्म डिपार्टमेंट बराबर दर्जास्त रखा है कि हमको इसमें पार्टी बनाओ, हमारा नाम इसमें से हटाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : बंसी लाल जी, आप ऐसी बात करते हो जैसे वाया नटिङ्ग वकील बनकर आए हो। जमीन के केस एस० डी० एम० से लेकर एफ० सी० आर० तक जुडिशियल नेबर के होते हैं।

श्री चौधरी बंसी लाल : मुख्यमंत्री जी, आप तो भैरों सिंह शेखावत से पी० एच० डी० की डिग्री लिए बैठे थे और जब ये जयपुर गए तो भैरों सिंह जी ने इनसे यह डिग्री छीन ली। (शोर)

श्री चौधरी भजन लाल : किसी अनजान आदमी से भी पूछते तो बताएगा कि पी० एच० डी० के केस, रैवेन्यू केस, चाहे तहसीलदार के पास हों, चाहे डी० सी० के पास हों, जूडीशियल नेचर के होते हैं। इसी तरह नम्बरदार के पास के केसज ही तो वे भी जूडीशियल नेचर के होते हैं। आपकी पार्टी में भी एक दो वकील हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। मैं भी यह बात जानता हूँ कि जमीन के केस एफ० सी० आर० तक जूडीशियल नेचर के होते हैं मगर बाइटल का फैसला सिविल कोर्ट करेगी, रैवेन्यू कोर्ट नहीं कर सकती।

श्री चौधरी भजन लाल : जब इस्तकाल का कोई प्रगड़ा हो तो रैवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा और ये केसज एफ० सी० आर० तक जाते हैं। एफ० सी० आर० के बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट ने जो फैसला किया है वह जूडीशियल नेचर के हिसाब से किया है। हम उसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं। सरकार इसके खिलाफ टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अपील में जा रही है। जो हम कर सकते हैं, वह अवश्य करेंगे। (व्यवधान व शोर) ऐसे ही कहने से कोई बात नहीं बनती। जो ठीक बात होगी, हम वह करेंगे।

श्री धीरपाल सिंह : जमीन खूद-खूद तो नहीं होगी ?

श्री चौधरी भजन लाल : जमीन खूद-खूद होने का तो कोई सबाल ही नहीं है।

श्री० छतर सिंह चौहान : स्पीकर सर, अभी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि कमिश्नर फैसला कर सकता है। मुख्य मंत्री जी के पड़ोस में नेहरा साहब बैठे हैं, वह भी वकील हैं। उनसे बेसक वह पूछ लें, इनकी पता चल जायेगा। उस समय जुलाई, 1993 में कमिश्नर श्री पी० पी० छाबड़ा थे।

श्री चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, यह जूडीशियल नेचर का केस है; क्या इसको यहां पर डिस्कस किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मुख्य मंत्री महोदय की शायद यह पता नहीं होगा कि जो कमिश्नर हैं, उन्होंने अपना एक आर्डर जुलाई, 1993 में फाईनल किया

[श्री० छत्तर सिंह चौहान]

कमिश्नर रेवेन्यू को भेज दिया। मुख्य मंत्री महोदय यह बतायें कि अगर कोई कमिश्नर फैसला खुद कर दे तो क्या उसको वह खुद ही रिज्यू कर सकता है ? रिज्यू के मामले में रेवेन्यू की कोई किताब यह पढ़ लें तो बेहतर होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह तय करने और किताब पढ़ कर जवाब दें। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि कमिश्नर ने जो फैसला करके फाइनैशियल कमिश्नर को भेज दिया, वह उसको अपने आप रिज्यू नहीं कर सकता।

श्रीधरी बंसो लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से पोजीशन थोड़ी भी क्लीयर कर दूँ। इस अखबार में यह तूलीयर कट लिखा हुआ है कि कमिश्नर ने फैसला करके फाइनैशियल कमिश्नर को भेज दिया। फाइनैशियल कमिश्नर रेवेन्यू के पास यह फैसला जाने के बाद, क्या कमिश्नर उस फैसले को दोबारा खुद मंजूर सकता है और रिज्यू कर सकता है या फाइनैशियल कमिश्नर उसको वापिस भेजेगा ?

श्रीधरी भजन लाल : जो भी बात कानून के मुताबिक ठीक होगी, वही होगी। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूँ कि हम किमी की उस जमीन की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखने देंगे।

Mr. Speaker : It is a sub-judice matter and interpretation of law is involved. Therefore, no further discussion will be allowed on this matter.

साथी लहरी सिंह : सर, मेरा एक काल ग्रंटेशन मोशन था।

श्री अध्यक्ष : किस बारे में ?

साथी लहरी सिंह : पोटेटो काप के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : यह अभी अंडर कंसीड्रेशन है, कमेंट्स के लिए सरकार के पास भेजा हुआ है।

साथी लहरी सिंह : सर, वह कब तक अंडर कंसीड्रेशन रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : जब तक सबकट्टे : सर, मेरा भी एक काल ग्रंटेशन मोशन था।

श्री अध्यक्ष : आपका काल ग्रंटेशन मोशन तो आज सवा एक बजे आया है। यह अभी अंडर कंसीड्रेशन है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

शिवानी शहर में पोलियो का रोग फैलने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 11, given notice of by Sarvshri Ram

Bhajan Aggarwal and Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. regarding breaking out of jaundice in Bhiwani city. I have admitted it. Shri Ram Bhajan Aggarwal may read his notice and thereafter the Health Minister may make a statement thereon.

*श्री राम भजन अग्रवाल] : मैं इस महान सदन का ध्यान एक
प्रो० छत्तर सिंह चौहान]
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि भिवानी शहर में पीलिया फैला हुआ है तथा सैकड़ों व्यक्ति इस बीमारी के शिकार हैं तथा इस बात का डर है कि यह एक महामारी का रूप धारण कर सकती है। यह नागरिकों को सिवरेज खराब होने के कारण दूषित पीने का पानी सप्लाई करने के कारण से है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य—

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में पीलिया के 144 मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें से 11 मामले दिसम्बर, 1993 के अन्तिम सप्ताह में, 75 मामले जनवरी, 1994 तथा 58 मामले फरवरी, 1994 में प्रकाश में आए हैं। कोई मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

इस बीमारी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

1. पीने के पानी का उचित क्लोरीनेशन सुनिश्चित किया जा रहा है।
2. भिवानी शहर में घर-घर में पीलिया के मामलों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने, स्वास्थ्य शिक्षा देने, ट्रिक्वेल गोणियों की वितरित करने एवं पीने के पानी में क्लोरीन ग्रंथ की उपस्थिति की जांच करने के लिए आठ पुरा मेडिकल टीमों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त बिड़ला टेक्सटाईल मिल तथा टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टेक्सटाईल की कालोनियों के लिए चार अन्य टीमों भी लगाई गई हैं।
3. मास जनवरी, 1994 में सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि पीलिया के अधिकतर मामले बिड़ला टेक्सटाईल मिल तथा टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टेक्सटाईल की कालोनियों एवं आसपास के क्षेत्रों में पाये गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन कालोनियों की जल आपूर्ति बिड़ला टेक्सटाईल

*Read out by Shri Ram Bhajan Aggarwal.

[श्रीमती शान्ति देवी राठी]

मिल एक टेक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाइल में स्थित पानी के टैंकों से होती है। इन स्टोरेज टैंकों में पानी की आपूर्ति जन स्वास्थ्य स्त्रोतों एवं ट्यूबवैलों से मिल अथोरिटीज के टैंकों द्वारा की जाती है।

4. जनवरी, 1994 में पानी में रेजिड्यूल क्लोरीन की जांच के लिए पानी के 25 नमूने लिए गए जो सभी नेगेटिव पाये गये। जनवरी तथा फरवरी 1994 में जन स्वास्थ्य विभाग, बिड़वा टैक्सटाइल मिल तथा टेक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाइल के अधिकारियों से निवेदन किया गया था कि पानी को सुपर क्लोरीनेशन की जाए। तत्पश्चात् पीने के पानी के रेजिड्यूल क्लोरीन टेस्ट करने हेतु फरवरी, 1994 में 32 नमूने लिए गए जो सभी पोजिटिव पाये गए।
5. पानी को उबाल कर पीने की आवश्यकता पर बल दिये जाने हेतु सभी की स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जन चेतना हेतु जगह जगह पर पोस्टर लगाये गए हैं। इस सम्बन्ध में हिदायतों सहित हैण्ड बिल्ड भी वितरित किये गये।
6. सभी पीने के पानी के स्त्रोतों की क्लोरीनेशन के अतिरिक्त 7000 ट्रिकवल गोलियां पानी की क्लोरीनेशन के लिए घर-घर में बांटी गई हैं।
7. जन स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार भिवानी शहर में जन द्वारा भासू दिसम्बर, 1993, जनवरी तथा फरवरी, 1994 के दौरान 165 पानी के कनेक्शनों को ठीक किया गया।
8. जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जन स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों द्वारा दिसम्बर, 1993 तथा जनवरी, 1994 में एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके अनुसार म्यूनिसिपल नेन से घरों तक जाने वाली जी० आई० पाईपें जो 10-15 साल या इससे अधिक पुरानी हो गई है तथा गल चुकी है, उन्हें बदलने की आवश्यकता है। यह कार्य उन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं जीएड्स के लिए इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं, वे सत्य नहीं हैं। सी० एम० ओ० ने 86 केसिज स्वयं एडमिट किये हैं लेकिन मन्त्री महोदय जब अपना जबाब पढ़ रही थीं तो उनके आंकड़े सी० एम० ओ० के आंकड़ों से छिफ़र करते थे। क्या मन्त्री महोदय इस बारे में दोबारा सर्वे करवाएंगी ताकि उनकी सही पोजीशन का पता चल सके? लोगों के घरों तक जाने वाली पानी की पाईपें

जो 10-15 साल या इससे अधिक पुरानी हो गई हैं तथा गल चुकी हैं उनके बारे में सरकार ने कहा है कि उन्हें बदलने की आवश्यकता है और साथ ही जवाब के अन्त में यह भी कहा है कि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि लोगों को इस भयंकर रोग से बचाने के लिये क्या सरकार इस काम के लिये कोई समय निर्धारित करेगी ताकि निश्चित समय के अन्दर अन्दर यह सारा काम हो सके ? दो महीने, चार महीने, या छः महीने, कब तक सरकार इस काम को करवा देगी ताकि लोगों को भिवानी शहर के अन्दर पीने का शुद्ध पानी मिल सके ? जैसा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि सरकार कब तक गली सड़ी सीवरेज की पाईपों को निकालेगी जो कम से कम 14-14, 15-15 सालों से खराब पड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से गन्दा सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिलकर दूषित हो जाता है। लोग उस पानी को पीते हैं और बीमार हो जाते हैं, कब तक उन गली सड़ी पाईपों को सरकार बदल देगी ?

श्रीमती शान्ति देवी राठी : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने तो पूरा भाषण ही दे डाला। जैसे पहले ही यह स्वीकार किया है कि भिवानी में पीलिया के 144 मामले प्रकाश में आए हैं। इस बारे में शिकायतें मिली भी हैं और इन सब बातों का हमने पहले ही विस्तार से जवाब दे दिया है, किसी प्रकार से हाउस को गुमराह करने वाली बात नहीं है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि पानी के मामले में चाहे हमारे विभाग की कोई भी अनियमितता ही, जन-स्वास्थ्य विभाग से जो भी अनियमितताएँ हुई हों, उन का हम फौरन नोटिस लेते हैं और तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाती है ताकि पीलिया जैसे भयंकर रोग से लोगों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बोलते हुए सरकारी आंकड़ों को भी गस्त बताया। मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि कोई भी आंकड़ा जो हमने बताया है, असत्य नहीं है। सभी सत्य हैं। यदि माननीय सदस्य महोदय चाहें तो सारी डिटेल्स में उनको बता सकती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं बताना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जिला भिवानी में पीलिया के केसों का क्षेत्रवार वार्षिक इस प्रकार है—शहर भिवानी में 17 कालोनियों में पीलिया के 137 केस हुए तथा 7 केस आस पास के गांवों में हुए। इस तरह कुल 144 केस जिला भिवानी से रिपोर्ट हुए। क्षेत्रवाइज स्थिति निम्नलिखित है :—

क्षेत्र का नाम	केसों की कुल संख्या
बिडला कालोनी	37
देवर कालोनी	29
डी 9 सी 0 कालोनी	11

(9)38

हरियाणा विधान सभा

[15 मार्च, 1994]

[श्रीमती शान्ति देवी राठी]

क्षेत्र का नाम	कैसों की कुल संख्या
टी 0 आई 0 टी 0 कालोनी	32
कच्छी कालोनी	6
चरणजी कालोनी	5
सेवानगर	7
शिववासी कालोनी	4
बैंक कोठी	2
कृष्णा कालोनी	7
हरा कालोनी	2
अशत कालोनी	1
हनुमान घनी	2
जैन चौक	1
चिड़ियामार मुहल्ला	1
नीयर मुरारी सिनेमा	1
दुर्गा कालोनी	2
ग्रामीण क्षेत्र	
हलुवास (हलुवास)	5
लखुवास	1
पालुवास	1

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सब क्यों हुआ, इस बारे में वहन जी ने बताया नहीं। यह जो सीडरेज है, यह आज का लगा हुआ नहीं है। यह चौधरी बंसी लाल जी के वक्त का लगा हुआ है और इन्होंने ऐसा घटिया माल वहाँ लगा दिया जिसकी वजह से जगह जगह लीकेज हो गई और पीले के पानी में वह गन्दा पानी शामिल हो गया। इसी वजह से वहाँ पीलिया की गम्भीर

बीमारी फैल गई। इसको अब हम जल्दी ही ठीक कर रहे हैं, सरकार इसके लिये पूरी तरह से प्रयत्नशील है। यह सब कुछ चौधरी बंसीलाल जी की मेहरबानी से ही हुआ है। (हंसी)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय कायदा किसी स्कूल या कालेज में पढ़े है या नहीं लेकिन ये अपने आपको राजनीति के पी० एच० डी० कहते हैं। जब ये राजस्थान में गये तो यहाँ सिंह शेखावत ने इनकी पी० एच० डी० की डिग्री छीन ली (हंसी) अध्यक्ष महोदय, जो सीवरेज स्कीम ह्दारे बजट में बनी थी, उस में कोई ऐसी बात नहीं थी। सीवरेज का कायदा होता है कि हर साल में दो बार उसको साफ किया जाए लेकिन छः छः साल से ऊपर का समय बीत चुका है और इस सरकार ने सीवरेज को साफ तक नहीं करवाया स्वभाविक है सीवरेज रुकेगा ही। जब जमीन का पानी ऊपर आ गया है, पहले वह साठ-सत्तर फुट पर था और अब पांच फुट पर आ गया है। जब यह उसकी सफाई नहीं करवायेंगे तो वह ठीक काम कैसे करेगी? आजकल जैसे भी प्लास्टिक के लिफाफे आ गये हैं, अगर किसी ने सब्जी भी लानी है तो प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर दी जाती है। ये लिफाफे गिरने से भी सीवरेज बन्द हो जाता है। इसके बावजूद भी इन्होंने सीवरेज की सफाई की जरूरत नहीं समझी। स्पीकर साहब, सफाई कैसे हो क्योंकि जो मैन्टीनेंस का पैसा है, वह तो जेबों में चला जाता है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी हमेशा इस बात का फोबिया रहता है। चौधरी बंसी लाल जी, आप इतने पुराने मंत्री हैं, कोई बात तो ठीक कहा करो। हमने इसकी बाकायदा सफाई करवाई है लेकिन मैटीरियल इतना घटिका लगा हुआ है कि वह ठीक होने को नहीं आ रहा है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the demand for grants on Budget for the year 1994-95 will take place. As per past practice and to save the time of the House, all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. The Hon. Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a sum not exceeding Rs. 2,79,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 55,52,98,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding Rs. 1,96,10,64,000 revenue expenditure and Rs. 4,50,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 34,85,68,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 14,57,86,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 5-Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 1,39,79,09,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 13,61,25,46,000 for revenue expenditure and Rs. 10,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 86,14,52,000 for revenue expenditure and Rs. 81,77,60,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings & Roads.

That a sum not exceeding Rs. 5,05,93,58,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs. 3,28,94,57,000 for revenue expenditure and Rs. 46,38,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 10-Medical & Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 13,86,18,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 29,96,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 12-Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1,93,34,26,000 for revenue expenditure and Rs. 3,54,31,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 7,93,36,000 for revenue expenditure and Rs. 3,44,47,25,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 9,96,15,50,000 for revenue expenditure and Rs. 1,34,07,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 30,10,28,000 for revenue expenditure and Rs. 10,97,11,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 1,21,67,47,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 7-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 37,40,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 4,49,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 48,50,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 1,73,29,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 13,94,54,000 for revenue expenditure and Rs. 8,61,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 2,54,83,92,000 for revenue expenditure and Rs. 37,93,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 85,02,00,000 for revenue expenditure and Rs. 2,60,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 3,23,38,97,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 25-Loans & Advances by State Govt.

I have also received notices of cut motions to the various demands from some M.L.As. These will also be deemed to have been read and moved. However, I will put the various cut motions to the vote of the House when the respective demands are put to the vote of the House. Such members may, however, participate in the discussion.

Demand No. 2

1. Shri Bansilal,
2. Shri Karan Singh Dalal,
3. Shri Chhattar Singh Chauhan; and
4. Smt. Janki Devi, M.L.As.

That Demand No. 2 of Rs. 56,83,99,000 on account of General Administration be reduced by Rs. 1/-.

[Mr. Speaker]

Demand No. 3

1. Shri Bansi Lal,
2. Shri Ram Bhajan,
3. Shri Karan Singh Dalal and
4. Shri Attar Singh, M.L.As.

That Demand No. 3 of Rs. 2,03,93,19,000 on account of Home be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 5

1. Shri Ram Bhajan, M.L.A. :

That Demand No. 5 of Rs. 14,57,96,000 on account of Excise & Taxation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 6

1. Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. :

That Demand No. 6 of Rs. 6,74,83,89,000 on account of Finance be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 7

- Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. :

That Demand No. 7 of Rs. 10,61,54,76,000 on account of other Administrative Services be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 8

1. Shri Chhattar Singh Chauhan,
2. Smt. Janki Devi, and
3. Shri Karan Singh Dalal, M.L.As.

That Demand No. 8 of Rs. 1,67,98,12,000 on account of Buildings & Roads be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 9

1. Shri Ram Bhajan,
2. Shrimati Janki Devi,
3. Shri Chhattar Singh Chauhan, and
4. Shri Attar Singh, M.L.As

That Demand No. 9 of Rs. 5,05,93,63,000 on account of Education be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 10

- Shri Om Parkash Beri, M.L.A. :

That Demand No. 10 of Rs. 3,75,47,69,000 on account of Medical & Public Health be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 11

Shri Ram Bhajan, M.L.A. :

That Demand No. 11 of Rs. 13,86,18,000 on account of Under Development be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 15

Shri Om Parkash Beri, M.L.A. :

That Demand No. 15 of Rs. 9,96,15,50,000 on account of Irrigation Department be reduced by Re. 1/-.

1. Shri Bansi Lal,
2. Shri Karan Singh Dalal, and
3. Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. }

That Demand No. 15 of Rs. 11,30,58,05,000 on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 16

1. Shri Ram Bhajan, M.L.A. :

That Demand No. 16 of Rs. 41,07,79,000 on account of Industries be reduced by Rs. 1/-.

Demand No. 17

1. Shri Bansi Lal,
2. Shri Karan Singh Dalal, and
3. Shri Om Parkash Beri, M.L.As. }

That Demand No. 17 of Rs. 1,21,78,97,000 on account of Agriculture be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 22

1. Shri Chhattar Singh Chauhan,
2. Shri Karan Singh Dalal, M.L.As. }

That Demand No. 22 of Rs. 22,55,73,000 on account of Cooperation Department be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 24

Shri Bansi Lal, M.L.A. :

That Demand No. 24 of Rs. 8,13,66,86,000 on account of Tourism be reduced by Re. 1/-.

Now, discussion will take place. Shri Lehri Singh will speak on these demands first.

श्री सतबीर सिंह काबयान : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दें।

(9)44 हरियाणा विधान सभा [15 मार्च, 1994

श्री अध्यक्ष : अब तक जो बोल चुके हैं उनका पार्टीवारुज टाईम इस प्रकार है—

इंडियन नेशनल कांग्रेस 333 मिनट, एस० जे० पी० 210 मिनट, हरियाणा बिनास पार्टी 125 मिनट, बी० जे० पी० 61 मिनट और बी०एस०पी० 3 मिनट 1 अपोजीशन पार्टीज के सदस्य टोटल 399 मिनट बोलें हैं और कांग्रेस के 333 मिनट ।

सूब्य भन्वी (बीधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, हम इंडिपेंडेंटस समेत 65 सदस्य हैं, इसलिए हमें दो तिहाई के लगभग समय मिलना चाहिए ।

साश्री लहरी सिंह (रावीर, अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । मैं डिमांड नं० 1, 3, 17, 18 और 22 पर बोलना चाहता हूँ । सब से पहले मैं विधान सभा के बारे में थोड़ा सा सुजाव दूंगा । स्पीकर साहब, मैं टेलीफोन के बारे में कहना चाहता था । टेलीफोन का सिस्टम बहुत खराब है ।

श्री अध्यक्ष : वह आप अलग से पूछ लें ।

साश्री लहरी सिंह : ठीक है जी । स्पीकर साहब, हमारे जमनालगर जिले में पुलिस पूरी इफैक्टिव है और अच्छा काम कर रही है लेकिन अगर साथ के इलाके में कोई घटना हो जाए तो पुलिस इफैक्टिव नहीं होती । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, जमनालगर जिले के साथ यू०पी० का इलाका लगता है । वहाँ पर बहुत बुरा हाल है । जमनालगर का इलाका जो यू०पी० के साथ लगता है, वहाँ के डाकू आ कर हमारे किसानों को जबाड़ देते हैं । यू०पी० के डाकू हमला करके चले जाते हैं, किसी को मार कर चले जाते हैं और किसी को घायल करके चले जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह एडमिनिस्ट्रेशन की बात है इसलिए मेरा निवेदन है कि जमनालगर इलाके को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलना चाहिए । जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको मुकाबला करने के लिए अच्छे साधन दिए जाने चाहिए ताकि डाकू हमला न कर सकें, लेकिन पुलिस के पास अच्छे साधन नहीं हैं । जमनालगर जिले के एस०पी० और डी०सी० साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन पुलिस के पास अच्छे साधन नहीं हैं, जिसके कारण यू०पी० के डाकू हमारे लोगों पर हमला करके चले जाते हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि पुलिस को अच्छे साधनों का इन्तजाम करवाए ताकि पुलिस उन गुण्डों का मुकाबला कर सके । उन गुण्डों को यू०पी० की एडमिनिस्ट्रेशन जह देती है, प्रोटेक्शन देती है, जिसके कारण हरियाणा के इलाके के लोगों का मनोबल डालन होता है । इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, जमना नदी पर जो ठीकरें लगाई हुई हैं, वे हमारी तरफ 65 फुट की हैं लेकिन यू०पी० वालों

ने अपनी तरफ 125 फुट की ठोकरी लगाई हुई है जिसका सीधा असर हमारे इलाके पर पड़ता है। 50पी0 वाले जमना नदी को हमारी तरफ से काटने पर लगे हुए हैं। उन्होंने 125 फुट लम्बी ठोकरी लगाई हुई है जिसके कारण हमारे इलाके की उपजाऊ जमीन पानी के बहाव के कारण कट जाती है। ऐसे हालात हैं कि हमारे उस इलाके के कई गांव बहने के कगार पर हैं। 50पी0 वालों ने 125 फुट लम्बी ठोकरी लगाई हुई है, परिणामस्वरूप हमारी काफी जमीन कट कट कर 50पी0 की तरफ चली गई है। सरकार से मेरा निवेदन है कि हरियाणा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें और अनुरोध करें कि 65 फुट लम्बी ठोकरी लगाने का जो स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से ही ठोकरी लगानी चाहिए। हमारी सरकार को यह केस केन्द्रीय सरकार में प्लीड करना चाहिए ताकि हमारे इलाके की जमीन, हमारे इलाके के गांव बचाए जा सकें। कई गांव तो इस समय बहने के कगार पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह मुद्दा पहले भी उठाया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ कि सरकार ने वहाँ पर स्टेड हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे मंजूर किया है। वह सड़क जमनानगर से दिल्ली जाएगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहाँ पर 50पी0 के जो गुब्बे हमारे इलाके के लोगों पर हमला करके चले जाते हैं, किसी को मार जाते हैं और किसी को बायल करके चले जाते हैं, उनके बारे में कोई न कोई इन्तजाम किया जाए वरना न सड़क रहेगी और न आवादी रहेगी। जमीन तो कट कट कर पहले ही जा चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा है जिसके बारे में सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहूँगा कि कोई जुगाड़ नाम का व्हीकल आज सड़कों पर बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहा है। न उसके ऊपर कोई नम्बर लिखा हुआ है और न ही कोई और बात है। अगर उनसे पूछें तो कहते हैं कि यह धक्का ट्रांसपोर्ट है। हमारे फाइनल भिन्सिटर साहब, मेरी इस बात पर हंस रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं के इलाके में वह व्हीकल चल रहा है। अगर वह व्हीकल किसी का एक्सीडेंट करके चला जाए या किसी को मार कर चला जाए तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर कोई नम्बर नहीं लिखा है। यदि उसके पीछे कोई नम्बर वाली व्हीकल आ रही होती है तो एक्सीडेंट के मामले में उसका नम्बर नोट कर लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है लेकिन अगर किसी आदमी को जुगाड़ व्हीकल एक्सीडेंट करके मार जाता है और जो नम्बर वाली गाड़ी उसके पीछे आ रही होती है, उसका नम्बर नोट कर लिया जाता है तो यह बड़ी भारी त्रुटि है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन जैबल की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात हो, उनको उरस्त बन्द किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी नीयत अच्छी होती है, उसको परमात्मा भी देखता है। हमारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने और एग्जीक्यूटिव मन्त्री महोदय ने जो अपनी साफ नीयत से काम किया है, उसकी बदौलत हमारे यहाँ अनाज की रिकार्ड तोड़ पैदावार हुई है।

[साथी सहरी सिंह]

पहले पंजाब में सबसे ज्यादा पैदावार होती थी। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे एग्रीकल्चर विभाग की, सरकार की नीयत साफ होने की वजह से यहाँ पर फसल का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ और कुरुक्षेत्र जिला सारे देश में गेहूँ की पैदावार में सबसे प्रथम रहा। इनकी नीयत अच्छी थी इसलिए भगवान भी मेहरबान रहे और समय पर बारिश हुई। एक समय था जब इनकी सरकार आई तो उस समय एक बार तो सूखा पड़ गया और दूसरी बार बाढ़ में सारी फसल तबाह हो गई। इसलिए यह नीयत की बात होती है। एग्रीकल्चर विभाग का कामकाज का तरीका बहुत अच्छा है इसलिए मेरा निवेदन है कि यह महकमा बागवानी और फूट की पैदावार की तरफ भी ज्यादा ध्यान दे ताकि किसानों को अपनी फसल का अधिक से अधिक रेट मिल सकें। हरियाणा सरकार ने हर फसल का सारे देश से अच्छा भाव अपने किसानों को दिया है। गन्ने के आगामी सीजन के लिए अभी से हमारी सरकार ने ५ रुपए रेट बढ़ा दिए हैं और जब सीजन आयेगा तो और बढ़ा दिए जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे डांगी साहब की बतौर मन्त्री परफोरमैस बहुत अच्छी रही है। इन्होंने बताया कि इतना बजट मांगा था लेकिन मांगे राम गुप्ता जी ने इतना पैसा दिया, इसलिए अब कसूर इनका न रह कर, मांगे राम जी का रह जाता है। इसलिए मेरी मांगे राम जी से प्रार्थना है कि वे जितना पैसा सड़कों की रिपेयर के लिए मांगते हैं, वह दे दिया जाये ताकि सारी सड़कों की मुरम्मत हो सके। इन्होंने बताया कि इनको हर साल 70 करोड़ रुपये चाहिए जबकि 18 करोड़ से ज्यादा गुप्ता जी नहीं दे रहे। इन 18 करोड़ रुपये में उपाध्यक्ष महोदय, आपके और हमारे जिले का नम्बर तो आता नहीं। इनको जितना पैसा मिलता है, उस से इनके रोहतक जिले की ही सड़कें पूरी हो पाती हैं। इसलिए मेरी गुप्ता जी से प्रार्थना है कि जितना पैसा डांगी साहब को काम करने के लिए चाहिए, वह पैसा गुप्ता जी इनको दे दें ताकि सारी सड़कों की रिपेयर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार को बल्ड बैंक से 800 करोड़ रुपये मिल गए हैं। इनमें से मेरी मांग है कि 65 करोड़ रुपये तो दादूपुर नलवी नहर के लिए और 100 करोड़ रुपये दादूपुर बाढवा के लिए दे दिए जाएं। यदि हमें 165 करोड़ रुपये मिल जाएं तो ये नहरें पूरी हो सकेंगी। इनके पूरा होने पर हमारे इलाके की पानी की जरूरत भी पूरी हो सकेगी और वाटर लैवल जो बहुत नीचे जा चुका है, वह भी ऊपर आ जायेगा।

16.00 बजे उपाध्यक्ष महोदय, मैं डांगी साहब का श्रद्धावादी हूँ क्योंकि हर गाँव में जा कर वे कोशिश करते हैं कि वहाँ पर सड़क का काम हो जाए। (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। (बिध्न एवं घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : लहरी साहब, अब आप वाइड अप करिये।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी थोड़ा समय और दीजिए। बहिन जी अभी बैठी नहीं हैं। जिस हिसाब से बहन जी काम कर रही हैं। (बिध्न) पिछली सरकार ने और इस सरकार ने जो भी डिस्पेंसरीज और प्राईमरी हेल्थ सेंटरज बनाए हैं, उनकी देख रेख में काफी कमी है। न वहाँ पर पूरी दवाइयाँ मिलती हैं और न पूरी बिस्किंगज ही हैं। मेरे हल्के में 2 प्राईमरी हेल्थ सेंटरज हैं और वे दोनों ही पंचायतों की बिस्किंगज में चल रहे हैं। सबसिडियरी हेल्थ सेंटरज भी बिना बिस्किंग के ही चलाए जा रहे हैं और वहाँ पर कोई कम्पाउंडर या डाक्टर नहीं मिलता। इसके साथ ही जहाँ पर एक्स-रे प्लांटस लगे हुए हैं, वहाँ टेक्नीशियन भी मिलने चाहिए। बहिन जी इस वक्त बैठी नहीं है, मेरा नम्र निवेदन है कि इस ढंग से काम करना चाहिए जिससे सभी को सुविधा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। जो 13 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं, उनमें डिप्टी स्पीकर साहब, न तो आपके हल्के का कोई स्कूल अपग्रेड किया है और न ही मेरे हल्के का कोई स्कूल अपग्रेड किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 1981-82 के बाद से मेरे हल्के का कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया है और न ही कोई नई सड़क उस हल्के में बनाई गई है। मैं डांगी साहब से नम्र निवेदन करूँगा कि मेरे हल्के में सड़कों की हालत की तरफ ज़रूर ध्यान दें। सारे हल्कों में बराबर का काम होना चाहिए, बराबर के स्कूल अपग्रेड होने चाहिए। (घण्टी) मेरा हल्का 15-20 साल से पिछड़ा पड़ा है, उसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ पर एक पुल टूट गया था और दो आदमी भी मर गए थे। उस पुल के टूटने से 100 गांवों का रास्ता बन्द हो गया है। वह पुल घनौरा, डल्ह्यू 0जे 0सी 0 पर बनना है और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाना है। इस पुल के बनने से 100 गांवों के किसानों का फायदा होगा, लेकिन न बनने से बहुत नुकसान हो रहा है। (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इससे सब को बराबर सुविधा मिलनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन रोज किया था, जो भी ग्रांट्स हैं, वे रोहतक, सिरसा, हिसार आदि जिलों में दी जाती हैं। मेरा फाईवेंस मिनिस्टर साहब से नम्र निवेदन है कि ग्रांट्स सभी जिलों में बराबर बाँटी जानी चाहिए। हमारे इलाके में भी गरीब लोग रहते हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन के जवाब में

[साथी लहरी सिंह]

मुख्य मन्त्री जी ने एनाउंसमेंट कर दी थी कि जो हरिजन चौपालें हैं, वे 31 मार्च, 1995 तक कम्पलीट कर दी जाएंगी। यह कोई छोटा फैसला नहीं है, इस पर 100-150 करोड़ रुपये के व्यय खर्च करना पड़ेगा। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने हाउस के बाहर भी 4-5 बार एनाउंस किया है कि इन चौपालों का कार्य कम्पलीट हो जाएगा। 70-75 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां चौपालों की मुरम्मत होनी है। (गप्पी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी ही देर में अपनी बात को समाप्त करूंगा। अब मैं इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूँ। चौटाला साहब, इस समय हाउस में बैठे नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स पलायन कर रहे हैं, वे हरियाणा से जा रहे हैं। मैं चौटाला साहब को आपके माध्यम से बातें चाहता हूँ कि अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स हरियाणा से उद्योग उठा कर बाहर नहीं जा रहे हैं वे तो चौटाला साहब से डर कर चले गए थे। जब इंडस्ट्रियलिस्ट्स को यह पता चलता था कि चौटाला साहब आ रहे हैं तो जगाधरी और दभुतानगर के उद्योग बन्द ही जाया करते थे और बहुत से उद्योग हरियाणा से बाहर भी चले गए। इसी तरह से फरीदाबाद में है। अब सरकार की पॉलिसी है कि दूसरे देशों से इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर आकर इण्डस्ट्री लगाएं और अब तक कम से कम 100 इंडस्ट्रियलिस्ट आ चुके हैं और इण्डस्ट्री लगा चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लहरी सिंह जी, आप वाइन्ड-अप कीजिए।

श्री सतबीर सिंह काश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। अभी माननीय सदस्य ने श्री श्रीम प्रकाश चौटाला का नाम लिया है। जब वे सदन में ही नहीं हैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो अभी-अभी खरीदे गए हैं। (गौर एवं व्यवधान)

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, काश्यप साहब, को अपनी वह बात याद आ रही है जिसमें ये पांच करोड़ के बपले में फंस गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लहरी सिंह जी, आप एक मिनट के लिए बैठ जाए क्योंकि काश्यप साहब कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सतबीर सिंह काश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पांच करोड़ वाली बात कही, वह ठीक नहीं है। मैं जब तक इपको का चेयरमैन रहा हूँ, उसको प्रॉफिट ही हुआ है। अगर कोई इपको का एक रुपया भी बचा हुआ था तो वह मेरे टाईम में वापिस आ गया था। एक साल तो 101 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था।

श्री राम कुमार कटवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, छात्र तो बोले, ये छलनी क्यों बोले हैं? अभी बंसी लाल जी

नहीं बैठे हैं। इन्हें अभी दो साल ही हुए हैं और इन्होंने दो साल में पेट्रोल पम्प खोल दिया है।

Mr. Deputy Speaker : This is not a point of order.

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह पेट्रोल पम्प एक हरिजन को, एक गरीब ब्राह्मण को दिया गया है ताकि वह काम करके खा सके। उपाध्यक्ष महोदय, जिनका नाम पुराने पेट्रोल पम्प मिला है, उसी दिन चौधरी बंसी लाल के बेटे को भी पेट्रोल पम्प मिला है। यह मुख्य मंत्री जी के हाथ में नहीं है कि जिसको जाहा पेट्रोल पम्प दे दो और न ही किसी और के हाथ में है। आज इतकी तकलीफ होती है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ।

Mr. Deputy Speaker : You are stressing too much.

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बिजली के पावर हाऊस इन्होंने अपग्रेड करके 66 के 0वी० के किए हैं, वे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। जैसे गुड़ा और पृथला के पावर हाउसिज हैं, इनको चालू किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Please wind up.

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। इसी तरह से जो इकसफा का काबून है, वह ठीक हो गया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रह गई है, उसको भी दूर कर दें। प्रॉब्लम यह है कि जो हिस्सेदारी है उस बारे में पुनर्विचार किया जाए।

इसी तरह से मैं पंचायती राज के बारे में कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कारपोरेशन के चैयरमैन के बारे में कह दिया, साथ ही यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर का लड़का अपने आपको सी०एम० लिखता है। (विष्णु) मेरा इस बारे में निवेदन है कि भगवान ऐसी औलाद सबको दे।

श्री जिले सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, ये किस विषय पर बोल रहे हैं ?

साथी लहरी सिंह : सर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर बोल रहा हूँ। मेरा तो कहना यह है कि परमात्मा ऐसी औलाद सबको दे क्योंकि उसके हाथ में इतनी पावर होती हुए भी ब-ब-घर जाकर लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि हम आपसे भिजने आये हैं। ऐसा नहीं है इनकी तरह कि किसी की बू का कत्ल करवा दे या किसी और का कत्ल करवा दे। वह ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी का हाथ उठ गया तो उसका हाथ कटवा दे जैसा कि ये करवावा करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ अपना धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। (विष्णु)

श्री सतवीर सिंह काश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का टाईम दें। सर, मुझे टैशन हो रही है कि मेरा बोलने का नम्बर आएगा या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : काश्यप साहब, आप टैशन न रखाए। आपको बोलने का समय दिया जाएगा। पहले जानकी देवी जान को बोल लेने दें।

श्रीमती जानकी देवी मान (इन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी के सामने अपने हल्के की कुछ कठिनाईयों के बारे में कहना चाहती हूँ लेकिन कहें किससे, मुख्य मन्त्री जी तो उठकर चले गए। मैंने उनसे कई बार कहा कि मेरे हल्के के काम करवाये, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी यहाँ पर बैठे हैं।

श्रीमती जानकी देवी मान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अन्दर न स्कूल हैं, न कालेज हैं। मेरे हल्के के अन्दर लड़कियों के पढ़ने के लिए 10+2 का कोई स्कूल नहीं है, साथ ही लड़कियों को स्कूल ले जाने के लिए कोई बस सर्विस का भी प्रबन्ध नहीं है। मेरा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि वे मेरे हल्के के अन्दर 10+2 का स्कूल और कालेज खुलवाएँ ताकि लड़कियाँ पढ़ सकें। ये तो खुद कहते हैं कि वे स्त्रियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं पर हो कुछ भी नहीं रहा है। इनकी सब बातें कहने की ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक देश और प्रदेश के अन्दर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तब तक इनका भविष्य ठीक नहीं हो सकता। अगर भाँ पढ़ी लिखी होगी, तभी वह घर का काम काज ठीक ढंग से कर सकेगी। इसलिए मुख्य मन्त्री जी को मेरे हल्के के अन्दर स्कूल और कालेज खुलवाने चाहिए। इसके अलावा स्कूल में टीचर्स भी नहीं हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें जे 0वी 0टी 0 टीचर या अग्र टीचर नहीं हैं, इसलिए आपको नये बच्चों की भर्ती करके टीचर्स लगाने चाहिए। इसके अलावा, मेरे हल्के में स्कूलों की छतें भी टूटी पड़ी हैं। सरकार को बरसात से पहले, पहले छतें ठीक करवानी चाहिए ताकि मासूम बच्चे भरने से बच जाएँ। मेरे हल्के की सबके भी टूटी पड़ी हैं और एक धनीया जमीर का पुल टूटा पड़ा है जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसलें ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सरकार को जल्दी ही सबके और पुलों की मरम्मत करवानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन्द्री हल्के के साथ साथ बहुत से गाँव जमुना से लगते हैं। जब बरसात में पानी आता है तो जमुना के बहाव से गरीब किसानों की जमीन कट जाती है। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि बरसात आने से पहले ही वहाँ पर ठोकरें लगाएँ ताकि गरीब किसानों की जमीन बच सके। इसी तरह से बिजली की भी प्रदेश के अन्दर बहुत जरूरत है। इसके साथ ही साथ मैं नेहरा साहब से भी निवेदन करूँगी कि वे नेहरों की गाँव निकलवाएँ। पिछले तीन साल से नेहरों पर काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या बात है? जब इनको सच बात कहते हैं तो ये कहते हैं

कि यह बात क्यों कही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेती हूँ।
धन्यवाद।

श्री सतबीर सिंह कादयान (नीलखा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है.....

श्री उपाध्यक्ष : समय के मामले में जो मिसाल बहिन जी ने कायम की है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सदस्य उसे कायम रखेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो डिमांड बड़ा-बड़ाकर सदन में पेश की है, उसमें जो खर्चे हैं, वे वास्तविकता से दूर हैं, ज्यादा खर्च तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है और फिक्सड ऐक्सपेंडीचर है। विकास के लिए बजट में उतना प्रावधान नहीं किया जितना होना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्रा स्फीति के हिसाब से ही बजट में दो तीन साल से वृद्धि हो रही है। ऐक्साइज से और सेल्ज टैक्स से जो आमदनी बतानी है, वह बस परसेट होगी। कुछ वृद्धि तो इसलिए कम रह जाती है कि वित्त मन्त्री जी हर महकमे को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रकृति पर निर्भर करती है। फसल अगर ज्यादा हो जाती है तो सेल्ज टैक्स ज्यादा आ जाता है और जो टैक्स उगाहे जाते हैं, जिनसे प्रदेश का विकास हो सकता है, उस पर सरकार का पूरा ध्यान नहीं रहता। 1977 में चौधरी देवी लाल जी ने मीचिंग ग्रांट्स स्कीम चलाई थी जिसके तहत स्कूल, कालेज, हरिजन चौपाल और गाँव की मलियों के लिए दुगुना पैसा किया करती थी और लड़कियों की शिक्षा के लिए तिगुना किया करती थी। मैं मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि 27-3-91 को इन्होंने इसराना में एक कालेज बनाने का फैसला लिया था। गाँव के लोगों ने 5 लाख 40 हजार रुपए जमा कर रखे थे लेकिन हमारी सरकार आठ दिन के बाद नहीं रही थी, उसके बाद गुप्ता जी की सरकार आ गई। विकास के नाम से लोगों के पैसे जो बैंकों में जमा हैं, उन संस्थानों को न उसका व्याज मिलता है न मीचिंग ग्रांट देकर दुगुना मिलता है। जब किसानों की जमीन एकवार की जाती है तो उनको पैसे दिये जान चाहिए लेकिन सरकार उनकी एक्सप्लाइट करती है। न तो किसान को उनकी जमीन का पैसा देती है और न ही विकास का काम हो रहा है। ऐसी योजनाएँ बनाई जाएं कि छह महीने के अन्दर अन्दर एकवार जमीन की परसेट किसान को की जाए। नक्शे आदि तैयार हों, ज्यादा से ज्यादा काम 6 महीने के अन्दर कर दिया जाए। सरकार जिन किसानों की जमीन एकवार करती है, उनको नौकरी दी जाए क्योंकि उनके पास आजीविका के दूसरे साधन नहीं होते।

मैं डिमांड नं० 16, 17, 9, 22, 2, 6 और 3 के ऊपर ज्यादा बोलना चाहूँगा। डिमांड नं० 16 इंडस्ट्री के बारे में है। सरकार चलंगबाग दाब करके हरियाणा की

[श्री सतबीर सिंह कादयान]

जनता को गुमराह करती है कि एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। कारखाने इतने ज्यादा लगाएंगे कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इन दावों से जनता खास में आ गई। हमारी सरकार 50 रुपये और 100 रुपये महीना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती थी। इसके अलावा उनको मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी देती थी। मैं प्रदेश के मुख्य मन्त्री को यह बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर जो आजकल उद्योग लग रहे हैं, वे चाहे एन0आर0आई0 स्कीम के तहत लग रहे हैं, चाहे प्रदेश से बाहर के आदमी लगा रहे हैं या हमारे प्रदेश के अन्दर रहने वाले लगा रहे हैं, वह बाहर के आदमी ही रखते हैं। हमारे पानीपत में एक नैसले की फॅक्ट्री लगी है। इसी तरह से एक पैपसी कोला वालों ने फॅक्ट्री लगाई है। वहां पर क्लास-थ्री और क्लास-फोर के सभी कर्मचारी बाहर के लिये हैं। प्रदूषण तो हरियाणा में ही, धुआं फॅक्ट्रीज का हम खायें, लेकिन हमारे प्रदेश के आदमी भी इनमें नौकरी में न लिये जायें, यह देखने योग्य बात है। इस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश में कार्यान्वित हो रही हैं। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में उद्योगों को मुचारु रूप से चलाने के लिये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा, एच0एफ0सी0 द्वारा और दूसरे अदायगों द्वारा जो धन दिया जाता है, उसको एक्सपी-डिअट करना चाहिये। इसके अलावा, जैसे कि आपको पता ही है किस तरह से खानों की बात हो रही है। हरियाणा का एक माईन्ज एण्ड मिनरल्ज का महकमा है। 1980 में जब चौधरी भजन लाल मुख्य मन्त्री थे तब उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो इनके नजदीकी हैं या करीब हैं, उनको आधिक तौर पर मजबूत करने के लिये सरकार की जो चट्टानें हैं या खाने हैं, जैसे स्लेट की खानें हैं या और कोई चीज निकलती है, वह उनको दे दी जाये। इनका यह फॅसला था ताकि ये खानें इनके अपने चहेतों को दी जा सकें। उसके बाद चौधरी बंसी लाल 1986 में मुख्य मन्त्री बने। इन्होंने इस काम के लिये एक कारपोरेशन बनाई जिसका नाम था एच0एम0एल0। यह कारपोरेशन काम करती रही। बाद में जब हमारी पार्टी की सरकार बनी और चौधरी देवी लाल जी आये तो हमने यह किया कि पहले इस एच0एम0एल0 से नो-आब्जंक्शन सर्टिफिकेट दिया जायेगा, तब किसी दूसरे को लीज पर देंगे। लेकिन जब 1991 में दोबारा चौधरी भजन लाल जी सत्ता में आये तो इन्होंने अपने चहेतों को और अपने परिवार के लोगों को यह जमीन लीज पर देनी शुरू कर दी।

चौधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर सर, इस दंग से ये जो वेग एजीगेण्डज लगा रहे हैं, वह पालियामेंटी परम्परा के मुताबिक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि इस दंग से एजीगेण्डज न लगायें, इनका इन डिमार्डज से कोई संबंध नहीं है। यह जो खानें दी जा रही हैं, उनके लिये वाक्यावदा एक प्रोसीजर बना हुआ है। उस प्रोसीजर के तहत खानें दी जा रही हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही मन मर्जी से जिस को चाहो

दे दी जायें। इसके लिये केन्द्र सरकार की कनकरैस भी लेनी पड़ती है। इसलिये इस ढंग से ऐसे ही एलीगेशन लगाना कि यह अपने परिवारों को दी जा रही है, यह ठीक नहीं है। इनके राज में जो कार्यवाही इस दारे में इन्होंने की थी, वह भी लोगों को पता है। आप लोगों ने जो खानें दी थीं, उनका क्या हाल था, क्या वह ये भूल गये? सारी जगहों पर, इन्होंने भी तो अपने ही रिश्तेदारों के अलावा, किसी और को खानें नहीं दी थीं। किस तरीके से कानून की श्रृंखला उड़ाई गयी, यह सब को पता है।

श्री सतवीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको लीज के बारे में बता रहा था कि इन्होंने अपने चहेतों को लीज पर दी है। रोजका-गुजर में, सिलिका-सैंड की लीज, दरियाणा मिनरल्स से सरैंडर करवाकर, शिवजीत सिंह व उपसेन को दी गयी है। उपसेन मुख्य मन्त्री जी के साले का लड़का है। इसके साथ ही अर्नागपुर-कटन व सराय ख्वाजा की सिलिका-सैंड की लीज, कैलाश आहूजा को दे दी गयी है।

श्रीधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, ये मिस्टर आहूजा का नाम ले रहे हैं, क्या यह भी रिश्तेदार है? (व्यवधान व शोर) इस ढंग से एलीगेशन लगाना और नाम लेना क्या ठीक है?

श्री सतवीर सिंह कादियान : मैं यह कह रहा था कि इसी तरह से अर्नागपुर-कटन व सराय ख्वाजा की सिलिका-सैंड की लीज कैलाश आहूजा को दी गयी है। एक पाली, जिला फरीदाबाद की सिलिका सैंड की दो खानें, शीशपाल सिंह सुपुत्र श्री कर्मवीर सिंह बगैरह को दी गयी हैं। एक गंगानो, जिला गुड़गांव की सिलिका-सैंड की लीज एस0ए0 मिनरल्स, करोलबाग, नई दिल्ली को दी गयी। इसमें कैलाश आहूजा के अलावा दूसरे व्यक्तियों की साझेदारी भी है। एक रविन्द्र कुमार पुत्र श्री अमीर चन्द मकड़, एम0एल0ए0 हांसी को, खरक-सोहना (गुड़गांव) की सिलिका सैंड की लीज दी गयी है।

श्रीधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। इस ढंग से एलीगेशन लगाना जिस तरह से यह कर रहे हैं, उचित नहीं है। एम0एल0ए0 का नाम लेकर यह एलीगेशन न लगायें तो ठीक रहेगा। जैसे कर्ण सिंह बलाल जी ने धनिक लाल मंडल जी का नाम लेकर एलीगेशन लगाया, वह भी ठीक नहीं था। क्या यह सब इनके रिश्तेदार हैं या इनके कहने से रिश्तेदार बन जाते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठ जाइए। आप एक मिनट भरी बात सुन लें। आप किसी ऐसे आदमी का नाम न लें जो अपने आपको हाउस में डिफेन्ड न कर सकता हो। (शोर एवं व्यवधान) चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठिए।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायट आफ आदमी । उपाध्यक्ष महोदय, इनका मकसद तो कभी ठीक बात कहने का नहीं है । कोई एम0एल0ए0 हो, कोई एम0पी0 हो और उसका कोई रिश्तेदार ही काम कर सकता है । काम करना कोई गुनाह तो नहीं है ? चोरी करना, डकैती करना और हेराफेरी करना तो बुरी बात है लेकिन अगर कोई आदमी कानून के हिसाब से सही काम करता है, मजदूरी में रहकर काम करता है तो इसमें क्या हर्ज है ? पहले इन माइन्ड से नौ करोड़ की इन्कम भी और आज के दिन सोलह करोड़ की इन्कम है । बाकायदा ऐप्लीकेशनज मांगी जाती है, इंटरव्यू होता है, तब माइन्ड दी जाती है । अगर मक्कड़ के लड़के ने ले ली है तो इसमें गुनाह की क्या बात है ? कोई गलत तरीके से ली हो तो यह कह सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सी0वी0आई0 ने कार्रवाई का केस दर्ज किया हुआ है और इन्कवायरी भी हुई है । अगर मैं आपका चिट्ठा खोलने लगूँ तो आपको सारी बातों का पता लग जाएगा ।

श्री सतवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, इफको का एक पैसा भी बकाया नहीं है, सारा पैसा वापिस आ गया है । मैं सबन को बताना चाहता हूँ कि जब आप सेक्टर में कृषि मन्त्री थे तो उस वक़्त के मेरे पास ऐसे सबूत हैं । एक-एक ट्रक में आठ-आठ नौ-नौ किलो वजन था और पूरे ट्रक के वजन का बलेम किया गया था । उपाध्यक्ष महोदय, मक्कड़ी (बम्बई) से आँवला इफको प्लांट बरेली में था और इको-नोमिक ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन कम्पनी, ट्रांसपोर्टेशन की ठेकेदार थी । इस केस में सी0वी0आई0 की इन्कवायरी भी चल रही थी । उन ट्रकों में आठ-आठ और नौ-नौ किलो वजन होता था लेकिन पूरे ट्रक का किराया लिया गया था ।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी कोई प्लांट लगाता है और वह प्राइवेट आदमी है तो यहाँ पर इस बात को कहने का क्या ताल्लुक है ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बाद चौधरी देवी लाल आए, बंसी लाल आए, अगर इनको कोई कमी नजर आई थी तो ये ऐक्शन ले सकते थे और मेरे खिलाफ चौधरी देवीलाल को केस दायर करना चाहिए था । हम कोई फिजूल की बात नहीं करते, मजदूरी में रहकर काम करते हैं । (शोर एवं ब्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री सतवीर सिंह कादियान ने कहा कि हाँ उस के नेता जब दिल्ली की सरकार में कृषि मन्त्री थे तो उस समय ऐसे ट्रक आए जिनमें नौ किलो वजन डाला गया और पूरे ट्रक का किराया लिया गया । आप उस समय कृषि मन्त्री थे और आपका नाम इसमें आ सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल ने कहा है कि जब श्री कादियान इफको के चेयरमैन थे, तो उस वक़्त काफी गलत काम हुए लेकिन श्री कादियान ने कहा है कि मेरे खिलाफ कहीं कोई लेनदेन का मामला नहीं है । मुख्य मन्त्री के ऊपर एक दोषारोपण

लगाया जा रहा है तो आप अपने आपको उस बात से अलग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई भाल नहीं आया और अगर आया है तो आप बात को साफ करें।

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बकायदा सी० बी० आई० की इक्वायरी हुई थी और इनके खिलाफ केस दायर हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरजी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, ये तो फिजूल की बात करते हैं? इनकी बात में कोई सदाकत नहीं है।

श्री सतबीर सिंह काश्यप : अगर आप चाहें तो मैं आपको ट्रक नम्बर दे सकता हूँ जिनमें आठ-नौ किलो बजन आया और पूरे ट्रक का किराया खर्च किया गया।

श्री धीरजी जगदीश नेहरा : आप नम्बर दे कीजिए। हम भागते चले नहीं हैं। ट्रक के नम्बर देने से क्या होता है? हम भी ट्रक के नम्बर दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैम्बर साहब डिमाण्ड पर बोलें, हम बिल्कुल भी बकलअन्दाजी नहीं करेंगे। आप इस तरह से बात करें जिससे हाउस की गरिमा को कोई आंच न आए।

श्री सतबीर सिंह काश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडस्ट्रीज की डिमांड नम्बर 16 पर बोल रहा था कि किस तरह से प्रदेश को इंडस्ट्रीज को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। जब तक प्रदेश के जो साधन हैं उनकी सही ढंग से यूटीलाइज न किया जाए तब तक हमारे प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रीज नहीं बन सकती। मैं आपको इस सरकार के कारनामों के बारे में बताता चाहता हूँ कि किस तरह से यह सरकार अपना कार्य कर रही है जो बड़ा ही आपत्तिजनक है? इन्होंने अब्दुल रजाक पुत्र गुलाम रसूल गांव पढाणी जिला गुड़गावां की सोन्ध की चाईन-क्ले की लीज जीधरी तैयब हुसैन के दामाद को फायदा पहुंचाने के लिये दे दी। (शोर) इसी तरह से सुरेन्द्र पुत्र राम रत्न एम० एल० ए० को स्लेट की लीज कौड़ियों के भाव दे दी। 700 एकड़ भूमि उसको केवल 10 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे दी गई। (शोर एवं व्यवधान) किस तरह से इस सरकार ने लोगों के साथ भेदभाव किया है। (शोर) अच्छा, उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा इंडस्ट्रीज पर न कहता हूँ, ऐजुकेशन पर बोलूंगा क्योंकि अगर मैं और कुछ बातें इंडस्ट्रीज के बारे में कह दूंगा तो इस सरकार को तकलीफ होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक ऐजुकेशन का संबंध है, इसके लिये वित्त मंत्री ने अपने बजट में बहुत कम पैसे रखा है। जब हमारी सरकार थी, उस वकत सिर्फ एक साल के अन्दर ही 350 स्कूलों को अपग्रेड किया गया था और इस मौजूदा सरकार ने चार सालों में केवल 313 स्कूलों को ही अपग्रेड किया है। (शोर)

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में तो केवल घोषणाएं ही घोषणाएं थीं, स्कूल एक भी अप-ग्रेड नहीं किया गया था। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : कादयान साहब, अब आप समाप्त करें। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करता हूँ। अमीर मक्कड़ साहब ने बोलते हुए कहा कि केवल घोषणाएं ही घोषणाएं हमारे वक्त में थीं, काम कोई नहीं किया। हमारे वक्त में ऐसी बात नहीं थी। जहाँ पर कोई नार्मज को पूरा करता था तो उस जगह पर स्कूल खोल दिया जाता था। आपकी सरकार की तरह हमारी सरकार किसी इलाके के साथ भेदभाव की नीति नहीं बरतती थी। आज स्कूलों की क्या हालत है, वही बिल्डिंग नहीं, वही बिल्डिंग है तो टीचर्स नहीं, कोई भी काम आपकी सरकार का नार्मज के अनुसार नहीं हो रहा है। (शोर) आज की यह मौजूदा सरकार नार्मज के लिहाज से स्कूलों की अप-ग्रेडेशन नहीं कर रही है, यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहूँगा कि वे इस शोर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ और इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राई स्पोर्ट्स स्कूल में नवल करवाई गयी। वहाँ का स्टाफ नकल करवाता रहा और बाद में लड़कों को कह दिया कि अभी नहीं लिये जाएंगे, बाद में दोबारा टेस्ट होगा। (शोर) और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, वे कहते हैं कि पहले मुझे मुख्य मंत्री महोदय ने नौकरी दे दी और बाद में अर्जी ली। ऐसी ऐसी, वार्ते इस राज में हो रही हैं। (शोर)

श्रीधर भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वॉच डॉक्टर, पढ़ाने वाला जो होता है, वह कार्डिनल आदमियों में से लगाया जाता है लेकिन आपकी तरह * * *

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द कार्यवाही में से निकाल जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ये शब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जाएँ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : राई स्पोर्ट्स स्कूल के अन्दर पिछले दिनों कुछ लड़कों ने गुंडागर्दी की। चार लड़कों को स्कूल से निकाला गया, फिर उन्हें दोबारा स्कूल में लिया गया। उन्होंने वहाँ के वाइस प्रिंसिपल की पिटाई की थी लेकिन किसी के खिलाफ कोई एफओ आर्डर आरओ या पर्चा दर्ज नहीं हुआ। जब ऐसा हो तो पढ़ने वाले बच्चों के दिल में क्या भावना पैदा होगी? यह बड़े सोचने का विषय है। इसी तरीके से हमारे प्रदेश के अन्दर लैड गैबिंग के तहत

* चेंबर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

एक संस्था बनी है, जिसका नाम 'भजन शिक्षा संस्थान' है। उसने बारह सौ एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। 415 एकड़ जमीन के तो पंचायतों से प्रस्ताव ले लिये। उसमें बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि फरीदाबाद में एक संस्था बनी है। उसे पढ़ कर मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यह पेपर में कैसे आ गई। मैंने उसी वक्त पता किया। उस वारे में किसी पंचायत ने प्रस्ताव नहीं किया और यह सब बेसलेस बात है। ये लोग जैसे खुद थे, इनको वैसे सब को नहीं समझना चाहिये। हमारे पर थोड़ी सी छपा करो। हर एक को अपने जैसा इन्सान नहीं समझना चाहिये।

श्री सतबीर सिंह कादधान : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की परन्तु मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 'भजन शिक्षा संस्थान' बाकायदा रजिस्टर्ड है। उस शिक्षा संस्थान को उपहार देने के लिये 415 एकड़ जमीन के लिये प्रस्ताव पंचायतों से करवाए गए। जैसे नंगल गुजरान पंचायत से 170 एकड़, कुरैशीपुर से 40 एकड़, गढ़ी गुजरान से 70 एकड़ पाखन से 50 एकड़ मादलपुर से 40 एकड़ नेकपुर से 30 एकड़ और सरूरपुर पंचायत से 15 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपके पास वह प्रस्ताव है, तो आप उनको टेबल आफ दि हाउस पर रख दें।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि एक भी पंचायत का प्रस्ताव नहीं है। जब प्रस्ताव ही नहीं है तो ये टेबल पर क्या रखेंगे।

श्री सतबीर सिंह कादधान : चलो, हम इसकी और क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। वैसे हम कोई झूठ बात यहां पर नहीं कहना चाहते हैं, यह बात सच्ची है। इसके बाद मैं कोआप्रेशन विभाग के बारे में दो-चार सुझाव देना चाहता हूँ। (धंती) उपाध्यक्ष महोदय, यह महकमा ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा आदिमियों को रोजगार देने में मदद कर सकता है। परन्तु जिस तरीके से हमारे संस्थान चल रहे हैं, वे प्रदेश के लिये हितकर नहीं हैं। किसी भी ऐसी संस्था की एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होती। अगर इनकी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाए तो उसमें जुने प्रतिनिधि यानी डायरेक्टर्स आएंगे और जिन लोगों ने उस संस्था में अपनी पूंजी लगाई हुई है, उनको अपने सुझाव उस मीटिंग में देने का मौका मिलेगा। लेकिन उनको वह मौका नहीं दिया जाता। मैं कनफेड के वारे में क्या कहूँ। वहाँ पर एक ऐसा एम0डी0 लगा दिया जो एक जेब में तो टर्मिनेशन के आर्डर रखता है और दूसरी जेब में नौकरी देने के आर्डर रखता है। बाहरे * * * * *
तेरे ठाट कलक दो चपड़ासी आठ। (शोर)

* सेक्टर के आदेशानुसार रिक्वाइर्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : यह नाम रिकार्ड न किया जाये।

श्री सतबीर सिंह काश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, वह ऐसा एम० डी० है जिसको सभी जानते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता। उस एम० डी० के 70—70 हजार रुपए के हर महीने के बिल आते हैं। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि उसका नाम नहीं आया तो इस तरह से कह देते हैं कि बाहरे एम० डी० के ठाढ़ क्लर्क दो चपड़ासी आठ।

श्री उपाध्यक्ष : काशियान साहब, अब आप बैठ जाएं। श्री पीर चन्द जी बोलेंगे।

श्री सतबीर सिंह काश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप केवल पांच मिनट और बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं।

श्री पीर चन्द (रतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 8, 9, 10, 11, 21 और 23 पर अपने विचार प्रकट करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय मेरे रतिया हल्के में पिछले 12 साल से कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। जो पिछली सरकार आई थी, उसने बहुत हिम्मत के साथ रतिया में एक बस-स्टैंड का पत्थर रखा था। आज उस पत्थर का पता नहीं कहाँ पर है। उसी सरकार के आदमी उस पत्थर को वहाँ से उठा कर ले गए। आज चार साल ही गए, उस समय माननीय चौधरी श्रीम प्रकाश चौटाला मुख्य मन्त्री होते थे। उन्होंने बस स्टैंड के लिए पत्थर रखा था और उन्हीं के आदमियों ने उस पत्थर को उठा कर पता नहीं कहाँ पर फेंक दिया, उसका आज तक पता नहीं लगा।

श्री० सम्मत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। वहाँ पर बस स्टैंड बनाने के लिये पत्थर जकड़ लगाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन बाद में यह सरकार आ गई और यह सरकार उस पत्थर और पी चन्द दोनों को ले गई। (हंसी)

श्री पीर चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सम्मत सिंह जी खुश मिजाज आदमी हैं और वे अपनी गलती को मानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इन्होंने अपने चार साल के समय में हरियाणा के अन्दर विकास नाम की एक चीज ईंट नहीं लगाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में इस वक्त न कोई अस्पताल है और न कोई बस-स्टैंड है। इसके अलावा मेरे हल्के में स्कूलों की भी बहुत कमी है। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 21 जनवरी को वहाँ पर एक जलसा रखा था। उस समय हमने इनके सामने हल्के की डिमांड रखी थी और कहा था कि पिछले 12 साल से हमारे यहाँ कोई

विकास का काम नहीं हुआ है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय बड़े सम्मान के साथ वहाँ पर 30 बेड का अस्पताल मंजूर किया और बस स्टैंड के बारे में यह फरमाया कि जिस सरकार ने उसको बनाने का पत्थर रखा था, उस पत्थर को हम बदलना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने पत्थर रखा ही, हम वह बनाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मेरे हल्के में मुख्य मंत्री महोदय ने रतिया हल्के में एक 33 के 0 वी 0 पावर स्टेशन मंजूर किया है। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। जब ये 1979 के अन्दर मुख्य मंत्री थे, उस समय रतिया की सिर्फ एक थाना और एक ब्लॉक के नाते से जाना जाता था। लेकिन जब वे आदर्शनीय भजन लाल जी, मुख्य मंत्री बने तो 1979-80 में वह पूरा शहर बन गया। इन्होंने ही उसको तहसील बनाया नहीं बसें लगाईं। इतना ही नहीं बहुत बढ़िया अनाज मंडी भी बनाई। उस समय में हेफेड का चैयरमैन होता था। वहाँ पर 30 करोड़ रुपये की लागत से एक कम्प्लेक्स बनाया गया है। अब फतेहाबाद से रतिया की तरफ जाते हैं तो दूर से ही पता लग जाता है कि यह रतिया शहर है। चौधरी भजन लाल जी ने उस समय जितने काम किए, उनके लिये मैं इनको दाद देता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने मुख्य मंत्री काल में सन 1980 में मेरे हल्के रतिया में एक मिसाल कायम की थी कि एक प्राइमरी स्कूल को सीधा हाई स्कूल अपग्रेड किया था। उस समय ये स्कूल के लिये 2 लाख रुपये देकर आए थे। अब जब दोबारा गए तो उसको ये 10 जमा 2 का कर आए हैं। इसी प्रकार से जाखल गाँव का स्कूल अब इनकी धोषणा के मुताबिक 10 जमा 2 का ही जाएगा। इस स्कूल के 25 कमरे बहुत बढ़िया बन कर तैयार हैं। मेरे हिसाब से तो वह 10 जमा दो का स्कूल आज से चार पाँच साल पहले बन जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के में एक रंगोई नाला है। इस नाले की खुदाई चौधरी सम्मत सिंह जी के राज में नहीं हो पाई जिस के कारण बाढ़ से नुकसान होता रहता है। मैं हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने समय में इस नाले की खुदाई के लिये 1 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च किए लेकिन एक तीन किलोमीटर का टुकड़ा छोड़ दिया। इस टुकड़े के पूरा न होने से जाखल से रतिया और फतेहाबाद से टोहाना के काफी गाँव बाढ़ में डूब गए थे। अब गाँवों के लोगों ने आपस में मिलकर इस तीन किलोमीटर के टुकड़े को पूरा किया है। अब इस नाले पर सब ने मिलकर एक 3 किलोमीटर लम्बा, 10 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा बाँध बाँध दिया है। इस काम को गाँवों वालों ने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से पूरा किया। इस काम में वहाँ के डी 0 सी 0 साहब, एस 0 डी 0 एम 0 साहब, तहसीलदार साहब, वी 0 डी 0 ओ 0 साहब ने भी अपना-अपना योगदान दिया है। यह बाँध 10 फुट चौड़ा 6 फुट ऊंचा और 3 किलोमीटर लम्बा है। अगर इस बाँध को 10 फुट और चौड़ा कर दिया जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी।

[श्री पीर चन्द] (विष्णु) इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टोहाना रोड और रतनगढ़ तक पुल को अगल बना दिया जाए तो पंजाब को जाने के लिये रास्ता सीधा हो जाएगा और लोगों को सुविधा हो जाएगी। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जमींदार बहुत ही मेहनती हैं और उस जमीन का पानी भी मीठा है लेकिन बिजली की शॉर्टेज है। वहाँ पर 33 के 0 वी 0 का पावर हाउस बन रहा है और उम्मीद है कि इसके पूरा हो जाने से बिजली की कमी नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के रतिया में मास्टरों की बहुत कमी है, खासकर पंजाबी टीचरज की ज्यादा कमी है। यह इलाका पंजाब के साथ लगता है इसलिये पंजाबी पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। इसीलिये मैं एजुकेशन मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वहाँ पर ज्यादा पंजाबी मास्टरज भेजने की कोशिश करें। (विष्णु) उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी कुछ बातें कहना चाहता था लेकिन बोलने वाले और भी बहुत से साथी होंगे, इन्होंने भी अपने विचार रखने हैं। मुख्य मन्त्री जी से मेरा तम निवेदन है कि जैसे पहले इन्होंने अपने शासनकाल में रतिया को चमकाया था, सारे काम पूरे किये थे, इसी तरह अब भी वे इस हल्के का पूरा ख्याल रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री राम भजन अग्रवाल (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 3, 5, 7, 11 और 16 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक डिमांड नम्बर 3 का संबंध है, वह होम डिपार्टमेंट से संबंधित है। आज सारी स्टेट के अन्दर कानून और व्यवस्था तामे की कोई चीज नहीं है। कानून का पालन पुलिस करवाती है परन्तु इस प्रान्त के अन्दर पुलिस का ऐसा हाल है कि लोगों को नाजायज पुलिस हिरासत में रखा जाता है, लाड़ना दी जाती है, डर और आतंक का बोलबाला है, यहाँ पर पुलिस लोगों को मारती-पीटती है और उत्तेजित हो कर लोग पुलिस वालों को पीट डालते हैं। जहाँ पुलिस और जनता में तालमेल न हो कहीं पुलिस जनता को मारती पीटती है तो कहीं जनता पुलिस को मारती पीटती है, वहाँ पर कानून और व्यवस्था की क्या हालत होगी? उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर 5 एक्सट्राईज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की है। इस विषय में मैंने पहले भी कहा है कि प्रदेश से व्यापार दिन-प्रति दिन खत्म होता जा रहा है। मार्केट फीस 3% है लेकिन नजदीक की दूसरी स्टेट्स दिल्ली और राजस्थान में मार्केट फीस कम है इसीलिये इस स्टेट का व्यापार दूसरी स्टेट्स में जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सेल्ज टैक्स के सरलीकरण का सवाल है, वह नहीं हुआ है। जो सेल्ज टैक्स सिस्टम है, वह तर्कसंगत नहीं है और टैक्स बहुत ही ज्यादा हैं। अगर सेल्ज टैक्स का रेट कम कर दिया जाए तो टैक्स की रिकवरी ज्यादा होगी और स्टेट रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ। हमारे शहरों के अन्दर बाजार होते हैं और इन बाजारों में छोटे दुकानदार होते हैं, वे

अपने तख्त लगाते हैं और म्यूनििसिपल कमेटी उनसे टैक्स लेती है। अभी मुझे पता चला है कि 1991-92 में उनसे दस पैसे पर स्कोयर फुट टैक्स लिया जाता था और 1993-94 में बढ़ाकर 40 पैसे पर स्कोयर फुट चार्ज किया जाने लगा। अब इस महीने मार्च के अन्दर म्यूनििसिपल कमेटी ने जो अनाऊन्स किया है, वह पिछले साल के टैक्स से 50 गुणा ज्यादा है और 1992-93 से दो सौ गुणा ज्यादा टैक्स लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसका सुधार किया जाना चाहिये और सरकार की तरफ से म्यूनििसिपल कमेटी को आदेश दिए जाने चाहिये कि यह टैक्स 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, न कि 50 गुणा बढ़ाया जाए। क्या सरकार इसके लिए म्यूनििसिपल कमेटी को हिदायत जारी करेगी? भिवानी में यह भी कहा गया है कि 25 मार्च तक इस टैक्स की रिकवरी होनी है और यह आदेश रिकवरी कमेटी के है। यह भी कहा गया है कि जो व्यापारी इस अवधि तक यह टैक्स नहीं देगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। यह ठीक नहीं है और न ही यह गरीब आदमी के लिये सहने योग्य है।

अब मैं डिमांड नं० 9 एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। आज स्कूलों को अपग्रेड किया जाता है, उसके क्या नामर्ज हैं। पिछले साल भी यह बात आई थी कि हिसार में सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए गए थे। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम तो होने चाहिये। जो भी उन नियमों को पूरा करता है, उनको अपग्रेड किया जाए। विशेष तौर से जो लड़कियों के स्कूल हैं, उनको अपग्रेड किया जाना चाहिये ताकि लड़कियों को पढ़ने के लिये दूर न जाना पड़े। इस बारे में तो मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा था कि वे इसको ध्यान में रखेंगे।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, कई स्कूलों में अध्यापक न होने की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं होती है। इसलिये यह नकल जो होती है इसका कारण भी अध्यापकों का न होना है। ठीक है सरकार स्कूल खोल देती है लेकिन सरकार को वहाँ पर अध्यापकों की व्यवस्था भी करनी चाहिये। मेरे हल्के में तीन कालेज हैं। अध्यापक की बात तो छोड़ो वहाँ पर प्रिन्सिपल ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ पर प्रिन्सिपल भी न हों, वहाँ पर शिक्षा का विस्तार कैसे हो सकता है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 11 हुड्डा के बारे में है। हाउसिंग कालोनियां हुड्डा डिवेलप करती है लेकिन वहाँ पर न तो कालोनियां बनाई गई हैं और न ही सड़कें बनाई गई हैं। ये लोगों से बराबर किस्तें लेते रहते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति किस्त देने में लेट हो जाए तो उससे भारी इन्ट्रेस्ट चार्ज किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कालोनियां अभी तक नहीं बनाई गई हैं, उन लोगों से जो किस्तें ली जाती हैं वह ठीक हिसाब से नहीं ली जाती हैं। अगर वहाँ पर सड़कें बनाई जाती हैं तब तो किस्तें लें, अगर नहीं बनाई जाती हैं तो किस्तें न लें। उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ पर सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। सड़कों को पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट देखता है। सड़कें बनानी तो दूर

[श्री राम भजन धनवाल]

रही, उनकी रिपेयर का काम भी नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी मरम्मत होनी चाहिए, साथ ही जो सीवरेज है वह भी ठीक होने चाहिए। आज शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है इसलिये वहाँ पर सीवरेज सिस्टम होना चाहिए। साथ ही जो पुराने सीवरेज हैं, उनकी भी सफाई होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे शहर भिवानी के अन्दर दो सफाई की मशीनें हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, उन मशीनों से सीवरेज की सफाई नहीं होती जिस वजह से पीने के पानी में सीवरेज का पानी आ रहा है, इसलिये इस प्रोब्लम को दूर किया जाए।

अब सवाल इंडस्ट्री का है। आज उद्योग लगाने के लिये बिजली की बहुत आवश्यकता है। बिजली को टाप प्रायवटी देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर जमींदारों को सबसीडी दी जाती है। लेकिन बिजली मिल ही नहीं रही, इसलिये सबसीडी का क्या फायदा? इसलिये सरकार जमींदारों को बिजली दे। इसके अतिरिक्त लोगों को अपने जेनरेटर सेट लगाने दे ताकि वे अपने उद्योगों को ठीक से चला सकें। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों की स्टेट को बहुत जरूरत है लेकिन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ तो बिजली नहीं है और दूसरी तरफ उद्योग विभाग के अधिकारी भी ठीक तरह से एंजुकेटिड नहीं हैं, इसलिये इंडस्ट्री के अधिकारियों को एंजुकेटिड किया जाए ताकि जो लोग उद्योग लगाना चाहें, वे अधिकारी उन लोगों को ठीक ढंग से शिक्षा दे सकें ठीक तरह से उनको गाईड लाईन दे सकें। ऐसा करने से उद्योगपतियों का हिसला बढ़ेगा। न केवल बाहर के आदमियों को यहां बुलाकर उद्योग लगवाने चाहिए बल्कि यहां के जो उद्योगपति हैं उनको भी उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिए और सरकार की तरफ से सुविधाएं देनी चाहिए ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। आज भ्रान्त के अन्दर अर्थव्यवस्था खराब हुई पड़ी है, अगर ठीक तरह से इन सब बातों की पालना हो तो अवश्य ही स्टेट का वॉल्वरिंग ठीक हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

श्री अमर सिंह ढांडे (गुहला) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, बाकी डिमांड्स पर तो सभी साथी बोलें हैं लेकिन डिमांड नं० 13 पर कोई साथी नहीं बोला। मैं इसी डिमांड पर कहना चाहूंगा जो समाज कल्याण विभाग से संबंधित है। सर, समाज कल्याण के लिये जो राशि रखी जाती है, उसका बहुत ही मिसयूज हो रहा है। सरकार इस राशि को हरिजनों पर खर्च करने के बजाए अन्य कामों पर खर्च करती है। कागजों में तो हरिजनों का नाम दे दिया जाता है कि हम इतना पैसा हरिजनों पर खर्च करने जा रहे हैं लेकिन वास्तव में वह पैसा उन पर खर्च नहीं होता। सरकार कहती है कि वह हरिजनों के लिये बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन हरिजनों की भलाई

का कोई काम नहीं होता, हरिजनों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, हरिजनों के साथ भेदभाव बरता जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूँ। सी०एम० साहब ने विधान सभा में चर्चा करते हुए एक बात कही थी कि सरकार 30 एच० सी० एस० नौमिनेट करने जा रही है लेकिन सरकार ने इन तीस एच० सी० एस० की भर्ती में हरिजनों के लिये कोई कोटा नहीं रखा यह बड़े खेद की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँ कि 1981 में जूड़ीशियल मैजिस्ट्रेट की पोस्ट्स एच० पी० एस० सी० के परिष्कृत से निकालकर डायरेक्ट जूड़ीशियल मैजिस्ट्रेट लिए गए थे, उस समय भी भजन लाल जी ही मुख्य मन्त्री थे। मुझे पता नहीं कि क्यों मुख्य मन्त्री जी हरिजनों से ताराज हैं, क्यों इन्होंने एच० सी० एस० में हरिजनों का कोटा काट दिया? उनमें एक भी हरिजन नहीं लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के राज्य में अच्छी-अच्छी पोस्टों पर हरिजन लगाए जाते थे चाहे वह डी० जी० पी० की पोस्ट थी। लेकिन इस सरकार में कोई भी हरिजन किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं लगाया जाता। सरकार उनके साथ बड़ा भेदभाव कर रही है। प्रमोशन की जो पौलिसी है, सरकार उसको भी पूरी तरह से लागू नहीं कर रही। मुझे विधान सभा की एस० सी० एवं एस० टी० कमेटी का मੈम्बर बनना था। मेम्बर होने के नाते से मैंने देखा है कि सरकार ने किसी भी महकमे में हरिजनों को पूरी रिजर्वेशन नहीं दी। जब कोई टेस्ट होता है तो हरिजनों को छोड़ दिया जाता है। मैंने पिछले सेशन में सवाल भी दिया था कि बी०-1 की पोस्टों में हमारे हरिजन लड़कों को जान-बूझकर क्यों छोड़ दिया गया है, कारण यही है कि सरकार नहीं चाहती कि हरिजनों के लड़के आगे आएँ, उनको कुछ फायदा हो। मैंने यह भी पूछा था कि हमारे हरिजाणा के अन्दर जे० बी० टी० अस्थापक कितने हैं और उनमें हरिजन कितने हैं जे० बी० टी० की भर्ती में भी हरिजनों के साथ ज्यादाती की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि अगर सरकार हरिजनों का ध्यान रखना चाहती है तो उनके लिये स्पेशल जे० बी० टी० की ट्रेनिंग स्कूल खोलकर दे ताकि जे० बी० टी० की भर्ती में हरिजनों का पिछला बैकलौग पूरा किया जाए। जो हरिजन सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनके लिये भी सरकार चिन्तित हो, उनके विकास के लिए भी सरकार कुछ न कुछ करे। जो हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स रिजर्वेशन के कोटे को पूरी तरह से लागू नहीं करते, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो। ऐसा बिल सरकार विधान सभा में लाए, हम उसका समर्थन करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हरिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा की एस० सी० एस० टी० कमेटी के सामने ऐसे भसले भी आए कि अम्बाला में म्यूनिसिपैलिटी में स्वीपर के पाँच पदों पर सामान्य जाति के उम्मीदवारों को लगा दिया गया। इससे बढ़कर सरकार हरिजनों के साथ और क्या भेदभावन करेगी?

श्री उपाध्यक्ष : अमर सिंह जी, अम्बाला की जो बात आपने कही है, उससे मेरा भी ताल्लुक है। आप पदिकूलरछं बता दें।

श्री अमर सिंह ढांडे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पटिकुलर्ज भी दे दूंगा पांच पोस्टें जो भरी गई हैं, वह स्वीपर की पोस्टें हैं और उन पर दूसरे लोग लगे हुए हैं। (विष्णु)

श्री अमीर चन्द मक्कड़: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है। अभी अभी अमर सिंह जी ने बोलते हुए कहा कि अम्बाला की म्यूनिसिपैलिटी में स्वीपर की पोस्ट पर दूसरे लोगों को लगाया है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दूसरे भाई इस काम में आना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि अगर कोई दूसरा भाई सफाई का काम करना चाहे तो उसे भी उस काम में लगाया जाना चाहिए।

श्री अमर सिंह ढांडे: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हरिजनों की प्रमोशन के बारे में कह रहा था। (व्यवधान व शोर) सर, मैं डिमांड नं० 13, जो समाज कल्याण विभाग के बारे में है, पर बोल रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर सर, सरकार कहने को तो कहती है कि हम हरिजनों के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जहाँ तक प्रमोशन पालिसी की बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे चौधरी देवी लाल जी की जब पहली बार सरकार आयी तो 9-2-1979 को, इन्होंने हरिजनों के लिये प्रमोशन पालिसी बनायी थी। कहने को तो यह श्रेय कांग्रेसी लेते हैं लेकिन आप देखें कि यह पालिसी पहली बार किस सरकार ने बनायी थी? जब दोबारा 1987-88 में चौधरी देवी लाल की सरकार आयी तो उसने सीनियोरिटी-कम-फिटनेस प्रमोशन की पालिसी हरिजनों के लिये लागू की। डिप्टी स्पीकर साहब, आप यह देखें कि हरिजनों के लिये किसने काम किया है और किसने नहीं किया है? यह अब आप ही बता दें। डिप्टी स्पीकर साहब, अब यह पालिसी लागू है और हरिजनों के लिये प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लागू है। अभी पिछले दिनों रैवेन्यू डिपार्टमेंट में 104 आदमियों की जो डिप्टी सुप्रिन्टेंडेंट्स की प्रमोशन हुई है, उसमें केवल 10 या 12 हरिजन व्यक्तियों को यह प्रमोशन दी गयी है। आप खुद अन्दाजा लगाइये, न इसमें बैकवर्ड क्लासिफ़िकेशन के लोगों को पूरी रिजर्वेशन दी गयी है और न ही हरिजनों को पूरी रिजर्वेशन दी गयी है। कहने को तो यह बहुत कुछ कहते रहते हैं लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन-इन्-प्रमोशन का ताल्लुक है, उसको भी पूरी तरह से यह लागू नहीं कर सकते। हरिजनों के साथ कितना भेदभाव यह सरकार कर रही है, यह आप खुद ही अन्दाजा लगा लें?

अब मैं अपने हल्के के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मेरे साथियों ने अपने-अपने हल्कों की दिक्कतों के बारे में बताया है। जो लोग सरकार में बैठे हैं, जब उनके हल्कों में ही बड़ी भारी कमियाँ हैं तो विपक्ष के आदमियों के हल्कों में तो बिल्कुल ही काम नहीं होते होंगे। मैं तो विपक्ष का आदमी हूँ, इसलिये मेरे हल्के में किसी काम के होने का तो स्वाल ही नहीं उठता। इससे कितनी दिक्कतें वहाँ के

योगों को होती होंगी, इसका आप भली भाँति अन्दाजा लगा सकते हैं? मेरा हल्का गुहला-चीका है। वहाँ पर पिछली बार जब फलड आया था तो सबसे ज्यादा इसको मार पड़ी थी। फसलें तबाह हो गयीं, सड़कों भी काफी टूट-फूट गयीं। लेकिन उन दूटी हुई सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन सड़कों की रखेयर की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल जिला के गुहला चीका हल्के के अन्दर एक नया पैसा भी सड़कों की मरम्मत पर खर्च नहीं किया गया और न ही इसके लिये कोई पैसा दिया गया। आज उन सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। मैं, चूंकि अध्यापकता में हूँ, इसलिये वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहे हैं जबकि बिना भेदभाव के सब जगह पर काम होने चाहिये।

जहाँ तक शिक्षा की बात है, मेरे हल्के में शिक्षा का बुरा हाल है। वहाँ पर चीका और भागल में 10 जमा दो के स्कूल खोले गये थे जिनकी मन्जूरी चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने दी थी। उन दोनों स्कूलों को तोड़ कर, एक छोटे से गाँव के स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया। वह गाँव चूंकि वहाँ के पूर्व विधायक का है, जिसका नाम है कायथली। उस गाँव के स्कूल को 10 जमा दो तक अपग्रेड कर दिया गया। एजुकेशन का इतना बुरा हाल है जिसकी कोई हद नहीं। हमारा हल्का पंजाब के साथ लगता है। उस एरिया में जितने भी स्कूल हैं, उनमें अध्यापक ही नहीं हैं और जहाँ हैं, वहाँ बहुत ही कम हैं। सारे स्कूल अध्यापकों के बिना खाली पड़े हैं। मेरे क्षेत्र के हाई स्कूल में केवल दो-चार अध्यापक ही हैं और मिडल स्कूल में तो कोई एक या दो अध्यापक होते हैं। आज हमारे हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिये। केवल इस बिना पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये कि वह एक विपक्ष के विधायक का हल्का है। हम शुरु से ही चौधरी देवी लाल जी के साथ रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो ठीक बात है, वह इसे करनी चाहिये। एजुकेशन के मामले में चीका व भागल में क्या कमी है, उसको 10 जमा दो तक क्यों अपग्रेड नहीं किया जा सकता? वह आपकी हर शर्त पूरी करता है। वहाँ पर बिल्डिंग पूरी है, जमीन पूरी है, फिर सरकार 10 जमा दो का स्कूल क्यों नहीं खोलती? मेरा कहना यह है कि वहाँ का स्कूल भी जल्दी से जल्दी अपग्रेड होना चाहिये। वहाँ एक कालेज है। उसके अन्दर करीब एक सहीना पहले गड़बड़ हुई थी, शायद उसका आप सबको पता होगा। वहाँ के पूर्व कांग्रेसी विधायक के भतीजे और लड़के ने, कालेज के एक लड़के के साथ इतनी मार-पीट की और पैट में चक्कू मारा। वह लड़का आज भी हॉस्पिटल में पड़ा है। कालेज के प्रिंसिपल ने उन लड़कों को कालेज से एक्सपेल कर दिया। वहाँ का पूर्व विधायक आज भी इस इशू पर कालेज के प्रिंसिपल पर प्रेशर डाल रहा है कि उन लड़कों को, जिनको एक्सपेल कर दिया गया था, दोबारा एडमिट किया जाये।

जहाँ तक नहरों और माईनर्स का सम्बन्ध है, मेरे हल्के में दो माईनर्स पड़ती

[श्री अमर सिंह ढांडे]

हैं। आज तक उनके अन्दर कोई काम नहीं हुआ है। उनकी कमी भी गाँव बगैरहू नहीं निकाली गई। उपाध्यक्ष महोदय, पानी की हालत यह है कि आज तक टेल पर पानी नहीं पहुँचा है। मेरा एरिया जोरी का एरिया है। अगर वहाँ पर पूरा पानी न मिले तो जोरी की फसल को काफी नुकसान होता है। मेरे इलाके में बिजली की भी काफी कमी है। बिजली की हालत यह है कि दो घंटे बिजली मिलती है। कन्नक की फसल तैयार है और उसे पानी की जरूरत है लेकिन बिजली की कमी की वजह से लोग अपने ट्यूबवैलज नहीं चला सकते। आगे जोरी की फसल आने वाली है, उसका सीजन कुछ समय बाद आ रहा है। अगर वहाँ पर पूरी बिजली नहीं दी गई तो जोरी की फसल की बुवाई में काफी नुकसान हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में पंचायत की जमीन का एक बहुत बड़ा घपला हुआ था और उसके बारे में आपने अडवार्सों में भी पढ़ा होगा। पंचायत की जमीन पर एक पूर्व सरपंच ने कब्जा कर लिया है। यह कब्जा उसने अफसरों की मिलीभगत से किया था। वह चालीस एकड़ जमीन थी लेकिन सरकार ने उसका कब्जा छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो अब पंचायत बनी, उसने उस जमीन से उस सरपंच को बेदखल करने का किस तैयार किया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जिन अफसरों की मिलीभगत से उस पूर्व सरपंच ने पंचायत की जमीन पर कब्जा किया, उन अफसरों के खिलाफ भी सरकार ने कोई ऐक्शन नहीं लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जंगलात के बारे में कहना चाहता हूँ कि बिलासपुर में जंगलात को नाजायज तौर पर काट लिया गया। आदरणीय श्रीम प्रकाश चौटाला के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे सरकारी पेड़ नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सोलह हजार सरकारी पेड़ थे जिनको काटा गया था। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि वे सरकारी पेड़ नहीं थे। उपाध्यक्ष महोदय, कितने लाज्जुब की बात है कि पच्चीस सौ पेड़ काटने का ठेका दिया गया। लेकिन उस ठेकेदार ने सरकार की मिलीभगत से 25 हजार पेड़ काट लिए। उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। एक तरफ तो सरकार बत लगा रही है और दूसरी तरफ सरकार के मन्त्री घपला कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को दुबारा दोहराना चाहता हूँ कि यह सरकार हरिजनों और बीकबई क्लास के लोगों के सहारे चल रही है लेकिन उनकी भलाई का कोई काम नहीं कर रही है। अगर सरकार उनकी भलाई के लिए कोई पग नहीं उठाएगी तो उन लोगों का कैसे भला हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : अमर सिंह जी, अब आप खरम करें।

श्री अमर सिंह डांडे : सर, सरकार को चाहिए कि हरिजनों का जो हक है, चाहे वह मुलाजमत में है या आम आदमी है, वह उनको मिलना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब श्रीमती चन्द्रावती जी बोलेंगी।

श्रीधरी श्रीम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे न तो गवर्नर ऐड्रेस पर टाईम दिया गया और न ही बजट पर दिया जा रहा है। मैंने एक कट मोशन भी दिया हुआ है। ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे टाईम ही नहीं दिया जा रहा है? मुझे टाईम मिलना ही चाहिए। बोलने का मेरा कांस्टीट्यूशनल राईट है। यहाँ पर एक-एक आदमी को याधा-आधा घंटा टाईम दिया जा रहा है लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा है। ऐसी क्या बात है?

श्रीधरी जगदीश नेहरा : उपाध्यक्ष महोदय, इन डिमाण्ड पर बोलने के लिए जो टोटल टाईम स्पीकर साहब ने अलाट किया है, उसके हिसाब से जितना जिसके हिस्से में आता है, आप उसना समय दे दें। श्रीम प्रकाश जी के हिस्से में अगर एक मिनट आता है तो एक मिनट दे दें और अगर नहीं आता है तो न दें। आप जानते हैं कि हमारे पैसठ मैम्बर हैं और इनमें से केवल दो मैम्बर बोले हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे मैम्बरज को पूरा समय दिया जाए।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : डिप्टी स्पीकर साहब, समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं डिमाण्ड पर बोलना चाहती हूँ। इन डिमाण्ड में इरिगेशन की डिमाण्ड तो है लेकिन पावर की डिमाण्ड नहीं है। क्या पावर का अलग से बजट है? मेरे ब्याल से पावर की डिमाण्ड भी होनी चाहिए थी।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं कोऑपरेटिव की डिमाण्ड के बारे में कहना चाहती हूँ। मैं इस बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, जो कोऑपरेटिव सोसायटीज हैं, अगर वे डिफाल्टर हो जाती हैं तो कुछ लोग उन पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ ने उन पर कब्जा कर भी रखा है और वे उसी के हिसाब से रकम मिल कर ठीक कर लेते हैं और दूसरे किसी व्यक्ति को उसमें धुसने नहीं देते। ऐसे लोगों की सोसायटीज में भ्रमराशिप नहीं होनी चाहिये। मैं चाहूंगी कि सचिव व रजिस्ट्रार के जैवल पर इस बात को देखा जाना चाहिये। जित्त लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उनको हटाये जाने के लिये सरकार को कोई उचित कदम उठाने चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद मैं हुड्डा के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। हुड्डा कुछेक किसानों की जमीनों को ले लेता है लेकिन उनको उसका सही मुआबजा व आल्टरनेटिव नहीं दिया जाता। किसानों के पास उस जमीन के सिवाये खाने पीने का कोई दूसरा साधन नहीं होता और कोई दूसरा काम धंधा भी उनके पास नहीं होता जिसके सहारे लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इसलिये मैं आपके द्वारा

[श्रीमती चन्द्रावती]

सरकार से कहूंगी कि जिन लोगों की सरकार जमीन लेती है, उन को सरकार को भौकरिया देनी चाहिये या कोई दूसरा आल्टरनेटिव सरकार को देना चाहिये ताकि वे लोग, जिनकी जमीनें हड़्डा ले लेना है, उसके पास जीवन निर्वाह करने के पक्के साधन हों। पैसा जो सरकार देती है, वह तो एक किस्म का कंपन्सेशन होता है और वह पैसा खत्म भी हो सकता है। अगर सरकार कोई ऐसा साधन ऐसे लोगों को जुटाये जिससे उनका परिवार का गुजारा परमानेंट होता रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, अपनी रोजी-रोटी कमाना, उनके फण्डामेंटल राइट्स में आता है, इसलिये सरकार इस तरफ ध्यान दे। वह नहीं होना चाहिये कि लोगों की सारी की सारी जमीन ले ली जाए और उनको उसका कोई आल्टरनेटिव न दिया जाए। इसमें कुछ अफसरों का इंस्ट्रेस्ट भी होता है। इसलिये सरकार ऐसे किसानों को, जिनकी जमीनें ले ली जाती हैं, उनको आल्टरनेटिव जॉब प्रदान करे।

दूसरी बात मैं सिविल सप्लाय के बारे में भी कहना चाहती हूँ। इस बार तो भंगवानू की ज़ुआ से सभी जगहों पर बारिश के कारण फसल काफी अच्छी हो गई है। पिछली दफा फसल अच्छी नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सरकारी डिपोज पर राशन का 20 किलो गेहूँ एक परिवार की दिया जाता है, वह सफ़ीशीएन्ट नहीं है। इससे एक परिवार का काम नहीं चल सकता। सरकार को ज्यादा भिक्कार में गेहूँ मुहैया कराना चाहिये। इसी तरह से दूसरी चीजों की सप्लाय, जैसे चीनी, चावल वगैरह व दूसरी जितनी भी जरूरी चीजें डिपोज में मिलनी चाहिए, उनकी सप्लाय में वृद्धि होनी चाहिये और सभी को सारी चीजें सरकारी डिपोज पर अवैलेबल होनी चाहियें।

इससे आगे मैं पेट्रोल पम्पों के बारे में भी कहूंगी। मैंने पहले भी एक बार इस बात का जिक्र किया था कि पेट्रोल पम्पों के ऊपर डीजल में मिट्टी का तेल मिलाकर बेचा जाता है जिससे किसानों के ट्रैक्टरों, सरकारी जीपों को, व बसों को काफी नुकसान होता है। मिट्टी का तेल मिलाकर अगर तेल बेचा जाएगा तो इंजनों का भट्ठा बैठ जाएगा। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में काफी फर्क है जिस कारण से शायद वह हेराफेरी होती है। या तो सरकार इनकी कीमतों को एक कर दे ताकि अडवैशन कम हो सके। नहीं तो इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे। इससे सरीब किसानों के ट्रैक्टरों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। जो लोग ऐसे कामों में संलग्न हैं, उनको अपराधिक श्रेणी में गिना जाना चाहिये। इसका सरकार को जल्दी ही कोई न कोई इलाज करना चाहिये। मेरे नोटिस देने के बाद कई जगहों पर छापे भी पड़े हैं लेकिन वह सफ़ीशीएन्ट नहीं हैं। डीजल में मिलावट करके जो पेट्रोल पम्प वाले बेचते हैं, उससे जनता को काफी नुकसान होता है। किसान इससे काफी बुखी है। मैं तो यह कहूंगी कि जो विभागीय अधिकारी होते हैं, उनसे मिलकर ही यह

सब कुछ होता है। मैं सुझाव दूंगी कि जो ईमानदार अफसर हैं, उनका ऐसे लोगों के ऊपर चैक होनी चाहिये ताकि वे इस तरह का गलत काम न कर सकें।

उपरोक्त महोदय, इससे अगली बात मैं बिजली से सम्बन्धित कहना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि लोहारू के अन्दर 33 के 0 वी 0 का सब-स्टेशन लगा हुआ है, उसको 66 के 0 वी 0 का कर दिया जाना चाहिये। इसी तरह से बहलू का, डिंकोडा का है। मकीपुर का एक दफा फाउंडेशन स्टोन सरकार की तरफ से रखा गया है, मेरी प्रार्थना है कि सरकार वहाँ का काम जल्दी करवाये। इसी तरह से भोवड़ा व दादड़ा जो मेरे हल्के में आते हैं। मेरी कांस्टीचुएन्सी तीन जिलों से मिली हुई है और मादड़ा महेन्द्रगढ़ जिला में पड़ता है। मेरी गुजारिश है कि इन सभी सब-स्टेशनों पर जल्दी ही काम पूरा करवा दिया जाए ताकि लोगों की सही भिकदार में बिजली मिल सके और बिजली का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। दूसरे डिस्ट्री स्पीकर साहब, बिजली के मामले में कुछ सुधार जरूर हुआ है, इतना ही सुधार और होना चाहिए। यह सुधार तभी हो सकता है जब ज्यादा थर्मल या हाइड्रल पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। आपको पता है कि रोजाना नई नई इंडस्ट्रीज लगती हैं, बिजली के बिना उनको भी मुश्किल होती है। आज मुझे जगाधरी के कुछ लोग मिले थे। जगाधरी, फरीदाबाद या सोनीपत जैसी जगहों में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। वे लोगों को भी रोजगार देती हैं और अपना रोजगार भी चलाती हैं। आपको पता है कि जमीन अब इतनी नहीं रही है। कुछ जमीन पर लोग बस जाएंगे, कुछ सड़कें बनकर बनाने में आ गई इसलिए लोगों को काम देने के लिए केवल इंडस्ट्री ही है, इसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। हमारे लोहारू के लोगों की काफी समय से मांग है कि वहाँ पर एक पोलिटैकनिक होना चाहिए। इसी तरह से दादरी की एजुकेशन सोसाइटी ने रिप्रजेंटेशन दिया है कि उनको फारमेली कालेज खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसी तरह से हस्पतालों की हालत है। लोहारू और दादरी के हस्पतालों का मुझे पता है, उनकी बहुत अच्छी हालत नहीं है। वहाँ पर ज्यादा डाक्टरों की जरूरत है और दवाइयाँ तो न के बराबर हैं। मेरी आँखों द्वारा सरकार से अपील है कि जो जरूरी दवाइयाँ गरीब आदमी के लिए चाहिए, कम से कम वे तो होनी चाहिए। आपको मालूम है कि गाँवों के हस्पतालों में तो गरीब आदमी ही जाते हैं। इसलिए वहाँ पर ज्यादा डाक्टर भी भेजे जाएँ और दवाइयाँ भी दी जाएँ। कई डाक्टर ऐसे हैं जो गाँव में नहीं जाना चाहते, इसलिए सरकार को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। यही हालत स्कूलों की है। जो स्कूल सहरों में हैं, वे तो स्टाफ के साथ ओवर क्राउडिड हो जाते हैं और गाँवों में पोस्टें खाली पड़ी रहती हैं। हमारे यहाँ बिसलवास में कई सालों से हैडमास्टर नहीं है। यही हाल खरखड़ी और मंडौली कला का है। बच्चे स्कूलों में तकल क्यों करते हैं क्योंकि अध्यापक उनको नहीं पढ़ाते? यह तो वह बात हुई कि लौह खोदा लोहार भी खोदा। लोहारू में एक डाक्टर है जो इगिस्ट है। मैंने विभाग वालों को कहा कि इसको ऐसी जगह लगाओ, जहाँ जिम्मेदारी न हो, वरना इसको पेंशन देकर घर

[श्रीमती चन्द्रावती]

भेज दो। ऐसे आदमियों को ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ डाक्टरों की तादाद ज्यादा हो। जहाँ पर डाक्टर की एक ही पोस्ट हो, ऐसी जगह पर ऐसे लोगों को न लगाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे टाईम दिया।

श्री धरि श्रीम प्रकाश (बेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आखिर टाईम दे ही दिया। मैं डिमांड नं० 11, 16 और 17 पर बोलूंगा। मैं सबसे पहले इरीगेशन के बारे में कहना चाहूँगा। आज हरियाणा प्रदेश की 70% जनता कृषि पर आधारीत है और कृषि के लिए इरीगेशन वाटर की जरूरत है। नहरी पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 17 साल से हरियाणा प्रदेश के अन्दर.....

श्री उपाध्यक्ष : बेरी साहब, आप एक मिनट के लिए बैठें। जिन मंत्र साहेबान ने बोलने के लिए अपने नाम दिए हुए हैं, मेहरबानी करके वे अपनी सीट पर रहें वरना उनका नाम कट जाएगा।

श्री धरि श्रीम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जहाँ तक सिंचाई के लिए पानी का ताल्लुक है, उसमें बहुत बड़ा भेदभाव जमना सिस्टम के एरिया के साथ किया जा रहा है। उस एरिया के साथ ज्यादा भेदभाव रहा है। एस्टिमेट्स कमेटी का चेयरमैन होने के नाते मैंने पिछले साल 1992-93 में उस कमेटी की 25वीं रिपोर्ट हाउस के सामने पेश की थी। उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर दर्शाया गया था कि हरियाणा प्रदेश में रावी ब्यास का 18 लाख एकड़ फीट पानी आ रहा है और उस पानी में केवल भाव रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव और भिवानी जिलों का हक है। लेकिन वह पानी उन जिलों को न देते हुए वह पानी हिसार जिले के हांसी उपमण्डल को छोड़ कर, बाकी सभी उप मंडलों को, पूरा सिरसा जिला, कैथल जिला और जींद जिले के नरवाना क्षेत्र को अनअथोराइज्ड-वे से दिया जा रहा है। यह पानी पिछले 17 साल से भाखड़ा मुख्य नहर में डाल कर हरियाणा प्रदेश में लाया जा रहा है। जब इस बारे में सवाल उठाया गया तो कह दिया गया कि नरवाना ब्रांच की इतनी कैपेसिटी नहीं है जिससे इस पानी को लाया जा सके। इस बारे में मैं सरकार को सूझाव दूँगा जिसके जरिए जमना सिस्टम में पानी पहुँचाया जाए ताकि जिन इलाकों का वह पानी है, उनको वह पानी दिया जा सके। एक तो नरवाना ब्रांच के किनारों को तीन-तीन फुट ऊँचा किया जाए और नरवाना ब्रांच की छंटाई करवाई जाए। यह काम केवल 50 किलोमीटर पंजाब के क्षेत्र में केवल 3 महीने में किया जा सकता है। नरवाना ब्रांच की आज तक डीसि-लिंग नहीं करवाई गई, वह बिल्कुल अंटी पड़ी है। नरवाना ब्रांच की 4022 न्यू-सिक्स की कैपेसिटी थी, वह आज घट गई है। उसकी तरफ आज तक ध्यान नहीं

दिया गया। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में पोलिटिकल आधार पर दक्षिणी हरियाणा के साथ पिछले 17 साल से सिंचाई पानी के बारे में भेदभाव होता रहा है। जिस जिले का मुख्य मंत्री बना, उसने उसी जिले के बारे में सोचा, दूसरे जिलों के बारे में नहीं सोचा। (शोर)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्लायंट ऑफ आर्डर है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात बार-बार चौधरी भोम प्रकाश बेरी ने प्रेस में भी कही है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा के साथ सिंचाई के पानी के बारे में कतई भेदभाव नहीं है और वह क्यों नहीं है? वह इसलिए नहीं है क्योंकि जो सिस्टम पिछला चला आ रहा है, वह इनके जो बड़े भाई श्री गेर सिंह इरीगेशन मिनिस्टर थे, के समय से ही चला आ रहा है। वे ज्वायंट पंजाब में भी रहे, उन्होंने जो पानी तकसीम किया, उसके हिसाब से सभी जगहों पर पानी दिया जा रहा है। उस सिस्टम को बनाने में चौधरी रिजक राम और लहरी सिंह भी रहे हैं। जो भाखड़ा और जमना नदी के पानी का सिस्टम है, वह उसी हिसाब से चल रहा है। उस सिस्टम को किसी भी सरकार ने नहीं बदला। न उस सिस्टम को चौधरी भजन लाल की सरकार ने बदला, न चौधरी बंसी लाल की सरकार ने बदला और न ही चौधरी देवी लाल की सरकार ने बदला, किसी भी सरकार ने नहीं बदला। इन्होंने तो इस तरह से बात कह करके यह मुद्दा उठाना है। डिप्टी स्पीकर साहब, 3000 से 0 सी० को जो कैपेसिटी है, उसमें पानी कम आता है। उसका रीजन है और वह यह है कि भाखड़ा नहर में जो पानी है, वह स्टोर कर लिया जाता है और लीन रीजन में, सर्दियों के टाइम में वह पानी मिलता रहता है। जो भाखड़ा का पानी है वह स्टोर हुआ हुआ है और उसकी जब पानी की कमी होती है, तब उसको छोड़ा जाता है और लीन रीजन में वह पानी भाखड़ा के एरिया में सप्लाई होता है। इसलिए यह कहना कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव होता है, वह गलत बात है। इसके अलावा जब तक जमना के बारे में कोई समझौता नहीं होता, तब तक उसका पानी स्टोर नहीं होगा। माननीय सदस्य द्वारा ऐसी बातें केवल पोलिटिकल गेम लेने के लिए कही जाती हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है।

चौधरी भोम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई प्लायंट ऑफ आर्डर नहीं है। ये अपनी बात अपने जवाब में कह सकते हैं। मंत्री जी ने जो बात कही है, उससे मैं डिप्लोमाइज होने वाला नहीं हूँ। दक्षिणी हरियाणा के साथ जो सिंचाई पानी के बारे में भेदभाव हुआ, चाहे वह किसी कारण से हुआ, वह दूर होना चाहिए। बड़े गेर सिंह की वजह से हुआ, चाहे रिजक राम और लहरी सिंह की वजह से हुआ, आज आप सत्ता में हैं आपको यह डिस्क्रिमिनेशन दूर करनी चाहिए। मंत्री जी जान बूझकर हाउस को गुमराह कर रहे हैं। पोलिटिकल आधार पर दक्षिणी हरियाणा के साथ सिंचाई के पानी के बारे में पिछले 17 साल से भेदभाव किया जा रहा है और इस भेदभाव में श्री० गेर सिंह, श्री० लहरी सिंह आदि का कोई हाथ नहीं है। उपाध्यक्ष

[बोधरी श्रीम प्रकाश बेरी]

महोदय, मैं सुझाव दे रहा था कि एक तो नरवाना ब्रांच की छंटाई करवाई जाए। उसके किनारों को तीन-तीन फुट ऊंचा किया जाये। दूसरा इनका यह कहना कि इसमें 18 लाख एकड़ फुट पानी नहीं सभा सकता तो इस बारे में मेरी परपोजस यह है कि बरवाला लिंक कैनाल को, जिसमें भाखड़ा का पानी लगता है, उसकी पेटवाइ डिस्ट्रीब्यूटरी से अगर जोड़ दें, जिस की लम्बाई 30 कि० मी० है, इससे सिवानी कैनाल का कमांड एरिया और हांसी सब डिबीजन में भाखड़ा का पानी मिल सकता है। और इस तरह से पूरा 18 लाख एकड़ फुट पानी जो हमारा हक है, वह इन इलाकों को दिया जा सकता है। इसके अलावा, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पानी की वजह से इनकी 22 दिन नहरें महीने में चलती हैं। यानी हिसार सिरसा जो इनके इलाके में गिनवाये हैं, मुख्य सती जी का इलाका, सिबाई मंत्री जी के इलाके में तो एक महीने में 22 दिन नहरें चलती हैं जबकि रोहतक और सीनीपत में एक महीने में एक सप्ताह नहरें चलती हैं और भिवानी में एक माह में साढ़े तीन दिन नहरी पानी वहाँ के लोगों को मिलता है। इसके अलावा, गुडगांव फरीदाबाद में तो इस पानी को ले जाने के लिए नहरों के निर्माण की बात तो छोड़िए, नहरों के निर्माण के बारे में सोचा तक नहीं गया। इतना ब्रेजन डिस्क्रिमिनेशन है। इसके अलावा, मैं आंकड़े देकर बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नहरी पानी पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रदेश में दो मुख्य सिस्टम हैं। एक तो यमुना सिस्टम और दूसरा भाखड़ा सिस्टम। यमुना सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ कि यमुना का कमांड एरिया 40 लाख एकड़ है, पानी उसके लिए 38 लाख एकड़ फुट, भाखड़ा सिस्टम में 29 लाख एकड़ रकबा और 58 लाख एकड़ फुट पानी इतना ब्रेजन डिस्क्रिमिनेशन है। इसके अलावा, यमुना सिस्टम की आवृत्ति 80 परसेंट, एरिया 70 परसेंट और पानी 40 परसेंट। भाखड़ा की 20 परसेंट पापुलेशन, 30 परसेंट एरिया और 60 परसेंट हरियाणा का पानी मिलता है। एवरोर्ड वाटर एक साल में जो भाखड़ा सिस्टम से मिलता है, वह है 264 दिन और यमुना सिस्टम को मिलता है एक साल में 96 दिन, यानी 3 गुना पानी इनको अधिक मिलता है। यह हालत इन लोगों ने पानी के बारे में कर रखी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि.....

बोधरी जगदीश नेहरा : यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं। यह जो आंकड़े दे रहे हैं वह गलत हैं। यह जो भाखड़ा सिस्टम है, यह 1954 का बना हुआ है और 3000 से 4000 सालों से है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब भाखड़ा नहीं बनी थी तो उस समय उस एरिया की क्या हालत थी और जब भाखड़ा बन गया तो उस समय बटेज करने में क्या इनके बड़े भाई जेरे सिंह का हाथ नहीं है ?

बोधरी श्रीम प्रकाश बेरी : वे तो 1956 में मंत्री बने थे जबकि भाखड़ा 1954 में बनी।

बोधरी जगदीश नेहरा : वे जो आंकड़े दे रहे हैं, वे सही हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये आंकड़े यह दें जो सही हों और सारे हाउस को

गुमराह करने के लिए वही बातें दुबारा न कहें कि दक्षिणी हरियाणा के साथ अग्र्याय हो रहा है। दक्षिण हरियाणा की नहरें कोई नयी नहीं हैं बल्कि 40-50 साल पहले की बनी हुई हैं, न कि आज की। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ पोलिटिकल गेम लेने के लिए बातें कर रहे हैं, इनका और कोई मकसद नहीं है।

श्रीधर श्रीम प्रकाश बेरी : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में कुल पानी, जिसमें ट्यूबवैलज का पानी भी शामिल है, वह है 16 एम0ए0एफ0, जबकि हमें इससे कम से कम 2 गुना पानी चाहिए। यह पानी कहाँ से आयेगा, इस पानी को लाने के लिए क्या रिसोर्सिज हों इस बारे में हरियाणा सरकार ने सोचने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इनके इलाके में आज जो हकूमत कर रहे हैं 17-18 साल से, वही पानी के बारे में गड़बड़ कर रहे हैं। इनके इलाके में पानी बहुतायत में है, इसलिए इस बारे में इन्होंने नहीं सोचा कि हमें भी पानी की जरूरत है, चाहे हमारा इलाका प्यासा मर जाये, जमीन प्यासी मर जाये लेकिन इस बात की इनको कोई चिंता नहीं है। इस बारे में सरकार को डिस्क्रिमिनेशन दूर करना चाहिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को बराबर पानी मिलना चाहिए। इसके लिए रिसोर्सिज कौन से हैं। कैसे इनको पानी मिल सकता है? इसके बारे में जो मैं सुझाव दूँ, अगर उन पर सरकार अमल करे तो यह समस्या दूर हो सकती है और सारे इलाकों को पानी मिल सकता है। मेरा सुझाव है कि आगरा कैनल का कंट्रोल हरियाणा सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और यदि हरियाणा सरकार यह कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले सकती तो बैनिफिशरी स्टेट होने के नाते हरियाणा सरकार को चाहिए कि सेंट्रल सरकार के साथ मिलकर इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले ले ताकि जितना हिस्सा गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों का है, वह पानी उनको मिल सके। दूसरे, दादूपुर नलनी नहर की स्कीम काफी दिनों से धूल चाट रही है। यह 1985 में मंजूर हुई थी। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि जब यह मंजूर हुई थी तो उस वक्त से इसका खर्च बढ़कर 5 गुना हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इस नहर को बनाने पर अमल किया जाये ताकि कम से कम 3-4 जिलों का फायदा हो सके और उनको नहरी पानी सिंचाई के लिए मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि यमुना पर किसानों के बारे में एक स्कीम थी। सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके जल्दी से जल्दी यह बांध बने, रिज़रवायर हो ताकि पानी किसान को मिल सके और खेतों की प्यास बुझ सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हम दिल्ली को पीने का पानी दे रहे हैं। क्या दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी केवल हरियाणा सरकार की है? यह बात ठीक है कि दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाना सबका फर्ज बनता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हरियाणा जैसी छोटी सी स्टेट अकेले ही उसकी पानी की जरूरत को पूरा करे। यमुना के पानी में दिल्ली का कोई शेयर नहीं है। रावी-ब्यास में से 2 लाख एकड़ फुट पानी उसके हिस्से का है।

[चौधरी ओम प्रकाश बेरी]

इस बारे में केन्द्र सरकार से बात करके दूसरी स्टेट्स को भी दिल्ली को पानी उपलब्ध करवाने के लिए हिस्सेदार बनवाया जाए। यू०पी० भी दिल्ली की एडवॉकेशनल स्टेट्स है और काफी मिक्चर में उसके पास पानी अवेलेबल है इसलिए वह भी दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करवाने में हिस्सा दे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि ताजेबाला हेड वर्क्स 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। हथनी कुण्ड वैराज की स्कीम के बारे में केन्द्र सरकार से जल्दी से जल्दी बात करके इस स्कीम को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए ताकि सारी स्टेट्स को हम ठीक ढंग से सिंचाई के लिए पानी दे सकें। हरिके हेडवर्क्स के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। फिरोजपुर में सतलुज के बेड़े से पानी यूज करता है। यह पानी पंजाब से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ समुद्र में जा गिरता है और वेस्ट जा रहा है। इस बारे में मेरी परंपोजल है। इस बारे में एक स्कीम भी शायद बनी थी। इस पानी को हम राजस्थान कौनाल में डाल दें और यह पानी राजस्थान को दे दिया जाए। जितना पानी राजस्थान को दें उतना पानी हम हरियाणा के लिए ले लें तो हरियाणा को उस पानी से लाभ हो सकता है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : बेरी साहब, आप वाइंड अप करिये। आपका टाइम अप हो चुका है। (विघ्न) आप अगली बात सिर्फ 2 मिनट में समाप्त करें। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सिर्फ 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं तो 5-7 मिनट ही बोला हूँ, ज्यादा टाइम तो इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने ही ले लिया। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, नहरों की हालत बहुत बुरी है। अब मैं डी-सिल्टिंग के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे इलाके में खज्जर सब-बान्च बहुत बड़ी नहर है, उसकी कैपसिटी 900 क्यूबिक पानी की है परन्तु इस समय उस की क्षमता केवल 450 क्यूबिक पानी की रह गयी है। वहाँ पर मन्ती जी भी गए थे और देख कर आए थे। मेरा सुझाव है कि शीघ्र इस नहर की छटाई करवाई जाए और लाईनिंग करवाई जाए ताकि पानी टेल तक पहुँच सके। उपाध्यक्ष महोदय, एक और प्रॉब्लम भी है। जे०एल० एन० के साथ-साथ जे०एस०वी० भी पैरलल चलती है। सीपेज की प्रॉब्लम बहुत भारी प्रॉब्लम है। जे०एल०एन० के साथ डिच ड्रेन की स्कीम मंजूर की गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, केवल स्कीम मंजूर करने का कोई फायदा नहीं है बजट एलोकेशन होनी चाहिए ताकि काम हो सके। जे०एल०एन० के साथ जे०एस०वी० भी पैरलल बढ़ती है। दोनों तरफ से डिच ड्रेन बनेगी, तब जा कर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हल हो सकेगी। हमारे अफेले जिले का 40 हजार एकड़ का रकबा सीपेज की बजड़ से खराब हो चुका है इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, गजब की बात यह है कि जिन लोगों के खेत 15-16 साल से वाटर लॉगिंग की बजड़ से खराब हो गए हैं और एक दाना भी पैदा नहीं होता, उनसे आचियाना बसूल

किया जा रहा है। अगर यह बात गलत ही तो बेशक हाउस की कमेटी बना दी जाए जो इस बात का पता कर ले। उन किसानों से आविधाना वसूल नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी मुआवजा दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी दंग से मैं एक बात एस० वाई० एल० नहर के बारे में कहना चाहता हूँ। पिछले ढाई-तीन साल से जब से मुख्य मन्त्री जी प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने हैं, रीज ब्यान दे देते हैं कि एस० वाई० एल० कैनल एक वर्ष में बन जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि वह साल किस तारीख से शुरू होगा और कौन सी तारीख को खत्म होगा और उस साल के कितने दिन होंगे? ताकि हरियाणा की जनता इस गुमराही से तो बच जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कभी मुख्य मन्त्री जी का कुछ ब्यान आ जाता है और कभी कुछ और, रीज ये तरह तरह के ब्यान दे देते हैं और बेअन्त सिंह का कुछ और ब्यान आ जाता है। (चण्ठी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इस बारे में हरियाणा सरकार श्वेत-पत्र जारी करे ताकि हरियाणा की जनता को पता लग जाए कि यह नहर बनाने की हरियाणा सरकार की मन्शा भी है या नहीं। एस० वाई० एल० कैनल की कन्स्ट्रक्शन के बारे में हरियाणा सरकार का इन्-डिफरेंट एंटी-च्यूड है। अगर यह नहर बन गई तो फिर रावी-ब्यास का पानी साखड़ा कैनल में डालने की जरूरत नहीं होगी, वहाँ से सीधे उसमें डाल कर यमुना से जा मिलेगा और उस पानी की ये लीज चोरी नहीं कर सकेंगे। यह नहर बनाने का हरियाणा सरकार का कोई इन्ट्रस्ट नहीं है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: बेरी साहब, आपका समय खत्म हो गया है, अब आप बैठें।

श्रीधर श्री प्रकाश बेरी: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो मिनट एप्रोक्लर के बारे में लेना चाहता हूँ। एप्रोक्लर के बारे में मैंने कट मोशन भी दिया था। वाटर की प्रोपर मैनेजमेंट के लिए सरकार काफी जोर देती है। संप्रिकलर सेंट्स के द्वारा सिंचाई करने से पानी की काफी बचत होती है। हमारे प्रदेश के अन्दर संप्रिकलर सेंट्स पर सेलज टैक्स है, जबकि एडव्वायसिंग स्टेन्स में कोई सेलज टैक्स नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, खासकर दक्षिणी हरियाणा में आबपाशी के लिए यह सबसे बेहतरीन साधन है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार एप्रोक्लरल इम्प्लिमेंट्स को सेलज टैक्स से एग्जम्प्ट किया हुआ है, उसी प्रकार से संप्रिकलर सेंट्स को भी सेलज टैक्स से एग्जम्प्ट किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, करनाल के अन्दर एक दुकान सरकार ने खोल रखी है। वहाँ पर अग्रोप द्वारा पांच हजार रुपए सैम्पल ठीक करने के लिए लिये जाते हैं। यह बहुत ही घटिया बात है। मैं पूछता हूँ कि जिलों में डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग किस लिए बैठा हुआ है? किसानों को मार्केट में कृषि अधिकारियों की मिली भगत से घटिया इन्सैक्टी-साईड्स तथा पैस्टीसाईड्स बेचा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: बेरी साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब अमर सिंह धानक बोलेंगे।

श्री अमर सिंह धानक (बवानी खेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं डिमान्ड नं० 17-एग्री-कल्चर, डिमान्ड नं० 15-इरीगेशन, डिमान्ड नं० 16-इलेक्ट्रीज, डिमान्ड नं० 23-ट्रांसपोर्ट, डिमान्ड नं० 13-सोशल वेलफेयर, डिमान्ड नं० 9-एजुकेशन आदि पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने और आनरेबल वित्तमंत्री जी ने जो बजट सदन में रखा है, वह टेक्स रहित है। यह किसान को समृद्ध और बैकवर्ड क्लासिज और ग्रहूलकास्ट को आगे लाने के लिए है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज अगर किसान की हालत सुधर जाएगी तो यह बहुत ही अच्छा होगा। अगर किसान सुखी है तो देश सुखी है और अगर किसान दुखी है तो सारा देश दुखी है। जब भी किसान की हालत खराब हुई, तो कहीं पर बाढ़ की वजह से, कहीं पर सूखे की वजह से। सरकार ने ऐसी हालात में किसानों को कई तरह की सहायता देकर बचाया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी से दरखवास्त है कि अगर एग्रीकल्चर, इरीगेशन और इलेक्ट्रीसिटी को बजट में ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो हमारी स्टेट के हालात और अच्छे ही सकते हैं। वित्तमंत्री जी ने तीनों सबों पर जोर दिया है। एग्रीकल्चर का मतलब मैं यह समझता हूँ कि अगर किसान को जरूरत के मुताबिक पानी मिल जाए तो वह काफी तरक्की कर सकता है। हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है। वह कड़कें की सर्दी और धूप की परबाह भी नहीं करता। इसलिए उसे पानी जरूरत के मुताबिक भिजना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से बहुत सारी बातें आती हैं। इधर के विरोधी भाई बोलकर नुक्ताचीनी तो करते हैं लेकिन सही सुझाव देने के लिए तैयार नहीं। ये लोग जब कुर्सी पर होते हैं तो एस० वाई० एल० को भूल जाते हैं और कुर्सी से हटते ही उसको याद करने लगते हैं, आलोचना करते हैं। यह एस० वाई० एल० का मामला कई सालों से लटका हुआ है। जब ताऊ मुख्यमंत्री था, तब उसने भी कोई बहुत कोशिश नहीं की। अगर वे कोशिश करते तो बहुत पहले ही हरियाणा के खेतों में एस० वाई० एल० का पानी आया होता क्योंकि जब वे जब प्रधानमंत्री थे और उनका बेटा चीफ मिनिस्टर था, उस समय पंजाब में उनका पगड़ी बदल भाई मुख्यमंत्री था। अगर वह प्रयास करते तो बहुत जल्दी ही हरियाणा में इसका पानी आ सकता था। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऑफ दी फ्लोर ऑफ दी हाउस यह कहता हूँ कि मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ही रावी ब्यास का पानी एस० वाई० एल० में ला सकते हैं बाकी सब देख लिए हैं। (विष्ण)

श्री सतबीर सिंह कादयान : सर, मेरा फ़ायट ऑफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, जब चौधरी देवी लाल जी उपप्रधानमंत्री थे, तब तो पंजाब में गवर्नर राज था जबकि ये पगड़ी बदल भाई का राज बताने रहे हैं। चौधरी देवी लाल जी ने ही 80 प्रतिशत काम एस० वाई० एल० का कराया था जबकि आज कुछ भी इस नहर का काम नहीं हो रहा है।

श्री अमर सिंह धानक : डिप्टी स्पीकर साहब, 1977 में कौन था ? 1977 में तो देवी लाल जी ही थे। मैं 1977 की ही बात कह रहा हूँ। ये तो अच्छी बात कहने पर इंटरफियर ही करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये 1977 की ही बात कर रहे हैं तो उस समय उनका बेटा सी०एम० कहाँ से आ गया ? चौटाला साहब तो उस समय सी०एम० थे ही नहीं।

श्री अमर सिंह धानक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ताऊ के बारे में कह रहा था कि वे पानी ला सकते थे। लेकिन वे पानी नहीं लाए। इसके अलावा पिछली बार हरियाणा में रिकार्ड तोड़ फसल का भाव मिला है जिसकी वजह से किसान खुशहाल हुए हैं। किसानों को बहुत अच्छा भाव मिला, जबकि ताऊ के राज में ऐसे भाव किसानों को नहीं मिले। उपाध्यक्ष महोदय, अगर परमेश्वर की कृपा हो गयी तो इस बार भी रिकार्ड तोड़ फसल होगी और इसको रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इस साल हमारी रिकार्ड तोड़ पैदावार होगी (विष्णु) मैं इरीगेशन के बारे में बता रहा था कि पिछली बार ताऊ की सरकार में इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला थे। उस समय मई 1987 में, ताल्लू सिवाड़ा लिंक माईनर का एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) इसके लिए पैसा भी निकाल दिया गया था जो 49.45 लाख रुपया था और काम भी शुरू हो गया था लेकिन ताऊ की सरकार आने के बाद उस पत्थर को तोड़कर नहर में डाल दिया गया। यह माईनर नहीं बनायी गयी अगर बन जाती तो चार गांव तिवाजपुर, मंडावा और लोहासीवाटू को पानी मिल जाता। इसके अलावा ताऊ के चार सालों के राज में भूरे माईनर, खानक माईनर, गेंडावास माईनर के जो पत्थर रखे गये थे इन पत्थरों का नामों निशान मिटा दिया क्योंकि कभी ये पत्थर नजर न आ जाएं। इन पत्थरों को तोड़कर नहर में डाल दिया। ये अगर कोई माईनर बनवा देते तो किसान सुखी हो जाते, पैदावार बढ़ती और वे लोग इनका गुणमान करते लेकिन इन्होंने इनको बनवाने के बजाए उल्टा काम किया। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो पत्थर इन्होंने तोड़े हैं कम से कम अब उन्हें लगाकर उन नहरों पर काम शुरू करवा कर पानी चालू करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता साहब, आप बोलने के लिए कितना समय लेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : सर, मैं बोलने के लिए दस मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। अमर सिंह जी, आप जल्दी ही खत्म करें क्योंकि आपका टाइम भी हो गया है।

श्री अमर सिंह धानक : स्पीकर सर, ऐजुकेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कंवारी और जमालपुर में 1986-87 में बारह लाख इकतालीस हजार

[श्री अमर सिंह धानक]

प्रति बिल्डिंग के हिसाब से 24.82 लाख रुपये खर्च करके सरकार ने यह दोनों बिल्डिंग बनाई थीं अगर वह 10 जमा 2 बिल्डिंग बनकर तैयार हैं तो उनकी 10 जमा 2 बनाया जाए। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट के मामले में बसों के बारे में कहना चाहूंगा कि यह ठीक है कि सहाय्यता बढ़ी है लेकिन बसों का पूरी तरह से इंतजाम नहीं है। बसें बढ़ाई जाएं और भिवानी डिपो में और अधिक बसें दी जाएं ताकि लोगों को सहाय्यता मिल सके। भिवानी जिले में सभी माईनर की टेल हैं खास तौर पर बवानी खेड़ा टेलों का हल्का है। मेरा सुझाव है कि इरीगेशन मिनिस्टर साहब इसको नोट करें। 121 बुरजी सुन्दर बाघ से 179 बुरजी तक हिमार डिवीजन में है। टेल और हैड एक डिवीजन में रखे जाएं ताकि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से हो सके। इससे 150 क्यूबिक जो टेलों का पानी है वह हैड वाले ले जाते हैं वह बवानी खेड़ा के हल्के का पानी है। इलैक्ट्रिसिटी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब से पॉवर मिनिस्टर साहब ने यह महकमा संभाला है काफी यत्न किया गया है काफी कोशिश की है। यदि बारिश न होती तो वे बिल्कुल विफल हो जाते, बारिश ने उनकी बचाया। उनकी मेहनत और भगवान की कृपा से किसान को काफी राहत मिली है। मेरी गुजारिश है कि गांवों में दीये की तरह से डिभटिमाती हुई बिजली है। श्री फेज की लाइट सब जगह दी जाए जिससे चक्की चल सके। सिंगल फेज की लाइट तो दीये के बराबर है। जितनी देर हरियाणा में बिजली रहे तीन फेस की होनी चाहिए। गांव और शहर में कोई डिस्कमिनेशन नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों मैं सिवानी के गांवों में गया था। खाना खाने के वकत बिजली चली जाए तो बड़ी परेशानी होती है। मैं पॉवर मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से हो ताकि सभी को बिजली मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांड्स का अपनी तरफ से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ (साल्हावास्त) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान किए जाते हैं, खल बनाए जाते हैं फिर बजट को सदन में पेश किया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि जब हम बजट को पास करते हैं, क्या उसको चैक करते हैं कि कहां मिसयूटीलाइजेशन हुआ है, ठीक तरह से खर्च हुआ या नहीं हुआ? वित्त मंत्री जी ने अपने बजट 'इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा' में माना है कि टोटल 46.33 लाख मैनडेज होंगे लेकिन ये 31 दिसम्बर तक केवल 12.05 लाख मैनडेज ही कर पाए। मैं गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि 31 दिसम्बर तक आप 12.05 लाख मैनडेज कवर कर पाए हैं, बाकी तीन महीनों में 34 लाख मैनडेज कैसे क्रिएट करेंगे? अगर 34 लाख क्रिएट कर भी दिये तो इस तरह से करने का क्या यूज होगा? ट्रेक्टर के द्वारा मैनडेज खोदे जा रहे हैं, उसको चैक करना चाहिए। ट्रेक्टर से खोद कर मैनडेज बना देंगे। इसी तरह से फंड की एलौटमेंट अगर क्वार्टरली हो

तो उसका यूटीलाइजेशन हो सकता है। डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए जाते हैं कि 31 मार्च में पहले-पहले यह पैसा खर्च हो जाना चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि अफरा-तफरी में पैसा खर्च किया जाता है, पैसा फूंक दिया जाता है ताकि किसी तरह के पैसा खत्म हो जाये। इस तरह का प्रोब्लिम करने का क्या फायदा होगा? क्वार्टरली, फंड डिपार्टमेंट वाइज पैसा दिया जाए ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो।

डिमांड नं० 3 होम के बारे में है। पुलिस का जो रवैया हमारे प्रति है या हमारा पुलिस के प्रति है, वह अच्छा नहीं है। पुलिस को गाली न सिखाकर अच्छी बातें सिखानी चाहिए ताकि वे पब्लिक की सुरक्षा करें, समाज में अच्छा वातावरण पैदा करें। आज अगर मंत्री जी के लड़के सेफ नहीं हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा? पुलिस का आदमी भी सेफ नहीं है तो ऐडमिनिस्ट्रेशन सरकार को कैसे रखा जा सकता है? पुलिस को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग के दौरान उनका अच्छा आचरण बताया जाए ताकि समाज की सुरक्षा में टेन्ड रह सके।

स्पीकर साहब, आगे मैं डिमांड नं० 8 पर कहना चाहता हूँ। यह डिमांड 18.00 बजे बिलिडिंग एंड रोडज की है। रोडज का यह हाल है कि हमारे यहाँ पर कोई भी रोड ठीक नहीं है। सारी सड़कों में गदगद पड़े हुए हैं। सारी सड़कों बरबाद हैं और सारी टूटी-फूटी पड़ी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जितना पैसा ऐजिंग के लिये खर्च किया जा रहा है, उस की बजाये सड़कों को चौड़ा करने पर खर्च किया जाये तो ठीक रहेगा। आज यह हो रहा है जो 8, 10 या 12 फुट की सड़कें हैं, उनके किनारों पर छन्दे खड़ी कर रहे हैं, यह बेकार में पैसा वेस्ट करने वाली बात है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बजाये उसी पैसे से, उन सड़कों को थोड़ा वाइडन कर दिया जाये तो ठीक रहेगा। सड़कों के टूटने का एक ही कारण है। हर गाँव में, हर टाउन में या हर शहर में जहाँ-जहाँ पानी खड़ा रहता है, वहाँ से रोडज टूट जाती है। हमारे यहाँ पर कोसली से भी खड़े पानी की दिक्कत है। हो सकता है दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही दिक्कत होगी। रोड के साथ-साथ पानी के लिये चैनल बननी जरूरी है ताकि पानी रोडज पर जाने की बजाये, उन चैनल में से गुजर सके। इस समय सिस्टम यह है कि गाँव की सड़कों तो पंचायत धारयेगी तथा शहर की सड़कें म्युनिस्पल कमिटी बनायेगी और दूसरा डिपार्टमेंट चैनल बनायेगा यानी पी.ओ. डब्ल्यू.ओ. डी.ओ. (पब्लिक हेल्थ) को चैनल बनाने का काम दिया हुआ है। मेरा कहना यह है कि यह एक ही किस्म का काम है। रोडज को बनाने और उनको बरबाद होने से बचाने के लिये इस काम को एक ही डिपार्टमेंट को दे देना चाहिये।

अब मैं डिमांड नं० 10 के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यह डिमांड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में है। आम किसी भी हीस्पिटल में भले जाइये, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं। पिछले दिनों मेरे इलाके के गाँव जमालपुर में,

[चौधरी जिले सिंह जाखड़]

मुख्य मंत्री महोदय, सी० एच० सी० की ओपनिंग सैरमनी के लिये गये थे। वहाँ पर केवल एक डाक्टर एक कम्पाउंडर और 16 चपड़ासी हैं। आप ही देखें, कलास-फोर के 16 आदमी हैं और डाक्टर केवल एक है। मेरा कहना यह है कि वहाँ पर आप डाक्टर की संख्या को बढ़ायें। इस तरह से न करें कि चपड़ासी तो 16 लगा दें और डाक्टर केवल एक ही हो। वहाँ पर आप दवाइयाँ ज्यादा दें और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ भेजें। इतने ज्यादा चपड़ासी भर्ती करने का कोई फायदा नहीं है। आज भी उस सी० एच० सी० के अन्दर कोई डाक्टर नहीं है। तनख्वाह तो उस डाक्टर की जमालपुर के बजट से ली जाती है लेकिन वह काम कहीं और जगह करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक तो आप अच्छी दवाइयाँ दें, और दूसरे जो वहाँ का डाक्टर आप डैपुटेशन कहीं दूसरी जगह पर काम कर रहा है, उसको वहीं पर रखा जाये। किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। पब्लिक हेल्थ का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ। आज सरकार दावा तो करती है कि उसने 6739 गाँवों को पीने का पानी दे दिया है, मगर इन गाँवों में से केवल 10 फीसदी लोग ही ऐसे होंगे जहाँ पर वाटर सप्लाई के हैड हैं और वहाँ के लोग ही आपका पानी पीते होंगे। 10-20 फीसदी गाँवों में ही पानी ठीक जाता होगा, लेकिन सब जगह नहीं। इल्लोगल कुनैक्शन बहुत ज्यादा हैं जिनके कारण पानी टेल तक जाता ही नहीं है। हमारे यहाँ पर 1960-1962 से वाटर सप्लाई की स्कीम बनी हुई है। आज आबादी 15,000 के करीब पहुंच चुकी है और वाटर पाईप लाईन्ज बड़ी पुरानी पड़ी हुई थी। उन पाईप्स को बदला गया है और जो पुरानी पाईप्स निकाली गयी हैं, वह बेकार पड़ी हुई हैं। पानी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिये ही पाईप लाईन्ज बदली गयी हैं। जो इल्लोगल कुनैक्शन दिये जा रहे हैं, उनको भी रोकना बड़ा जरूरी है ताकि पानी की कैपेसिटी जो बढ़ाई गयी है, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही लास्ट टेल तक पानी पहुंचाने का प्रबन्ध भी किया जाये। कैपेसिटी बढ़ाने के कारण जो पाईप लाईन्ज उखाड़ी गयी हैं और बेकार पड़ी हुई हैं, उसका किसी दूसरी जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। वह लोहे की पाईप्स हैं, मेरा विचार यह है कि उनको दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से जो पाईप्स उखाड़ी गयी हैं, उनको बरबाद न करके कुनैक्शन देने के लिये या कैपेसिटी बढ़ाने के लिये इस्तेमाल किया जाये। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो इन पाईप्स को नीलाम कर दिया जाये। जो पैसा बसूल होगा, उसको उस जगह की बहबूदी के लिये लगाया जाये।

एक आवाज : कहां की पाईप्स की बात कर रहे हैं ?

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : मेरे इलाके कोसली में एक नंगल खेड़ा की स्कीम है, वह कम से कम 85 गाँव की स्कीम है। उसमें से, कम से कम 20 गाँवों की स्कीम में से, लोहे की पाईप लाईन उखाड़ी गयी है जो बेकार पड़ी हुई है। उन लोहे की पाईप्स

को किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मेरा सुझाव है। इसके अलावा, सरकार की एक और स्कीम है। जिन गांवों में मीठा पानी नहीं है, उन गांवों के जोहड़ों को बरसात के पानी से भरने की एक स्कीम है। उस स्कीम के तहत जोहड़ों की खुदाई के लिये सरकार 80,000 रुपये देती है ताकि पीने का पानी मिल सके। मेरे ब्लॉक में एक खोरड़ा गांव है। वहां पर 5 एकड़ का जोहड़ है। वह तो बरसात के दिनों में भरता नहीं है लेकिन तीन जोहड़ और खोदने के लिये 80,000 रुपये के हिसाब से दिये गये हैं मॉतनहेल ब्लॉक में पीसे का बहुत ज्यादा मित्रयूटीलाइजेशन हुआ है। अस्सी अस्सी हजार के इतने जोहड़ खोद दिए और वह सारा रुपया बरबाद हो गया। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हाउस की एक कमेटी बनाए और वह कमेटी वहां जाकर देखे कि वे जोहड़ वहां जरूरी भी थे या नहीं थे। अगर उस पीसे को ठीक ढंग से यूटीलाइज करते तो वह पीसा किसी और काम आ सकता था। जोहड़ खोदने की क्या जरूरत थी? जब पांच एकड़ का एक जोहड़ बरसात के पानी से नहीं भरता तो तीन और जोहड़ खोदने का क्या फायदा है और वे क्यों खोदे गए? जब पानी का कोई साधन नहीं है। बरसात का पानी वहां बह जाएगा और पशुओं को दो महीने पीने का पानी नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह की फिजूलखर्ची को रोका जाए।

स्पीकर साहब, इन डिमाण्डज में एजुकेशन के लिए पैसा रखा गया है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहां शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है। हमारे यहां 55.85 परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं और पंजाब के अन्दर 58 परसेंट समर्थित पढ़े लिखे लोग हैं। स्पीकर साहब, एजुकेशन का बजट बढ़ाकर हम टीचर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, टेक्निकल स्कूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। स्पीकर साहब, आज टीचर्स की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह हमारे लिए बड़ी भारी सरदर्द बनी हुई है। कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या कोई और सरकार हो या कोई भी शिक्षा मंत्री हो, ट्रांसफर पॉलिसी एक समस्या बनी हुई है। शहर के जे0 बी0 टी0 टीचर्स आज किसी दूसरे जगह नहीं रहना चाहते। उनका कहीं और ट्रांसफर हो जाता है तो वे वहां नहीं जाते। एक महीने में एक दिन हाजिरी लगा देते हैं और तनख्वाह ले लेते हैं। हजारों लोग सैक्रिटेरिएट में चक्कर काटते रहते हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हम ट्रांसफर पॉलिसी बना लें। उसी पॉलिसी के तहत हम उनका ट्रांसफर करें हम ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बना लें कि पांच साल तक किसी भी टीचर का ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा करने से हमारी सरदर्द काफी कम हो जाएगी। आज शहर के आसपास के जो टीचर हैं वे दूर गांवों में जाना नहीं चाहते। अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है तो वे वहां नहीं जाते, इससे बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है। सरकार हर टीचर से पूछ ले कि वह कहां रहना चाहता है और उसकी मर्जी के मुताबिक उसका ट्रांसफर कर दिया जाए लेकिन उसके पांच साल के बाद तक कोई ट्रांसफर न किया

[चौधरी जिले सिंह जाखड़]

जाए। शिक्षा का स्तर सुधारने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। इससे टोचर्ज भी संतुष्ट रहेंगे। स्पीकर साहब, डिमाण्ड नम्बर 13 सोशल वेलफेयर की है। सोशल वेलफेयर के अन्तर समाज कल्याण आता है। समाज कल्याण का मतलब है कि हम अपने समाज का कल्याण करें। स्पीकर साहब, आज हम अपने समाज का कल्याण नहीं कर रहे हैं। आज आंगनवाड़ी में लड़कों बच्चों को खिचड़ी, खिलाने के लिए, दलिया खिलाने के लिए छोटे-छोटे बच्चों से अपने घरों से फटोरे भंगवाए जाते हैं। स्पीकर साहब, उनको खिचड़ी देना, भूगड़े देना, दलिया देना, और गुड़ देना क्या यह कोई समाज कल्याण की स्कीम है ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर साहब, यह कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी में खिचड़ी बनती है। हमने अब आंगनवाड़ियों के लिए नई पौलिसी निकाली है। हमने 'अंकुर' नाम की एक किताब निकाली है। यह किताब नर्सरी ट्रेनिंग के बारे में है। बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। यह गलत कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी में कोई काम नहीं होता।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हाउस की एक कमेटी बनाकर उनका काम देख लिया जाए। हमारी पी० ए० सी० कमेटी ने इनको देखने का प्रोग्राम बनाया था लेकिन वह सिर नहीं खड़ा। स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि आप कुछ फेमिलीज फिक्स कर लें, कुछ फेमिलीज आइडेंटिफाई कर लें, जिन फेमिलीज को और जिन बच्चों को आपने देना है, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको दें। मैं यह नहीं कहता कि आप न खिलाओ। सैन्ट्रल गवर्नमेंट का न्यूट्रीशन का प्रोग्राम है उसको आप यूटीलाइज करो। लेकिन अब हालत यह है कि उस मैटेरियल को कहीं भेस खा रही है या कोई कटौती खा रही है। बच्चों को नहीं मिल रहा है। कितना आता है और कितना जाता है, इसका कोई हिस्सा किताब नहीं है? आप फिक्स करा दें कि एक परिवार के एक बच्चे को पचास ग्राम मिलेगा, सौ ग्राम मिलेगा या दो सौ ग्राम मिलेगा या दस ग्राम मिलेगा जिससे कि उनका कुछ भला हो सके।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमाण्ड नम्बर 15 जो इरीगेशन की है, के बारे में कहना चाहता हूँ। इरीगेशन के लिए मैं गुप्ता जी को कहूँगा कि इस मद में बहुत ज्यादा पैसा दिया जाए। यहाँ पर एस० वाई० एल० के पानी के बारे में झगड़ा है कि 3800 लाख एकड़ फीट पानी नहीं मिला या 3500 लाख एकड़ फीट पानी नहीं मिला। मैं तो यह कहूँगा कि 3800 की बजाए अगर 3500 मिल जाए तब भी ले लो। पचास साल हो गए और हम पानी की वजह से बरबाद हो रहे हैं। अगर अगले बीस साल भी पानी नहीं मिला तो वह भी सारा चला जाएगा। झगड़ा करने से क्या फायदा है? फिजूल में लटठम लटठा हो रहा है। हमारे पास डक्यू जे० सी० का, जमुना का दो तिहाई पानी है। हम उसको यूटीलाइज नहीं कर रहे

हैं और एस० आई० एन० पर लूट बजा रहे हैं। उसका क्या फायदा है? हथनी कुंड बैराज बनाओ ताकि लाजेवाला हैड का पानी मिल सके। दक्षिणी हरियाणा में बरसात में एक लाख एकड़ फीट पानी होता है और उसमें से पचास हजार या अस्सी हजार एकड़ फीट पानी वेस्ट चला जाता है। यह बात मन्त्री जी ने मानी है। उस पानी को यूज करने के लिए नहरों की डिसिलिडिंग कराकर दक्षिण हरियाणा के जिलों को भेज दिया जाए तो कम से कम वाटर रिचार्ज होकर पानी तो आ जाएगा। हमने ट्यूबवैलज तो चला पढ़ेंगे। अगर सरकार इन स्कीमों में भी पैसा नहीं लगाएगी तो कहां लगाएगी? जब बरसात के दिनों में आपके पास पानी स्पेयर होना तो जल्द के दिनों में आप उस पानी को दे सकते हैं। स्पीकर साहब, एम० आई० टी० सी० और कांडा के अन्दर जो आप वाटर कोसिज बताते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे वाटर कोसिज जितने भी हैं वे बेकार पड़े हैं। उनके बनने के बाद से आज तक एक घूंट भी पानी उसमें नहीं चला है। बीस-बीस किलोमीटर लम्बे वाटर कोसिज बने पड़े हैं जिनमें एक घूंट भी पानी नहीं चल रहा है। आप सर्वे कराकर देख लें कि इन वाटर कोसिज में पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर कोई वाटर कोसिज पांच किलोमीटर लम्बा है तथा वह टूट गया और सरकार के पास इस पर लगाने के लिए पैसा नहीं है तो उसका क्या फायदा है? इसलिए रिपेयर के लिए भी सरकार पैसा दे। रिपेयर के लिए कौन वनीफिशररी पैसा देगा और कौन पैसा इकट्ठा करेगा और कौन उसको बताएगा। कौन उसकी रिपेयर करेगा? इसलिए बजट में इसकी रिपेयर के लिए पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिये।

इससे आगे मैं इरीगेशन विभाग का भी कुछ जिक्र करना चाहूंगा, इस में डेवेलप डिजाइन भी आता है। उसमें डॉक्टर प्रेमज रायगढ़ और दूसरी तरह की बहुत सारी मशीनरी होती है जो यूही गड़ी बरबाद हो रही है। 10-15 साल पहले हमारी साहलाबास की ड्रेन बनी थी, पता नहीं वहां पर कितना लोहा यूही बेकार पड़ा हुआ है। कोई उसकी मुध बुध नहीं लेता। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर यह वेस्ट मैटीरियल है, उसका कोई यूटीलाइजेशन नहीं है, उनको अगर कंजमड करार दे दिया गया है तो उसकी जल्दी से जल्दी नीलामी करवा दी जाए। आकेशन से जो पैसा सरकार को मिले, उसकी दूसरे कामों पर लगाये। पी० ए० सी० कमेटी का मैम्बर होते हुए हमने इस मुद्दे को एग्जामिन किया था लेकिन वह बात नहीं बनी। हमें बताया गया कि इस के लिये काफी समय लग जाता है। हमें समझ नहीं आता कि कोई चीज जो किसी काम की नहीं है, उसकी डिसपोजल में दो-दो, तीन-तीन महीने का समय कैसे लग जाता है?

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है जिले सिंह जी। अब आप बैठें।

श्रीधरजी जिले सिंह जाखड़ : सर, मैं एक दो मिनटों में अपनी बातें कह कर समाप्त करूंगा। मैं कह रहा था कि जो सामान वेस्ट होता है, यूटीलाइज नहीं हो पाता, कंजमड होता

[चीधरी जिले सिंह जाखड़]

है, चाहे जीपें हों, ट्रैक्टर हों, उनकी जल्दी ही आकेशन करवा दी जानी चाहिये ताकि उन से जो पैसा आए, उस का कहीं और सदुपयोग किया जा सके। अगर उन चीजों को समय पर कंडम करके आकेशन कर देंगे तो सही कीमत मिलेगी और अगर देर से आकेशन की जाएगी तो पैसा कम मिलेगा। इसलिये सरकार इस ओर विशेष ध्यान देवे।

इससे आगे मैं डिमाण्ड नम्बर 17 के बारे में बोलना चाहूंगा। इरीगेशन में जो हमारी जमीन खराब हो रही है, उसकी ओर सरकार ध्यान दे। जैसे जेहलम, डब्ल्यू० जे० सी० और जे० एस० पी० के साथ जो मैरेलस जमीन पड़ी है, वह बरबाद हो रही है। ऐसी जमीन लगभग 50-60 हजार एकड़ के करीब होगी, सरकार को ऐसी जमीन को जल्दी ही ठीक करवाना चाहिये। इससे किसानों का नुकसान हो रहा है और सरकार का भी हो रहा है। रोहतक, रिवाड़ी और महेंद्रगढ़ की जो जमीन है, टीले पड़े हुए हैं, उनकी सरकार को लैवलिंग करनी चाहिये जहां पर न बरसात का पानी है और न ही ट्यूबवैलज का पानी है, उसकी लैवलिंग करवायी जाए ताकि किसानों को और ज्यादा जमीन जोतने के लिये मिल सके।

इसके साथ साथ अध्याक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा जहां तक स्टाफ का सम्बन्ध है जैसे एस० डी० ओज० हैं, सकिल आफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं उनको साल के 265 दिनों में एक घण्टा भी काम नहीं है ये सारे कोई कहीं बैठता है, कोई गांव में बैठता, कोई हैड क्वार्टर में बैठता है। अगर ये कोई काम करते हों, किसी किसान के खेत में कभी गये हों, उनको कुछ बताया हो, या किसी को कुछ नालिज हो तो सरकार बलाए, ऐसी बात नहीं है। बस महीने में एक दिन आए, टिकट लगाई और तनख्वाह ले गये। इनकी कुछ चैकिंग सरकार द्वारा होनी चाहिये। अगर ये किसानों के पास जाते हों तो उनको पता हो सकता है कि खेती क्या होती है इनको किसानों को पूरी तरह से मदद देनी चाहिये कि फलता खेती किस तरह से हो सकती है। अगर फलों खेत में बीमारी पड़ जाए तो इसके लिये क्या करना होगा लेकिन जब स्वयं को ही कुछ पता न हो तो ये किसानों को क्या बतायेंगे। इसलिये सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये।

सरकार का इस तरह का स्टाफ यूँही बैठकर तनख्वाह ले रहा है इसलिये मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस सरप्लस स्टाफ को कहीं और जगह पर इस्तेमाल करे।

इससे आगे मैं माकिटींग बोर्ड का जिक्र करूंगा। इसमें मंडियां भी आती हैं। सरकार नई मंडियां बनाने जा रही हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे नई मंडियां बनाने की बजाये जो पहले की पुरानी मंडियां अधूरी पड़ी हुई हैं, पहले उनका काम खत्म किया जाए, उनको पूरा किया जाए, फिर नई मंडियां की ओर ध्यान

दिया जाए। इस तरह नई मंडियों की घोषणा करने का कोई लाभ नहीं होगा, जब तक पुरानी मंडियां इकम्प्लीट पड़ी हों। मेरे कीसली हल्के में एक मंडी पिछले 10-15 सालों से अधूरी पड़ी है और उसके नजदीक आस पास कोई दूसरी मंडी भी नहीं है। कीसली हमारा सेंट्रल प्लेस है। उस मंडी पर 5-7 लाख रुपया पहले लगाया गया है, वह बिल्कुल बेकार पड़ा है। इसलिये सरकार जो नई मंडियां बना रही हैं, उनकी तरफ ध्यान न दे कर पहले पुरानी मंडियों को पूरा करने पर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कम्यूनिटी डिवैल्पमेंट विभाग का भी जिक्र आया। मैं यह कहूंगा कि सामूहिक विकास का जो पैसा सरकार लगा रही है, उसका ठीक ढंग से यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है। उस पैसे को फिजूल में बरबाद नहीं किया जाना चाहिये।

पहले मैंने यह जिक्र किया था कि यूटी फिजूल में जोड़ें छोड़े जा रहे हैं और वे ट्रेक्टरों के द्वारा खोदे जा रहे हैं, फिर उनके मेनडेज बना दिये जाएंगे। सब से पहली उस इलाके की यह डिमांड है कि वहां पर हमारी बहन, बहू-बेटियों के लिये बुजुर्गों के लिये लैट्रीन बनाई जाये। इसलिये सरकार को मेरा सुझाव है कि सरकार इसके लिये एक या आधा एकड़ भूमि अर्जित करके, चार दीवारी बना दे, यही सफाई-सेन्टर रहेगा ताकि लोगों का लैट्रीन बगैरह जाने के लिये कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। यूटी फिजूल कम्यूनिटी डिवैल्पमेंट के लिये पैसा लगाया जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें हम कामयाब नहीं हैं। बाट सप्लाई भी कोई नहीं है जिससे इन लैट्रीनज को पानी के साथ कनेक्ट कर दें। इसलिये सरकार गांव में रहने वाली हमारी बहन, बहू-बेटियों व बुजुर्गों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए चारदीवारी करवा दे ताकि लोगों को सुख-सुविधा हो सके। ऐसा काम सरकार को पुरस्त ही करना चाहिये। (धन्यवाद)

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं० 2, 3, 8, 15, 17, और 22 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, सदन में इरी-गेशन की डिमांड पर चर्चा की गई। मैं उस जगह से संबंध रखता हूँ, कई बार सदन में चर्चा हुई कि जिला फरीदाबाद को नहरी पानी देने के बारे में सरकार का बिल्कुल इरादा नहीं है। बार-बार हमारे उस जिले के दूसरे माननीय सदस्यों ने भी सदन में चर्चा की है। जिला फरीदाबाद में जो आगरा नहर है, उसमें से हरियाणा को अपने हिस्से के तौर पर पानी मिलता है। आज उस नहर में पहले से ज्यादा पानी आता है। अगर हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से उसका कन्ट्रोल लेने के बारे में फिलहाल बात नहीं कर सकती है तो उस पानी का हिस्सा बढ़ाने की बात तो कर सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो जो पानी बड़ेगा, उस को गुड़गांव कैनल में डाल कर हम न सिर्फ फरीदाबाद जिले की बल्कि गुड़गांव के मेवात के इलाके में भी पानी दे सकते हैं।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

जिला फरीदाबाद के जितने उद्योग और दिल्ली के उद्योग हैं तथा दिल्ली का जितना सीवरेज का गन्द है, वह सारा आगरा और गुड़गांव नहरों में बला जाता है। उस पानी में बहुत ज्यादा बदबू आती है। जहाँ जहाँ से ये नहरें गुजरती हैं, वहाँ पर बदबू के मारे लोगों का जीसा दूसर हो गया है। उस गन्दे पानी की वजह से लोगों की सेहत पर असर पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि इनका पर्यावरण महकमा उस गन्दे पानी को रोके। आज पर्यावरण के नाम पर यह सब से बड़ा भजाक है। फरीदाबाद को केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि नौर्य इंडिया का उद्योग सेंटर कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण अदालत बनाने का जिक्र किया। यह अदालत एक हिसार में, एक अम्बाला में तथा एक और किसी जगह बनेगी। जबकि उस अदालत का हकदार फरीदाबाद जिला था क्योंकि उद्योगों की सब से ज्यादा गन्दगी फरीदाबाद में है। इसके अलावा हमारे पलवल के इलाके में सड़कों की बहुत बुरी हालत है। हम जहाँ भी बोलते हैं तो हमारे मन्त्री और आदरणीय मुख्य मन्त्री हमारे साथ इस तरह से पेश आते हैं जैसे हरियाणा प्रदेश में इनका ही हक है, सदन में भी केवल इन्हीं का हक है, हमारा कोई हक नहीं है। हमें झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है। चौधरी भजन लाल ने फरीदाबाद से एम-0 पी-0 का इलेक्शन लड़ा था। इन्होंने लोगों को कहा था कि अगर मैं सांसद बन गया तो मैं जिला फरीदाबाद को इंग्लैंड बना दूँगा। (विष्णु) आज हालत यह है कि प्रदेश में 110 ए-0 एम-0 आईज-0 की भर्ती हुई। स्पीकर साहब, हमारे फरीदाबाद जिले के साथ ही किसी बच्चे का नाम उस लिस्ट में हो। प्रदेश में कोई भी नौकरी निकलती है तो उसके लिए या तो हिसार के लड़के सिधे जाते हैं, या कालका के लिए जाते हैं। स्पीकर साहब, कोई भी स्कीम या तो कालका के लिए बनती है या हिसार के लिए बनती है। फरीदाबाद के लिए कुछ नहीं होता। हमारे मुख्य मन्त्री जो फरीदाबाद से 50 लाख रुपये महीने की कमाई है।

चौधरी भजन लाल : क्या कहा आपने यह दोबारा बता दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : फरीदाबाद में जो टूक यूनिट है, उसको मुख्य मन्त्री ने अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। वहाँ के डी-0 सी-0 और एम-0 पी-0 को इन्होंने आदेश दे रखे हैं कि चाहे जिला प्रशासन चले या न चले, मुख्य मन्त्री को उस यूनिट से 50 लाख रुपये पहुँच जाने चाहिए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात कही है उसमें घटिया बात कोई आदमी कह नहीं सकता, सदन के सेंसर को ठीक बात कहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर ये इस बात को साबित कर देंगे, तो मैं अस्तित्वा दे दूँगा या फिर ये अस्तित्वा दे दें। जैसा इन्सान होता है वह वैसी ही बात करेगा। इतको इस तरह के बेहूदा

एलीगेशन लगाने का कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। * * * * *
 * * * * * यह कोई तरीका है। ऐसी
 गलत बात कहने का इनको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। (शोर)

श्री धीरू बंसो लाल : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने जो शब्द कहे हैं वे
 रिकार्ड पर नहीं आने चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : ठीक है वे शब्द रिकार्ड पर न आए। (शोर)

श्री 0 छतर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने जिन शब्दों का
 इस्तेमाल किया है, वे शब्द मुख्य मन्त्री जी को वापस लेने चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : उन शब्दों को रिकार्ड से निकाल दिया गया है।

श्री धीरू जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ग्रोफ़ आर्बर्ड है। विधान
 सभा के माननीय सदस्यों को सदन में प्रवेश करते ही सामने खम्बे पर जो बात लिखी
 हुई है, उसको पढ़ लेना चाहिए। माननीय सदस्य दलाल साहब बार बार सदन में
 गलत बात कहते हैं। इनका यह कोई तरीका नहीं है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाएं। (शोर)

श्री धीरू जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल
 ने जो राज्यपाल महोदय के बारे में कोई बात हुई थी, उस के बारे में आज सुबह
 मुख्य मन्त्री जी के खिलाफ आपको एक प्रिबिलिज मोशन दिया था जबकि सर्वनर साहब
 के कंडक्ट के बारे में असम्बली के अन्दर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। जब उस
 बारे में दलाल साहब से एफेडेविट देने के लिए कहा गया तो मुकर गए। अगर
 ये सच्चे होते तो एफेडेविट देते। आप समझदार आदमी हो, विधायक हो और जिम्मे-
 दार आदमी हो आप एफेडेविट देते। अगर आप सच्चे हैं तो एफेडेविट देते। आप
 अब भी एफेडेविट दें हम अब भी तैयार हैं। इस तरह से गलत बोलने से क्या
 फायदा। यह आपका कोई तरीका नहीं कि हर टाईम गलत एलीगेशन लगा दो।
 (शोर)

श्री राम रतन : स्पीकर साहब, मुझे भी अपनी कुछ बातें कहनी हैं। मुझे
 भी अपनी बात कहने का हक है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने के लिए पांच मिनट का टाईम दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हमारे जिले के लोगों के हाथ हर मासले
 में यह सरकार भद्दा मजाक कर रही है। हमारे वहाँ पलवल, बत्लभरुड, हौडल

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री कर्ण सिंह बलाल]

के लिए जो पहले आई० एस० बी० टी० से बसें चलती थी, वे अब बन्द कर दी गई हैं। अब कोई कालेजा अड्डा बनाया गया है वहाँ से ये बसें चलती हैं, जो आई० एस० बी० टी० से 12 कि० मी० दूरी पर पड़ता है। जो सवारियाँ चण्डीगढ़, रोहतक या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाता चाहती हैं, उनको आई० एस० बी० टी० से बसें पकड़ने के लिए काफी परेशानी होती है। मेरी सरकार से मांग है कि हमारे एरिया में जो बसें पहले आई० एस० बी० टी० के लिए चलती थी, अब भी वहीं से चलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी मांग है कि हमारे एरिया में बिजली के खम्भों की काफी कमी है। खम्भे न होने की वजह से बांस के डण्डों पर तापे नंगी लगी हुई हैं, उनके गिरने से कई बार जानवर और इन्सान के जीवन की खतरा बना रहता है। मेरी मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी बिजली के खम्भों को भिजवाने का प्रवन्ध करे।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठें। आपको पहले ही काफी समय मिल गया है। अब श्री रामरतन जी बोलेंगे।

श्री राम रतन (हसनपुर एस० सी०) : स्पीकर साहब, मैं आपके ध्यान में श्रीर सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि दलाल साहब इस्तीफा की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले सेशन में भी मैंने इस्तीफा दिया था। ये दलाल साहब जो हैं, ये पहले इस्तीफा दें। (गोर)

श्री अध्यक्ष : आप डिमांड पर बोलें।

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूँ कि जब से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तब से हरियाणा में काफी विकास के काम हुए हैं (बिछन) अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 1 से 7 पर बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि अब से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, तबसे हरियाणा में काफी विकास के काम हुए हैं। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूँ कि हमारा जिला काफी पिछड़ा हुआ है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का टाइम 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
(पुनरारम्भ)

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब की दुकान मार्किट कमेटी, पलवल में है। इनकी दुकान के बाहर दो पेड़ शीशम के छड़े थे जिनकी कीमत कम से कम 20 हजार रुपये होगी। उन दोनों पेड़ों को ये लोग काट कर ले गए थे और अब वहां शीशम के पेड़ नहीं हैं। (शोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, अगर यह बात झूठी हो तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। चौधरी कर्ण सिंह जी भी इस्तीफा दे दें और मैं भी अपना इस्तीफा लिख कर आपको दे देता हूँ। अगर मेरी बात झूठ हो तो मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। (विघ्न एवं शोर) अगर मेरी बात सब साबित हो जाए तो इनका इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : शीशम के ये पेड़ कितना टाईम पहले काटे गए हैं ? (विघ्न एवं शोर)

श्री राम रतन : ये पेड़ करीब 2 महीने पहले ही काटे गए हैं। पलवल में कालोनी के अन्दर इनकी कोठी बन रही है। उन शीशम के पेड़ों को काट कर ले गए हैं और उनसे वहां पर किवाड़ बनाए जा रहे हैं। (विघ्न एवं शोर) अगर यह बात गलत हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। (विघ्न एवं शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम रतन जी, आप बैठिए। कर्ण सिंह जी, आपका प्वायंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री राम रतन जी ने सदन में कही है, वह बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, मेरी कोई दुकान पलवल मार्किट कमेटी में मेरे नाम से नहीं है और न ही मैं शीशम या कीकर का कोई पेड़ काटा है। ये बेबुनियाद बात यहाँ पर कह रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमान जी से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का व्यवहार सदन की मर्यादा के खिलाफ है। ये श्रीमान जी सदन के किसी मिनिस्टर के माध्यम से या राम रतन जी के माध्यम से चाहे जो भी कहलवा ले, लेकिन ये मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँगा और इनके इस प्रकार रोकने से नहीं रुकूँगा। (विघ्न एवं शोर)

श्री राम रतन : स्पीकर साहब, मैंने शीशम के पेड़ का जिक्र किया है, कीकर के पेड़ का मैंने नाम नहीं लिया। हो सकता है इन्होंने कोई कीकर का पेड़ भी काटा हो लेकिन मैंने सिर्फ शीशम के पेड़ की ही बात कही है। (विधन एवं शोर) शीशम के पेड़ इनके आर्डर ने काटे हैं, माकिट कमेटी, पलवल के लोगों को इस का पता है। स्पीकर साहब, आप हाउस की कमेटी बना कर सर्वे करवा लें। (विधन)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ग्रानवेल मैनबर ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए काफी टाइम ले लिया है और टाइम काफी ज्यादा हो गया है। हमने कट मोशन दिया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि कट मोशन पर बोलने के लिए हमें समय मिलेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : डिमांड फार ग्रांट्स के लिए जितना टाइम ऐलोट होगा आपकी पार्टी के सदस्यों के हिसाब से आपको टाइम जरूर देगे। (विधन) जितना टाइम शिफ्ट पार्टी को मिलना है उतना उनको मिलेगा और पार्टी की रिश्तों के मुताबिक आपकी पार्टी को टाइम मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं भी डेढ़ लाख वोटों से चुन कर हाउस में आया हूँ और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए परन्तु अपनी बात को बार-बार रिपीट न करें।

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम रतन जी, आप रिपीट न करें अगर कोई और बात आप कहना चाहते हैं तो कहिए या अपनी सीट पर बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। आज की सरकार ने शिक्षा में नकल को रोकने के लिए काफी अयास किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में दस जमा दो के स्कूल नहीं हैं और जो हैं भी, वह 15 किलोमीटर दूर हैं।

श्री अध्यक्ष : राम रतन जी, आपका टाइम हो गया है, अब आप बैठ जायें। बंसी लाल जी क्या आप बोलना चाहते हैं ?

चौधरी बंसी लाल : जी हाँ।

वित्त मंत्री (श्री भांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, ये तो बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने थोड़ा सा बोलना है। आप पहले इनको बोलने दें।

श्री धरमजी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्ड नं. 2, 3, 15, 17 और 24 पर बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए खेतों में जो दवाईयाँ छिड़कने के लिए मिलती हैं उन का कीड़ों पर कोई असर नहीं होता। पिछले दिनों मैं सिरसा गया था, वहाँ पर मुझे लोगों ने बताया कि कपास पर छिड़कने के लिए जो दवाई दी गई है, वह बेकार है, उसका कीड़ों पर कोई असर नहीं पड़ता। लोगों ने ककोरे में दवाई डाल कर उसमें कीड़े डाल दिये लेकिन वे कीड़े मरे नहीं, बल्कि ऊपर तैरने लग पड़े। वह दवाई पानी की तरह है।

अध्यक्ष महोदय, जो सबके अलग से मार्किटिंग बोर्ड बनाता है, वह दुर्पलकैट काम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, पहले भी यह होता था कि मार्किटिंग बोर्ड, पी० डबल्यू० डी० डिपार्टमेंट को काम दे देता था। मार्किटिंग बोर्ड वाले जो सबके बताते हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, उनके पास टेक्निकल नौ-हाऊ नहीं होते। मेरा सरकार को सुझाव है कि मार्किटिंग बोर्ड का पैसा पी० डबल्यू० डी० को दे दिया जाए ताकि अच्छी सबके बनें।

अध्यक्ष महोदय, अब गर्मी आ रही है। खासकर मेरे जिले में पानी की किल्लत होगी। इस तरह से रोहतक, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी पीने के पानी की किल्लत आएगी। क्या सरकार इसके लिए पहले से ही प्रबन्ध करेगी क्योंकि एक महीने के अन्दर अन्दर गर्मी आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय, जिला हिसार में फर्जी खाद सप्लाई हो रही है। यह खुद मुख्य मन्त्री जी का जिला है। यह गोरखपुर गाँव और भूना के इलाके सोनी, गैम उनपुर, और चौबारा में कई जगह पर खाद के नमूने लिए गए थे लेकिन वह खाद गलत निकली थी और ठीक नहीं थी। अगर ऐसी खाद किसानों को दी जाएगी तो किसानों का बहुत नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी इलाह के मुताबिक एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अखबार में बयान दिया था कि दूँ सौ से ज्यादा नमूने फेल हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं जे० एल० एन० के बारे में कहना चाहूंगा। जे० एल० एन० कैनल पर बिच ड्रेन जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। अगर यह नहीं बनाई गई तो सोनीपत और रोहतक जिले के गाँवों की हालत बहुत खराब हो जाएगी क्योंकि इनके दोनों तरफ 4-5 एकड़ जमीन में फटेरा खड़ा हो गया है और वह जमीन कल्वर बन गई है। इसलिए सरकार को बिच ड्रेन जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए। जहाँ तक सिन्धौई का तालुक है, इसके लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, इस बारे में कुछ पता नहीं है और न ही कुछ कहा जा सकता है। मैं जगह जगह पर जाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या नहरों की डी-सिल्टिंग

[चौधरी बंसी लाल]

हुई है तो किसी ने भी यह नहीं कहा कि हाँ डी-सिल्टिंग हुई है। अध्यक्ष महोदय, नहरों की डीसिल्टिंग होनी चाहिए। आज पहले ही पानी की दिक्कत है। अगर टेल पर पानी नहीं पहुँचेगा तो बहुत मुकसान हो जाएगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय दस मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय दस मिनट और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो राई के कम्प्लैक्स के लिए पैसा रखा गया है, वह बहुत ही कम है, ज्यादा पैसा रखना चाहिए ताकि इस कम्प्लैक्स को जल्दी डिवेलप किया जा सके। इसके साथ ही रोहतक के पास जो तसयार लेक है, वहाँ पर हर सड़ को दिल्ली से लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए इसको भी ऐक्सटेंड करना चाहिए। वहाँ पर मोटल भी बनाया जाए ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। ऐसा करने से सरकार को आमदनी भी होगी और स्टेट का नाम भी ऊँचा होगा। इसके अलावा, धारुहेड़ा कम्प्लैक्स में भी अकमोडेशन की कमी आ गयी है क्योंकि जयपुर आने जाने वालों का ट्रैफिक बहुत है इसलिये इस कम्प्लैक्स को भी बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा डैमेजिक जो होटल के पास है, बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ भी अकमोडेशन की कमी है, इसलिये अकमोडेशन बढ़ायी जाए। रेस्टोरेट की जगह पर पीने के पानी का प्रबन्ध बढ़िया किया जाए। आजकल लोग यू० पी० में चार पाँच किलोमीटर की दूरी पर, कोसी में उठर जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं उठरते, इसलिये सरकार को वहाँ पर भी अच्छा प्रबन्ध करना चाहिये। रिवाड़ी के टूरिस्ट कम्प्लैक्स में भी पीने के पानी का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए और उठरने के लिए ज्यादा से ज्यादा अकमोडेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज यह है कि वहाँ पर जो तकिये मैटरसिज बेंड शीट्स, बेंड कवर्ज हैं, वे पुराने हो गये हैं। अगर उनको हटाकर देखते हैं तो वे बिखरने लगते हैं, इसलिए सरकार उनको रिप्लेस करे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि टूरिज्म के लिए जो 3,20,00,000 रुपया रखा है, यह बहुत ही कम है। सरकार को कम से कम 15 करोड़ रुपये रखने चाहिये थे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहूंगा। पुलिस का मोरल बहुत ही नीचा है क्योंकि डी० जी० पी० नीचे वाले स्टाफ की तकलीफों का ध्यान नहीं करता। पुलिस का डांचा अच्छी तरह नहीं चल रहा। ला एण्ड आर्डर में गड़बड़ है। लॉ एण्ड आर्डर में गड़बड़ क्या है यह तो बिल्कुल है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए कहूंगा कि जो डी० जी० पुलिस लगा हुआ है, वह कभी कभी पंचकूला रैस्ट हाउस में रहता है लेकिन परमानेंटली दिल्ली में रहता है। कभी वह जण्डीगढ़ में या पंचकूला में रहता है, कभी दिल्ली में। उससे कहें कि या तो वह यहाँ का काम कर ले या दिल्ली का काम कर ले। इनको उसकी जगह पर किसी और अफसर को लगा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के व्हीकल्स का भी बहुत मिसयूज होता है। चाहे सञ्जी लानी हो चाहे कहीं और ले जाता हो, चाहे मुख्य मन्त्री जी को कहीं जाना हो तो काफी गाड़ियाँ उनके साथ चलती है। तो मैं सरकार को इसके बारे में सलाह दूंगा कि ऐसी जगहों पर एक ही गाड़ी तीन चार अफसरों को लेकर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गाड़ी एक ही अफसर को लेकर जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, जो गुड़गांव जिले में 80-90 एकड़ जमीन की चर्चा आज सुबह हुई है, अगर उस जमीन पर टूरिज्म कम्प्लेक्स बना दिया जाए, रेसकोर्स बना दिया जाए, गौल्फ क्लब बना दिया जाए या फिर टूरिज्म की कोई दूसरी चीज बना दी जाए तो मैं समझता हूँ यह बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यह जगह दिल्ली के दरवाजे पर इन्दिरा गाँधी ऐयरपोर्ट के साथ ही है। इससे सरकार को कम से कम बीस या तीस करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है। सरकार इस जमीन को चाहे ऐक्वायर करे या कुछ भी करे, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट से वापस न ले। अगर वह जमीन वापस ले ली है तो उनको वापस देकर वहाँ पर टूरिस्ट का कम्प्लेक्स डिवेलप करे ताकि स्टेट को फायदा हो सके और स्टेट का नाम ऊँचा हो सके। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की मशीनरी का मिसयूज तो बेहद ही है। एक एफ० आई० आर० नं० 307, दिनांक 11-11-93 लंगरिया मंडी में दर्ज हुई है। वहाँ पर इसके लोग वृथ कैंपेचरिंग करने गये थे लेकिन वे खुद ही कैंपेचर ही गये। अध्यक्ष महोदय, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद की खानें हैं, अगर उन सबको नेशनलाइज कर दें तो सरकार को ज्यादा फायदा होगा। आज उन खानों से नाजायज तौर पर पत्थर निकालकर बेचा जाता है जिसकी वजह से सरकार की आमदनी कम हुई है। और यह जो गुड़गांव और फरीदाबाद जिले में, पंचायतों की, गाँवों की जितनी जमीनें नीलाम हुई हैं, उन सबकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इन्क्वायरी कराई जाए ताकि पता लग सके कि वह सारी जमीनें ठीक नीलाम हुई हैं या नहीं? नीलामी की खबर अखबार में महीने या दो महीने में एक बार छपती है, लेकिन इसकी आक्शन नहीं होती, किसी आफिसर के घर के ऊपर नीलामी हो

[चौधरी-बंसी लाल]

जाता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इन्क्वायरी कराई जाए। आजकल बड़ी तेजी से एक धारा चल रही है, मुख्य मन्त्री जी ने एक नयी प्रथा चलाई है कि मंत्रियों को कारें भेंट हों, एम० एल० ए० को कारें भेंट हों, तोहफे भेंट हों। यह जो इस तरह का धन्धा चल रहा है यह ठीक नहीं है। धक्के से चंदा वसूल होता है। 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए इक्टठे किए जाते हैं। मैं उनके नाम लेकर बदमगजी पैदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि चंदा वसूल करने में सरकारी मशीनरी का मिसयूज न किया जाए लेकिन मिसयूज होता है। अध्यक्ष महोदय, एक कमिश्नर इन्होंने रोहतक में लगा रखा है वह चार सौ या पाँच सौ रुपयों में बी० डी० ओ० के थू कंसिड और कितने बेजता है उसकी आप कनाट प्लेस में कोई दुकान खुलवा दो, वहाँ बेच लेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी चीजों पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और अब भी खुलासा तौर से कह देता हूँ कि मुख्य मन्त्री जी के अपने शहर में, 2 अक्टूबर, 93 को, महात्मा गांधी जी, की स्टैच्यू पर माला डालने गए शराब बंदी आन्दोलन के कार्यकर्ता शांति से अपना आन्दोलन चला रहे थे। मुख्य मन्त्री जी ने हिसार तो दरकिनार, रोहतक तक गिरफ्तारियाँ करवा दीं। इससे उनकी हिसार की फेक्टरी को तो कोई खतरा नहीं था। शराब के खिलाफ आन्दोलन का तो आपको भी समर्थन करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, बातें तो और भी बहुत सारी कहनी हैं लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। (धन्यवाद)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल ने डी०जी०पी० के बारे में कहा कि डी०जी०पी० रहते रैस्ट हाउस में हैं और घर दिल्ली में हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में उनके बच्चे पढ़ते हैं, आफिसर को दिक्कत हो सकती है। जितना काबिल, जितना शानदार डी०जी० हरियाणा का है, उतना देश में किसी भी प्रदेश का नहीं है। ला एण्ड आर्डर जितना शानदार हरियाणा में है, उतना किसी भी प्रदेश में नहीं मिलेगा। (शेर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठ जाइए। कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं।

चौधरी भजन लाल: क्या आपके बारे में कुछ कहा है? डी०जी०पी० के बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, डी०जी०पी० के बारे में पिछली बार भी इन्होंने कहलवाया, यह ठीक बात नहीं है। अच्छे आफिसर की तारीफ करनी चाहिए। कोई गलत काम करते हों, बेईमान हों तो कहें, फिर हम भी मानेंगे (विष्णु)।

चौधरी बंसी लाल: मैं तो कहूँगा कि वह इनकॉर्पेटेड है।

श्री श्री चौधरी भजन लाल : आप के कहने न कहने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो आपका और मेरा एक ही जिला था। आपने छांटकर बढ़िया एस० पी० हिस्तर में लगाया हुआ था। ये वही डी० जी० पी० है।

श्री श्री चौधरी बंसी लाल : ये जरूरी तो नहीं कि जो आदमी आज से 15 साल पहले अच्छा था वह आज भी अच्छा हो ?

श्री श्री चौधरी भजन लाल : एक तो अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कमिश्नर का नाम लेकर यह कह दिया कि वह कैसेट बेचता है। यह बिल्कुल सच्ची बात नहीं है वह कमिश्नर इनके जिले का श्री के० सी० शर्मा है। वह बहुत ही बढ़िया मानदार और ईमानदार अफसर है। कोई इन्होंने उसको गलत कास कह दिया होगा, उसने किया नहीं होगा। चौधरी बंसी लाल का एक सुख है कि शेर एक मिनट लगाता है लड़ने में। एक मिनट की भी टाल नहीं करता। यह इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। यह क्वालिटी भी किसी किसी आदमी में ही मिलेगी (हंसी) दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कह दी कि गवर्नमेंट मशीनरी का संपरिया में बहुत मिसयूज किया गया। यह बात इन्होंने पहले भी कही है मता नहीं, इनकी क्या फीब्रिया हो जाता है। ऐसी बात कहने का गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज करने का तो सबाल ही पैदा नहीं होता।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अभी फाईनेस मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है। इसलिये यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाये।

श्री श्री आवाजें : जी हाँ।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय 10 मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मुख्य मंत्री (श्री श्री चौधरी भजन लाल) : मैं तो अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा। बाकी तो गुप्ता जी ने 10 मिनट के लिये बोलना है, वे आपसे बात करेंगे। आप जानते हैं, कोई भी अधिकारी असेम्बली के दौरान छुट्टी ले कर

[चौधरी भजन लाल]

जा सकता है। राजस्थान और हरियाणा के लोगों का आपस में मेल जोल है रिश्तेदारियाँ हैं। हम उनकी मदद के लिये जाते हैं और वह हमारी मदद के लिये आते रहे हैं। लेकिन सरकारी मशीनरी का मिसयूज कहना, कोई मुनासिब बात नहीं है। एक बात इन्होंने फरीदाबाद की खानों के बारे में कही है। पहले वहाँ से इन्कम 9 करोड़ रुपये की थी लेकिन अब इन्कम 16 करोड़ से भी ऊपर हो रही है। इसलिये कोई गड़बड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी बंसी लाल : इनको नैशनलाईज कर दो। नैशनलाईज कर दोगे तो इन्कम 50 करोड़ होगी।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने नैशनलाईज करके भी देख लिया है। एक बात इन्होंने पंचायत की जमीन के बारे में कही है कि नीलामी ठीक नहीं हुई या उसमें कुछ कमी रही है। पंचायत प्रस्ताव पास करने के बाद ही वाकायदा और पब्लिक आक्शन से जमीन को नीलाम करती है। जब भी कोई आक्शन पंचायत की जमीन की होती है तो सारी पंचायत से प्रस्ताव पास होता है तब वह नीलामी होती है। जब वह नीलामी छूटती है तो अगर अच्छा भाव होता है तो उस जमीन को पंचायत बेच सकती है, वरना वह टाल भी कर सकती है। कोई प्राइवेट आदमी जब अपनी जमीन बेचना है और अगर उस को कोई दूसरा आदमी लेना चाहे तो सरकार उसमें क्या दखल दे सकती है? इसी तरह से पंचायत अगर कोई जमीन बेचना चाहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर और पब्लिक आक्शन में पंचायत की जमीन आक्शन न हुई हो तो बतायें। हाँ, अगर कोई शिकायत हो तो ये लिख कर भेज दें, हम उसकी जाँच करवा सकते हैं। एक बात इन्होंने यह कही कि मंत्रियों को और एम0एल0एज0 को कार्रें दी जाती हैं। अगर किसी हल्के के लोग उनके भले के काम के लिये ऐसा करते हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? यह प्रथा तो चौधरी बंसी लाल ने ही डाली हुई है। इनके खुद के जमाने में स्टेज पर एम0एल0एज0 को कार्रें भेंट की जाती थी इसके लिये सरकारी मशीनरी बन्दा इन्ट्रॉ करती थी। (व्यवधान शोर)। मैंने यह कहा है कि आपके जमाने में तो एम0एल0एज0 को कार्रें स्टेज पर भेंट होती थी -

चौधरी बंसी लाल : कब हुई है, यह भी जरा बता दो ?

चौधरी भजन लाल : वह भी हम आपको बता देंगे। एक बात और होती थी सरकारी मशीनरी की वाकायदा डिपूटी लगती थी। जो जलसे होते थे, उनमें पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक और एक सिपाही से लेकर एम0पी0 तक की डिपूटी लगती थी। लेकिन हमने किसी भी आदमी की डिपूटी नहीं लगायी है। हमारे जलसों में तो आदमी अपने आप ट्रैक्टरों में, बसों में या पैदल चल कर आते हैं। इस लिये किसी भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी बंसी लाल : ज्ञान ए प्वायंट आफ आइडर सर । मुख्य मन्त्री ने मेरे ऊपर एक इल्जाम यह लगाया था कि यू०पी० में सरकारी मशीनरी लगाकर मैंने जलसे किये थे । यह आरोप निराधार और बे बुनियाद है ।

श्रीधर भजन लाल : मैंने तो यू०पी० का नाम नहीं लिया है, मैंने तो हरियाणा का नाम लिया है । हरियाणा ही आपके लिये फालतू पड़ता है ।

चौधरी बंसी लाल : मैंने कभी हरियाणा में भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया । यह तो अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन दिनों से आप भी देख रहे होंगे और आप ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि बसों में काली पैट पहनकर जो जाते थे या काली चुन्नियाँ ओड़ कर जाती थी या काली जुराबें पहन कर जाते थे, उनको बसों से उतरवा देते थे । कोई भी आदमी काला कपड़ा पहन कर नहीं चल सकता इनके जलसों में काला कपड़ा पहन कर कोई नहीं आ सकता है ।

चौधरी भजन लाल : ये तो हरेक को ऐसा ही सोचते हैं । ये आप करते थे, बंसा ही सोचते हैं कि भजन लाल भी करता होगा । लेकिन ऐसा कुछ नहीं है । मैं आपकी तरह से नहीं करता । डाक्टर मंगल सैन जी की पार्टी का मसूबरा यहाँ पर बैठा नहीं है । वे बड़े ही सीनियर लीडर थे । लेकिन उस आदमी को इन्होंने बोरी में बन्द करके पिठवाया था । चौधरी बंसी लाल जी आप अपने पक्ष उखड़वाना क्यों चाहते हो ।

चौधरी बंसी लाल : ज्ञान ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर । यह बेबुनियाद इल्जाम है । मुख्य मन्त्री को सच बोलना तो आता ही नहीं है । इनकी मजबूरी भी है, इनको सच बोलना तो आता ही नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : ज़ली, स्पीकर साहब, मैं बात को यही खत्म करता हूँ ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री धर्मपाल द्वारा—

श्री धर्मपाल सिंह : ज्ञान ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन । अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री छतर सिंह चौहान ने कहा कि दादरी में अधिकारियों ने जलसे के लिये चन्दा इकट्ठा करके दिया और गाड़ी दी, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है और गलत बात है । किसी भी अधिकारी को मैंने चन्दे के लिये नहीं कहा और न ही किसी व्यापारी को कहा । यहाँ तक की मैंने किसी को टेलीफोन पर भी किसी तरह के चन्दे के लिये नहीं कहा । मैंने इस बारे में कोई बात तक

[श्री धर्मपाल सिंह]

नहीं की है। अगर कोई इस बात को साबित कर दे तो मैं बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिये तैयार हूँ। अगर यह बात साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूँ। माननीय सदस्य ने जो इस तरह का ऐलीगेजन लगाया है, यह बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। इनका यह कहना कि दादरी के जलसे में पुलिस ने लोगों को पीटा या काले कपड़े उतरवाए। यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग यह भी कहते थे कि विधायक धर्मपाल को गाँव के लोग घुसने नहीं देते और जलसे में एक भी आदमी नहीं आएगा जबकि छः तारीख को जलसे में यह हालत थी कि मुख्य मन्त्री के सम्मान में जनसभा में इतने लोग आए कि आज तक दादरी में किसी भी नेता के सम्मान में और किसी भी पार्टी के जलसे में नहीं आए। उस दिन इतने लोग जलसे में आए कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं इनके बारे में सारी बातें कहना नहीं चाहता क्योंकि लोग कहेंगे कि कल तक तो इनका गुणगान करता था और आज इनके खिलाफ बोलता है। स्पीकर साहब, हमने खुद चन्दा इकट्ठा करके इनको कारें भेंट की थी। करण सिंह ने चन्दा इकट्ठा करके इनको कार भेंट की थी लेकिन आज ये सारी बातों के लिये इन्कार कहे रहे हैं। स्पीकर साहब इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, वे बेबुनियाद और गलत हैं।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

विस्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से हमने आज हाउस में वर्ष (1994-95) की अनुदान मांगों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए अपने-अपने हल्के की दिक्कतों और शिकायतों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनते ही मुख्य मन्त्री जी ने सबसे पहले फैसला लिया कि प्रदेश में शान्ति के साथ विकास होगा। स्पीकर साहब, हमने यह सारा केवल कागज पर ही बुलन्द नहीं किया बल्कि इसकी वास्तविक रूप दिया। हमने हमेशा ही मुख्यमन्त्री जी के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजट बनाने समय, इन बातों का ध्यान रखा है। अध्यक्ष महोदय, आज आप देख रहे हैं कि जहाँ तक हरियाणा में शान्ति का सम्बन्ध है, कानून और व्यवस्था का जो माहौल है वह बहुत ही अच्छा है। हरियाणा के हर एक आदमी का हमने पूरा ध्यान रखा है, चाहे वह शहर का रहने वाला है, चाहे गाँव का रहने वाला है किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी धर्म का है, हमने सब की सेप्टी के लिए और ला एण्ड आर्डर को मैनटेन रखने के लिए बजट में पैसा रखा है। यही कारण है कि आज हरियाणा में कोई गुण्डागर्दी नहीं कर सकता। हमने ला एण्ड आर्डर को पूरी तरह से और अच्छी तरह से मैनटेन करने के लिए अपनी पुलिस की जो साधन उपलब्ध कराए हैं। उसके कारण आज कोई भी बदमाश आदमी बच नहीं सकता उसके खिलाफ

तक शायदवाही हो सकती है। आज लोग हरियाणा के अन्दर अमत् से रहते हैं। स्पीकर साहब, जहाँ तक विकास का ताल्लुक है, जिस प्रदेश में जितना विकास होगा, उतने ही लोग विकास के लिये और ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है। हमारे माननीय सदस्यो ने अपने हल्कों के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए मांगों पर चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर स्कूलों के बारे में चर्चा की गई कि गांवों में स्कूलों की कमी है। शिक्षा की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। स्कूलों में टीचर्स की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने स्कूल हमारी सरकार के आने के बाद अपग्रेड हुए हैं, इनकी सरकार चार साल रही, इनके चार साल में ही नहीं बल्कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, कि पिछले इस साल में भी इतने स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। स्पीकर सर, यहाँ पर मेरे 19-00 बजे भाइयों ने बोलते हुए टीचर्स की बात भी कही कि टीचर्स की कमी है। बाकई गांव के अन्दर टीचर्स की कमी रही थी। (शोर)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी, मेरे विचार से 10 मिनट का समय सदन का और बढ़ा दे।

वित्तमंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : ठीक है जी, बढ़ा दे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

वित्तमंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि स्कूलों में बाकई टीचर्स की कमी रही थी, नफरी कम रही थी जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफी नुकसान होता था। मैं इन भाईयों से पूछता हूँ कि जब इन भाईयो की सरकार थी तो इन्होंने अपने चार साल के कार्यकाल में कितने टीचर्स लगाये थे ? चार साल के असे में इन्होंने स्कूल व कालेजों में एक भी पोस्ट नहीं दी थी। लेकिन हमने एक-एक गांव की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जितनी पोस्टें खाली पड़ी थी, उनको भरा था और कालेजों में अब चार साल के बाद पहली बार हमने पोस्टें दी हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब कूल अपग्रेड होंगे तो उसके साथ-साथ टीचर्स की डिमांड भी बढ़ती ही जाएगी। इसलिये सरकार यह प्रयास

[श्री मांगे राम गुप्ता]

करती रहती है ताकि स्कूलों में बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बजट में ज्यादा से ज्यादा पैसे का प्रावधान किया जाए और बच्चों की पढ़ाई खराब न हो। सरकार पूरी तरह से जागरूक है कि हरियाणा का कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे जो व्यक्ति पहले अनपढ़ रह गया था साक्षरता अभियान के तहत उसके लिये सरकार यह कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा फण्डज की एलोकेशन करके अनपढ़ता को समाप्त किया जाए (तालियाँ)

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर हस्पतालों का जिकर भी आया। डाक्टरों का जिकर भी किया गया कि हस्पतालों में डाक्टरों नहीं है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मांगेराम जी, आप यह बताए कि देहात में जो गल्ले कालेज खोले हुए हैं, उनको भी आप ग्रांट देंगे या नहीं।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्वीकर सर, शायद कहीं स्कूल खुलवाने की आपकी भी इच्छा है। इसके लिये आप बड़े ही शुभचिन्तक हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : खुलवाने की इच्छा नहीं है, खूलवा लिये है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिये बजट में हम पैसे का पूरा प्रावधान करते हैं लेकिन जब हम बच्चों की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट्स की नफरी बढ़ती ही रहती है। हमारे शिक्षा मन्त्री बता रहे थे कि हिन्दुस्तान में हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ प्राइवेट स्कूल की शिक्षा के लिये अपने गांव से एक किलोमीटर तक, मिडिल स्कूल की शिक्षा के लिये दो ढाई किलोमीटर तक तथा हाई स्कूल की शिक्षा के लिये पांच किलोमीटर तक बच्चों को जाना पड़ता है। सभी माननीय सदस्यों को पता होगा कि जब हम लोग पहली क्लास में अपने गांव से पढ़ने के लिये जाया करते थे तो हमें कम से कम दो किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था। इस तरह इन से हालात में स्कूलों और कालेजों में टीचर्स की मांग तो रहेगी ही। जब तक प्राइवेट लोग स्कूल और कालेज खोलने का प्रयास करते रहेंगे और शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार की योगदान देते रहेंगे तब तक शिक्षा को बढ़ावा मिलता ही रहेगा। यह अकेले सरकार के बल का काम नहीं है। जो प्राइवेट संस्थाएँ हैं, अगर वे अच्छी कालेज चलाते हैं, अच्छी स्कूल चलाते हैं अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी मनेजमेंट है तो उनको सरकार अपनी तरफ से पूरा-पूरा सहयोग देगी, प्रोत्साहन देगी, जितनी भी सरकार की तरफ से सुविधाएँ दी जा सकती होंगी, यह सरकार उनको प्रोवाइड करेगी ताकि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का विघ्न न पड़ने पाये। अध्यक्ष महोदय कालेजों में आज भी सरकार 99 प्रतिशत ग्रांट देती है। आप ही बताइए कि इससे ज्यादा सरकार और क्या कर सकती है? इससे ज्यादा सरकार और क्या मदद कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : मतलब क्या दोगे ?

श्री मांगे राम गुप्ता : दे रखी है पुडरी में स्पीकर सर। (शोर)

श्री वाजपेयी : पुण्डरी के भी दोगे या नहीं। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, एक पुडरी के लिये ही नहीं सरकार तो सारे हरियाणा के लिये चिन्तित है। सरकार की नीति के अनुसार अगर पुडरी उसमें आता है, तो अवश्य दोगे। जो नीति है उस नीति में अगर पुडरी आएगा तो प्रायोरिटी हम दोगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

इसके साथ साथ स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत है सब से ज्यादा किसानों को पानी देने की और बिजली देने की। सरकार हमेशा ही एग्जीक्यूटिव सेक्टर को ज्यादा पैसा देने की कोशिश करती है लेकिन साधन सीमित होने के कारण सारा पैसा एक ही तरफ नहीं लगाया जा सकता, दूसरे कार्यों पर भी सरकार को नजर रखनी पड़ती है। इसलिये सरकार ने यह प्रयास किया है कि खेत क्यारी और किसानों के टेल तक पानी पहुंचाया जाए। इसके लिये सरकार ने पूरा-पूरा प्रयास किया है। अभी बोलते हुए बंसीलाल जी ने कहा कि नहरों की, माईनर्ज की सिल्ट बगैरह, निकलवाने के लिये सरकार के पास कोई साधन है ही नहीं और न ही नहरों और माईनर्ज की सफाई का सरकार प्रयास ही कर रही है। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि साधन न होते हुए भी सरकार ने बैंड बैंक से इस काम के लिये 800 करोड़ खर्च मंजूर करवाए हैं ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। अब नहरों में सिल्ट ही रहेगी और न ही माईनर्ज के कच्चे पक्के होने की शिकायत ही रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर शहरों के बारे में भी चर्चा हुई और कुछ टेक्स के बारे में भी चर्चा हुई। मैं बताना चाहता हूँ कि शहरों और गांवों को अलग नजर से देखने का पहली सरकार का ध्यान था, हमारा नहीं है। पहली सरकार शहर को एक नजर से देखती थी और गांव की दूसरी नजर से देखती थी। हमारी सरकार इनमें फर्क नहीं रखती है। हम गरीब, किसान और हरिजन सभी का ध्यान रखते हैं। हम हर वर्ग को सहूलियत देने की बात करते हैं। यहां पर सीवरेज के पानी का जिक्र आया कि पीने के पानी में मिलने की वजह से लोगों को पीलिया हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटियां इतने साधन नहीं जुटा सकती थी इसलिये सरकार ने यह काम अपने हाथ में ले लिया। अब हरियाणा के किसी शहर और गांव में, जहां सीवरेज सिस्टम है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। अब अगर कहीं भी पाइप लीक हो जाएगा तो उसका पूरा इन्तजाम करने के लिये हमने बजट में पैसा रखा है।

यहां पर सड़कों के बारे में भी शिकायत आई। अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत से प्रदेशों में घूमते हैं। आपको तो पता ही है और हम यह कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की सड़कें आज देश में नम्बर एक पर हैं। हमें जो आवेश

[श्री मांगे राम गुप्ता]

मुख्यमंत्री जी ने दिए थे और अब दिए हैं, उसके अनुसार आप देख लें। आप सारे हरियाणा में देख लें कि कोई भी सड़क, चाहे वह किसी देहात के कोने में लगती हो, वह टूटी हुई नहीं रहेगी। हमने तो एक बिसाल आपके सामने पेश की है। पहले किसी सरकार ने फोर-लेन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब दो महीने के अन्दर करनाल से दिल्ली तक फोर लेनिंग पूरी तैयार हो जाएगी। इन्होंने पता नहीं उस सड़क को क्यों रोक रखा था? इस बारे में पीछे मुख्य मन्त्री जी ने बताया था। अध्यक्ष महोदय, और कई बातों पर यहाँ चर्चा हुई। मैं किसी बात को रिपीट नहीं करूँगा। बहुत सी बातों का जवाब मुख्य मन्त्री जी ने दे दिया है और कंसर्ड मिनिस्टर्स ने भी दिया है। जो बजट हमने पेश किया है, वह वक्त की मांग को देखते हुए, पूरी बातों को कंसिडर करके पेश किया है। हम यह भी कोशिश करेंगे कि इसका सही प्रयोग हो। कहीं कोई मशीनरी गलत चलेगी तो उसको रोकने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, चूँकि आम पब्लिक ने इस बजट की सराहना की है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। (धन्यवाद)।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now voting on demands on the Budget for the year 1994-95 will take place.

First, I will put the cut motions on the demands to the vote of the House and then I will put the demand to the vote of the House.

Demand No. 1

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,79,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Demand No. 2

Mr. Speaker : Now I put the cut motion on demand No. 2 given by Sarvshri Bansi Lal, Karan Singh Dalal, Chhattar Singh Chauhan and Smt. Janki Devi Mann to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 2 of Rs. 56,83,99,000 on account of General Administration be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 55,52,98,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 3-General Administration.

The motion was carried.

Demand No. 3

Mr. Speaker : Now I put the cut motion on Demand No. 3, given by Sarvshri Bansi Lal, Ram Bhajan, Karan Singh Dalal and Attar Singh, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 3 of Rs. 203,93,19,000 on account of Home be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,96,10,64,000 for revenue expenditure and Rs. 4,50,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 3-Home.

The motion was carried.

Demand No. 4

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 34,85,68,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

The motion was carried.

Demand No. 5

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 5, given by Shri Ram Bhajan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 5 of Rs. 14,57,96,000 on account of Excise & Taxation be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 14,57,86,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 5-Excise & Taxation.

The motion was carried.

Demand No. 6

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 6, given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 6 of Rs. 6,74,89,84,000 on account of Finance be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,39,79,09,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

The motion was carried.

Demand No. 7

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 7, given by Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 7 of Rs. 10,61,54,76,000 on account of Other Administrative Services be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 10,61,25,46,000 for Revenue expenditure and Rs. 10,50,000 for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 7- Other Administrative Services.

The motion was carried.

Demand No. 8

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 8, given by Sarvshri Chhattar Singh Chauhan, Smt. Janaki Devi and Karan Singh Dalal, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 8 of Rs. 1,67,98,12,000 on account of Buildings & Roads be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs 86,14,52,000 for revenue expenditure and Rs. 81,77,60,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charge that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges Demand No. 8—Buildings & Roads.

The motion was carried.

Demand No. 9

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 9 given by Shri Ram Bhajan , Smt. Janaki Devi, Shri Chhattar Singh Chauhan and Shri Attar Singh, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 9 of Rs. 5,05,93,63,000 on account of Education be reduced by Rs 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 5,05,93,58,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

The motion was carried.

Demand No. 10

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 10, given by Shri Om Parkash Beri, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 10 of Rs. 375,47,69,000 -on account of Medical & Public Health be reduced by Rs. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,28,94,57,000 for revenue expenditure and Rs. 46,38,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 10 Medical and Public Health.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि सहमति हो तो हाउस का समय और 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

(9) 106

हरियाणा विधान सभा

[15 मार्च, 1994

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 10 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1994-95 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
(पुनरारम्भ)

Demand No. 11

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 11, given by Shri Ram Bhajan, M.L.A., to the vote of the House.

Question is—

That demand No. 11 of Rs. 13,86,18,000 on account of Urban Development be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 13,86,18,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 11—Urban Development.

The motion was carried.

Demand No. 12 to 14

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 29,96,94,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 12—Labour & Employment.

That a sum not exceeding Rs. 1,93,34,26,000 for revenue expenditure and Rs. 3,54,31,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 7,93,36,000 for revenue expenditure and Rs. 3,44,47,25,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 14—Food & Supplies.

The motion was carried.

Demand No. 15

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 15, given by Sarvshri Bansi Lal, Karan Singh Dalal and Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 15 of Rs. 11,30,58,50,000 on account of Irrigation be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : I also put cut motion given by Shri Om Parkash Beri, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 15 of Rs. 9,96,15,50,000 on account of Irrigation Department be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 9,96,15,50,000 for Revenue expenditure and Rs. 1,34,07,00,000 for Capital Expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

The motion was carried.

Demand No. 16

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 16 given by Shri Ram Bhajan Aggarwal M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 16 of Rs. 41,07,79,000 on account of Industries be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 30,10,28,000 for revenue expenditure and Rs. 10,97,11,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

The motion was carried.

Demand No. 17

Mr. Speaker : Now I put cut motion on Demand No. 17, given by Sarvshri Bansi Lal, Karan Singh Dalal and Om Parkash Beri, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 17 of Rs. 1,21,78,97,000 on account of Agriculture Department be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

(9)10*

हरियाणा विधान सभा

[15 मार्च, 1994

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,21,67,47,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

The motion was carried.

Demand Nos. 18 to 21

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 37,40,00,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 4,49,11,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 19-Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 48,50,07,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 1,17,32,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

The motion was carried.

Demand No. 22

Mr. Speaker : No I put cut motion on Demand No. 22, given by Sarvshri Chhattar Singh Chauhan and Karan Singh Dalal, M.L.As. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 22 of Rs. 22,55,73,000 on account of Cooperation Department be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 13,94,54,000 for revenue expenditure and Rs. 8,61,09,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 22-Cooperation.

The motion was carried.

Demand No. 23

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 2,54,83,92,000 for revenue expenditure and Rs. 37,93,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

The motion was carried.

Demand No. 24

Mr. Speaker : Now I put out motion on Demand No. 24, given by Shri Bansi Lal, M.L.A. to the vote of the House.

Question is—

That Demand No. 24 of Rs. 8,13,66,86,000 on account of Tourism be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 85,02,000 for revenue expenditure and Rs. 2,60,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of Charges under Demand No. 24-Tourism.

The motion was carried.

Demand No. 25

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 3,23,38,97,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1994-95 in respect of Charges under Demand No. 25-Loans and Advances by State Govt.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 16th March, 1994.

(The Sabha then *adjourned for Wednesday, the 16th March, 1994.)

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part is a list of names and addresses.

3. The third part is a list of names and addresses.

4. The fourth part is a list of names and addresses.

5. The fifth part is a list of names and addresses.

6. The sixth part is a list of names and addresses.

7. The seventh part is a list of names and addresses.

8. The eighth part is a list of names and addresses.

9. The ninth part is a list of names and addresses.

10. The tenth part is a list of names and addresses.

11. The eleventh part is a list of names and addresses.

12. The twelfth part is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part is a list of names and addresses.

14. The fourteenth part is a list of names and addresses.

15. The fifteenth part is a list of names and addresses.

16. The sixteenth part is a list of names and addresses.

17. The seventeenth part is a list of names and addresses.

18. The eighteenth part is a list of names and addresses.

19. The nineteenth part is a list of names and addresses.